मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी 2015
तारांकित प्रश्नोत्तर

ओवरलोड परिवहन रोकने हेतु कार्यवाही

1. **(*क्र. 2251) श्रीमती इमरती देवी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्वालियर डबरा रोड से बिलौआ चक घोघा मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित होने के 6 माह बाद ही बिलौआ क्रेशरों से काली गिट्टी के ओवर लोड भरकर डम्पर एवं ट्रकों के परिवहन से यह रोड वर्तमान में पूर्णत: नष्ट हो चुका है, जो कि मरम्मत योग्य भी नहीं है ? इस पहुँच मार्ग पर एक करोड़ से अधिक की राशि व्यय हो चुकी है ? बिलौआ रफादपुर, ऊदलपाडा स्थित लगे काली गिट्टी के क्रेशरों के पास ही प्रिया गोल्ड, स्टील प्लांट निर्माणाधीन है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के इस रोड पर ट्रक, डम्पर द्वारा कितना टन काली गिट्टी परिवहन की जा सकती है ? ओवर लोड परिवहन न करने से वर्ष 2011-12 से 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक पुलिस थाना-बिलौआ द्वारा किस-किस वाहन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वाहन क्र., नाम सहित वर्षवार बतावें । (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उक्त पहुँच मार्ग पर ओवर लोड परिवहन रोकने के लिये किस प्रकार की ठोस कार्यवाही की जावेगी एवं क्या वर्तमान में ओवर लोड परिवहन नहीं हो रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत सड़कें 8 टन एक्सल लोड के लिये डिजाईन की जाती है । थाना बिलौआ से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (**ग) स्थानीय परिवहन विभाग को लिखा गया है ।

निर्मल भारत अभियान अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

2. **(*क्र. 1463) श्री नागर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्मल भारत अभियान के प्रारंभ से अलीराजपुर जिले में कितने शौचालय स्वीकृत किये गये ? (ख) स्वीकृत शौचालयों के निर्माण हेतु अलीराजपुर जिला अंतर्गत जनपदों में कितनी-कितनी राशि

आवंटित की गई ? (ग) स्वीकृत शौचालयों में से कितने शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया एवं कितने प्रगतिरत व अप्रारंभ है ? (घ) क्या पूर्ण किये गये शौचालयों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन किया गया ? (ड.) शौचालयों के मूल्यांकन उपरांत स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करने वाली निर्माण एजेंसियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) निर्मल भारत अभियान के प्रारंभ वर्ष 2012-13 से अलीराजपुर जिले में 17969 व्यक्तिगत शौचालय एवं 2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत किये गये है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है** । (घ) जी हाँ । (ड.) स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करने वाली निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायतों पर म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "एक"

कृषकों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की कमी

3. **(*क्र. 942) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2014-15 में जबलपुर जिले अन्तर्गत सहकारी समितियों एवं म.प्र. राज्य वितरण संघ मर्यादित नगद खाद विक्रय केन्द्रों पर खाद वितरण को लेकर, कृषकों द्वारा कब-कब कहाँ-कहाँ पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा उल्लेखित वर्ष में किस मांग अनुरूप कितनी कौन-कौन सी खाद कृषकों को वितरित की ? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कृषकों के प्रदर्शन के क्या कारण हैं ? (ग) जिले में उर्वरकों की कमी के क्या कारण हैं ? एक ओर सरकारी केन्द्रों में उर्वरकों की कमी से कृषक परेशान हैं, वहीं व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पर भरपूर मात्रा में उर्वरक खुले बाजार में बेचा जा रहा है ? ऐसी कितनी शिकायतें शासन स्तर पर प्रश्नांश (क) अवधि में प्राप्त हुई हैं ? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कृत्यों की जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा ? यदि हाँ, तो कब यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सहकारी समितियों में धरना प्रदर्शन नहीं किया गया है. म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. जबलपुर के मण्डी स्थित डबल लॉक केंद्र के समक्ष किसानों द्वारा दिनांक 26.12.2014 एवं दिनांक 19.01.2015 को विरोध प्रदर्शित किया गया. (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है,** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित विरोध, यूरिया खाद की प्रति किसान नगद वितरण की मात्रा को बढाने के लिये, किया गया. (ग) प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता अनुसार जबलपुर जिले में उर्वरक उपलब्ध कराया गया है. वर्ष 2014-15 में विपणन संघ द्वारा

किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक विक्रय किया गया है एवं व्यापारियों द्वारा उर्वरक अधिक दाम पर बेचने की चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (घ) एक उर्वरक विक्रेता को अधिक मूल्य पर यूरिया बेचते पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत उसका उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया. शेष तीन शिकायतें निराधार पाई गई.

परिशिष्ट - "दो"

कृषकों को समय पर पर्याप्त बिजली, पानी एवं उर्वरक उपलब्ध नहीं होना

4. **(*क्र. 1637) श्री आरिफ अकील :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार के मुखिया ने प्रदेश के किसानों को उर्वरक, बिजली व पानी की कमी नहीं आने दी जावेगी एवं किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो भोपाल जिले के किसानों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितना उर्वरक प्रदाय किया गया ? (ख) यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किसानों को उर्वरक नहीं मिलने के कारण धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज व कानून व्यवस्था भंग हुई तथा जिले में कुल कितने किसानों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबृद्ध किए गए ? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि जब किसानों की प्राकृतिक आपदा में फसले नष्ट हो चुकी हैं और समय पर पर्याप्त बिजली, पानी व अच्छी किस्म का उर्वरक नही मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड किस आधार पर मिला बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ । भोपाल जिले में वर्ष 2013-14 में 62515 मे.टन एवं वर्ष 2014-15 में 56901 मे.टन उर्वरक कृषकों को प्रदाय किया गया । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उर्वरक की उपलब्धता अनुसार कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराया गया, जिले में उर्वरक नहीं मिलने के कारण धरना प्रदर्शन इत्यादि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । उक्त अवधि में किसानों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है । (ग) विभाग द्वारा फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि में सहायक समग्र संसाधनों का उपयोग कर प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड (गेंहूँ उत्पादन) हेतु प्रदेश का चयन किया गया ।

परिशिष्ट - "तीन"

पेंशन धारियों को पेंशन भुगतान में विलंब

5. **(*क्र. 1878) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन दी जा रही है ? संख्या दें ? (ख) क्या पेंशन धारियों को प्रतिमाह उनके खातों

में पेंशन जमा करने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए हैं ? यदि हाँ, तो निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (ग) क्या ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिन्हें तीन या इससे अधिक माह से भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? (घ) इसकी जाँच कब तक पूरी कर उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मण्डी फण्ड से स्वीकृत मार्ग

6. **(*क्र. 1943) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि किसान कल्याण/कृषि विकास विभाग से सड़क निर्माण के प्रावधान हैं ? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 03 वर्षों में बड़वाहा विधानसभा में कितने प्रस्ताव पेश किये गये हैं ? संपूर्ण सूची दी जावे तथा विधानसभा क्षेत्र बड़वाहा में कितने मार्ग मण्डी फण्ड से स्वीकृत हुये हैं ? (ख) इंदौर संभाग में मण्डी फण्ड से कितने-कितने मार्ग विगत 03 वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं, संपूर्ण सूची लागत सहित दी जावे ? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये मण्डी फण्ड से मार्ग की स्वीकृति कब तक हो जावेगी, समय-सीमा बताई जावे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मंडी बोर्ड की किसान सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों के निर्माण कराने के प्रावधान है । विगत तीन वर्षो में बड़वाह विधान सभा क्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है ।** विधान सभा क्षेत्र बड़वाह में मंडी फंड एवं किसान सड़क निधि से मार्ग की स्वीकृति नहीं हुई है । **(ख)** इंदौर संभाग के अंतर्गत मंडी फंड से विगत 03 वर्षों में स्वीकृत किये गये मार्गों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है** । किसान सड़क निधि मद से स्वीकृत किये गये मार्गों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है । (ग)** प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव को अन्य प्रस्तावों के साथ एजेंडे में शामिल किया जाकर, किसान सड़क निधि के अंतर्गत गठित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.09.13 में स्वीकृति के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त प्रस्ताव को किसान सड़क निधि मद में उपलब्ध राशि की आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के लिये राशि दी जाना आवश्यक होने से उपरोक्त एजेंडे में वर्णित प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति को अमान्य किया गया । शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है ।

अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों हेतु बीमा राशि का भुगतान

7. **(*क्र. 621) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में खरीफ वर्ष 2013-14 में कम या अधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से

नष्ट फसलों का बीमाकृत कृषकों एवं ऋणी कृषकों के बीमा की राशि, फसल बीमा कम्पनियों की स्वीकृत राशि की जानकारी दें ? (ख) गुना जिले के वर्ष 2013-14 के रबी फसलें जो अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी बीमाकृत बैंक ऋणी कृषकों का बीमा, बीमा कम्पनियों द्वारा स्वीकृत हुआ या नहीं कब तक स्वीकृत होकर वितरण कराया जायेगा ? (ग) क्या म.प्र. हाईकोर्ट खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा गुना-अशोकनगर जिले के कृषकों की नष्ट फसलों पर बीमा कम्पनियों के बीमा राशि स्वीकृत कर भुगतान के आदेश पारित हुये हैं ? यदि हाँ, तो कब तक बीमा राशि वितरण होगी ? (घ) गुना जिले में ऐसे कितने कृषक हैं, जिनकी फसल तो खरीफ एवं रबी में नष्ट हो गयी थी वह बीमाधारी थे किन्तु बैंकों एवं बीमा कम्पनियों की गलती के कारण उन्हें बीमा राशि नहीं मिली यदि हाँ, तो उन्हें कब तक बीमा राशि मिलेगी और उन कृषकों के नुकसान की भरपायी न होने की दशा में कौन उत्तरदायी होंगे ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मध्यान्ह भोजन प्रदाय में अनियमितता

8. **(*क्र. 2935) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन योजना अन्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज/अध्ययनरत बच्चों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जाता है ? (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कनडीपुरा, जामन्या, मेवासजामन्या, ईमलीपुरा, साटल्यापुरा, दसोडा आदि ग्रामों के स्कूलों के स्व सहायता समूहों की कई बार शिकायतें होने के बावजूद अभी तक अनियमितता करने वाले समूह को हटाकर अन्य समूह को मध्यान्ह भोजन की जवाबदारी नहीं सौंपे जाने का कारण बतावें, तथा अनियमित भोजन प्रदायकर्ता समूहों को कब तक हटाकर नवीन समूह को जवाबदारी दी जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । शासन योजना अन्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज/अध्ययनरत बच्चों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जाता है । (ख) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के नालछा विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम कनडीपुरा, जामन्या, मेवासजामन्या, ईमलीपुरा, साटल्यापुरा, दसोडा आदि ग्रामों के स्कूलों के स्व सहायता समूहों की कई बार शिकायतें जनपद स्तर पर प्राप्त कर जाँच प्रतिवेदन लिये गये है । शासन निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यी समिति की बैठक दिनांक 16.02.2015 को आयोजित की जाकर संबंधित महिला स्व सहायता समूह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में प्रतिउत्तर चाहा गया है । प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर संबंधित समूहों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । साथ ही जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड धरमपुरी अंतर्गत ग्राम दसोडा

में शिवभोलें स्व सहायता समूह के विरूद्ध की गई शिकायत सही पाये जाने पर शिवभोलें स्व सहायता समूह को हटा दिया गया है तथा उसके स्थान पर स्थानीय दुर्गा स्व सहायता समूह को एमडीएम संचालन का दायित्व सौंपा गया है ।

मंडी बोर्ड के अथवा प्रतिनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की जाँच

9. **(*क्र. 1904) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में मण्डी बोर्ड के अथवा प्रतिनियुक्ति पर आये किन-किन मण्डी सचिवों, मण्डी निरीक्षकों के विरूद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कदाचार आदि के मामले में किसी भी प्रकार की जाँच चल रही है ? ये जाँचे कब पूर्ण होंगी ? (ख) विगत पांच वर्षों में सतना जिले के किन-किन मण्डी सचिवों/प्रभारी सचिवों, मण्डी निरीक्षकों की क्या-क्या शिकायतें विभिन्न माध्यमों से मण्डी बोर्ड को प्राप्त हुईं ? प्राप्त शिकायतवार जाँचकर्ता अधिकारी का नाम व निराकरण/कार्यवाही का विवरण दें ? (ग) सतना जिले में कितने अधिकारी-कर्मचारी हैं जिन पर किसी भी प्रकार की जाँच लंबित हैं, किन्तु वे मण्डियों में महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं, क्यों ? इन्हें कब तक महत्वपूर्ण कार्यों से मुक्त कर निलंबित किया जावेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है** । जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताई जाना संभव नही । **(ख)** विगत पाँच वर्षों में सतना जिले के मंडी सचिवों/प्रभारी सचिवों, मंडी निरीक्षकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें संभागीय उपसंचालक/संयुक्त संचालक को पदनाम से सौंपी गई है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है** । **(ग)** उत्तरांश क के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है** । जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्यमंत्री आवास योजना में बैंकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

10. **(*क्र. 777) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री आवास योजना कब प्रारम्भ हुई, तथा जब से प्रारम्भ हुई है प्रतिवर्ष कितने आवेदन मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में मिले ? जनपद पंचायतवार बतायें तथा किस-किस बैंक को कितने-कितने आवेदन किस-किस जनपद पंचायत में प्राप्त हुए ? उसमें से कितनों को स्वीकृति दी गई, कितने लम्बित है व कितने निरस्त कर दिये गये ? क्यों ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना में बैंकों द्वारा हितग्राही को बीस हजार मिलाने व पचास हजार बैंक द्वारा ऋण व पचास हजार शासकीय अनुदान मिलता है तथा किश्तों में पैसे हितग्राही को देते हैं ? इस योजना में बैंकों के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें शासन को मिली व शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? रतलाम जिले की जानकारी दें ।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन दि. 22/02/2011 से प्रारंभ हुआ है । प्रारम्भ से अभी तक इस मिशन में मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में बैंकों को प्रेषित, बैंकों द्वारा स्वीकृत, लंबित एवं निरस्त आवेदनों की जनपद पंचायतवार एवं बैंकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) जी हाँ । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत रतलाम जिले के बैंकों के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

परिशिष्ट - "चार"

मित्रमंडल सहकारी बैंक इंदौर की देनदारियां

11. **(*क्र. 1355) श्री राजेश सोनकर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर स्थित मित्रमंडल सहकारी बैंक अनियमितताओं के कारण भंग कर दी गई है ? यदि हाँ, तो एक लाख से उपर वाले कितने सदस्य हैं, जिनको राशि वापिस नहीं की गई ? (ख) 31.01.15 की स्थिति में बैंक में पुरानी वसूली राशि कितनी जमा है और कितनी देनदारियां बाकी हैं ? (ग) एक लाख के उपर वाले सदस्यों की राशि कब तक वापिस दिये जाने की संभावना है ? संस्था की कौन-कौन सी अचल संपत्ति है ? (घ) आर्थिक अनियमितता करने वाले संचालक मंडल के किन-किन सदस्यों पर क्या-क्या कार्यवाही 31.01.15 की स्थिति में की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बैंक के निर्वाचित संचालक मण्डल में निर्धारित कोरम का अभाव उत्पन्न हो जाने से संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें इन्दौर के आदेश दिनांक 19-06-2002 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (13) के अंतर्गत संचालक मण्डल को हटाया गया. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिनांक 18-06-2004 को बैंक का बैंकिंग लायसेंस निरस्त किये जाने एवं पत्र दिनांक 21-06-2004 से बैंक को परिसमापन में लाने की अध्यापेक्षा किये जाने से अधिनियम की धारा 69-ए के अंतर्गत संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये, संभाग इन्दौर के आदेश दिनांक 11-10-2004 से बैंक को परिसमापन में लाया गया है. दिनांक 31-01-2015 की स्थिति पर एक लाख रूपये से ऊपर राशि के 416 सदस्यों की राशि वापिस नही की गई है. (ख) दिनांक 31-1-2015 की स्थिति में पुरानी वसूली राशि रू. 271.98 लाख जमा है और कुल देनदारी राशि रू. 1437.14 लाख बाकी है. (ग) निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी अधिनियम 1961 की धारा 21 (2) के अनुसार एक लाख से अधिक राशि का भुगतान तब तक संभव नहीं है जब तक निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम से बैंक को प्राप्त क्लेम राशि रू. 1432.30 लाख में से शेष राशि रू. 713.51 लाख निगम को वापिस नहीं लौटायी जाती है. एक लाख से ऊपर वाले सदस्यों की राशि वापिस किये जाने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है. संस्था के स्वयं के आधिपत्य/ स्वामित्व का भवन 113, नन्दलालपुरा इंदौर में है. (घ) आर्थिक अनियमितता करने वाले बैंक के पूर्व अध्यक्ष/तत्कालीन संचालक श्री गोवर्धन जोशी को संचालक पद एवं बैंक की सदस्यता से निष्कासित किया गया तथा पूर्व अध्यक्ष श्री गोवर्धन जोशी एवं उनके पुत्र

श्री रमेन जोशी के विरूद्ध भा.द.वि.की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी) , 13 (2) के अधीन पुलिस थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र, इंदौर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जो अपराध प्रकरण क्रमांक 343/02 दिनांक 30-08-2002 से पंजीबद्ध है.

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

12. **(*क्र. 854) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के माध्यम से सड़क निर्माण के कार्य करवाये जा रहे हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजनाओं के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों के निर्माण के बावजूद शेष बची अन्य अत्यावश्यक आवागमन की सड़कों के संबंध में क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? (ग) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा विकासखण्ड एवं जावरा विकासखण्ड अंतर्गत ऐसे कितने अत्यावश्यक आवागमन के ग्रामीण मार्ग हैं, जो सड़कविहीन होकर जीर्ण-शीर्ण, उबड़-खाबड़ स्थिति में है ? (घ) क्या उक्त प्रकार की सड़कों को चिन्हित किया गया है तथा इस हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के माध्यम से सड़क निर्माण के कार्य करवाये जा रहे है । (ख) जी नहीं । अत्यावश्यक आवागमन की सड़कों के निर्माण के संबंध में अलग से ग्रामीण विकास विभाग की कोई योजना नहीं है । (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

खाद्य अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न दुकानों का निरीक्षण

13. **(*क्र. 1284) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में क्या खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को प्रतिमाह खाद्यान्न की दुकानों का निरीक्षण करने हेतु शासन द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से दिसंबर 2014 तक की अवधि में उपरोक्त अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुसार किए गए निरीक्षण, भ्रमण के दिवस, रात्रि विश्राम की जानकारी प्रदाय करें । (ख) उपरोक्त अवधि में ऐसी कितनी दुकानें पाई गईं, जिनमें कमियां थी और खाद्य अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? दुकानों का नाम एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदाय करें एवं ऐसी कितनी दुकानें थी जिनमें कमियां पाए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई ? (ग) इसी प्रकार छतरपुर जिले में जिन खाद्य अधिकारियों तथा खाद्य निरीक्षकों (सहायक आपूर्ति आधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी) द्वारा वर्ष 2013 से दिसंबर 2014 की अवधि में लक्ष्य के अनुसार मासिक निरीक्षण नहीं किए, उन अधिकारियों के नाम देवें तथा यह भी बतावें कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही

की गई ? यदि नहीं तो क्यों, कब तक की जाएगी ? (घ) क्या अगस्त 2014 में ग्राम बूदौर तहसील व जिला छतरपुर की खाद्यान की दुकान की जाँच किसी अधिकारी द्वारा की गई थी ? यदि हाँ, तो जाँच का विवरण तथा उसमें की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदाय की जावे ? क्या इस प्रकरण में सहायक खाद्य अधिकारी के विरूद्ध मामला दबाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दिया जावे ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 की कंडिका 8 (1) के अंतर्गत तीन माह में शत-प्रतिशत दुकानों के निरीक्षण हेतु राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए कलेक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार करने का प्रावधान है । प्रश्नाधीन अवधि में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण, भ्रमण एवं रात्रि विश्राम की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में निरीक्षित दुकानों का नाम, उनमें पाई गई अनियमितता का विवरण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** । ऐसी दुकानों की संख्या निरंक है, जिनमें अनियमितता मिलने के बावजूद कार्यवाही नहीं की गई । (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के पूर्व वर्ष 2013 में हितग्राहियों के डाटा का कम्प्यूटरीकरण कराने, पात्र परिवारों की पात्रता पर्चियों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य विभागीय दायित्वों को निर्वहन के कारण रोस्टर अनुसार निरीक्षण नहीं हो सका । कम निरीक्षण करने वाले खाद्य विभाग के अधिकारियों के नामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (घ) जी हाँ । जाँच का विवरण एवं तदुपरांत की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है** । जी नहीं, शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>कृषि महोत्सव पर व्यय</u>

14. **(*क्र. 1654) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से म.प्र. सरकार द्वारा कृषि महोत्सव पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) प्रशासक अनुसार म.प्र. के सभी विकासखण्डों में कृषि रथ के भ्रमण पर कितना खर्च किया गया ? विकासखण्डवार खर्च का ब्यौरा दें । कृषि रथ के संचालन हेतु टेण्डर की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ? (ग) कृषि महोत्सव के दौरान कितने कृषि मेले एवं संगोष्ठी आयोजित किये गये ? इन मेलों एवं संगोष्ठी पर कितना खर्च किया एवं किसानों की उपस्थिति कितनी थी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ग) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान 44 कृषि विज्ञान मेले एवं 310 विकासखण्ड स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई । मेलों में खर्च की गई राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

श्योपुर जिले में पृथक को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना

15. **(*क्र. 1193) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 81 (क्रमांक-757) दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में अवगत कराया गया है, कि को-ऑपरेटिव बैंक का द्विभाजन कर श्योपुर जिले में पृथक को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना हेतु को-ऑपरेटिव बैंक मुरैना से निर्धारित प्रपत्रों पर जानकारी एवं प्रस्ताव चाहा गया है, के प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी ? तो क्या चाही गई जानकारी एवं प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो इस प्रकरण में वर्तमान तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक जानकारी एवं प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जावेगा ? (ख) क्या यह सच है कि को-ऑपरेटिव बैंक मुरैना से उक्त जानकारी एवं प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन श्योपुर जिले के नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जानकारी एवं प्रस्ताव शीघ्र मंगवायेगा तत्पश्चात् नियमानुसार सभी कार्यवाही पूर्ण करके उसे अनुशंसा सहित रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्रेषित करेगा, यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. जी नहीं. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2015 की स्थिति पर बैलेंसशीट तैयार होने के उपरांत आमसभा में निर्णय लिये जाने के पश्चात् निर्धारित प्रारूपों सहित प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा. (ख) जी हाँ. (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वितरण

16. **(*क्र. 1680) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि पिछले कई महिनों से जौरा विधानसभा क्षेत्र में निराश्रितों/वृद्धजनों को वितरित नहीं की जा रही है ? (ख) जौरा विधानसभा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि पिछले कितने माह से वितरित नहीं की गई और कितनी राशि वितरण हेतु शेष है, राशि वितरण में अवरूद्धता के क्या-क्या कारण रहे हैं ? (ग) सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि की अवरूद्धता का निराकरण कर निराश्रितों को राशि वितरण कराई जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और माहवार राशि वितरण में नियमितता लाने में कितना समय लगेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जौरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत पहाड़गढ़ जौरा एवं कैलारस की ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि माह अप्रैल 2014 से प्रत्येक माह समग्र पोर्टल में प्रपोजल के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में भेजी जा रही है । (ख) मुरैना जिले की जौरा विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है । वितरण हेतु कोई राशि शेष नहीं है । (ग) सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का वितरण माहवार किये जाने से कार्य अवरुद्धता नहीं है ।

किसान सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों का निर्माण

17. **(*क्र. 1312) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्र क्रमांक/निर्माण/सी.एम./2535, भोपाल दिनांक 01.09.2014 में कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार किसान सड़क निधि से स्वीकृति हेतु ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु संबंधित विभागों से एन.ओ.सी. एवं डी.पी.आर. तथा स्थल निरीक्षण कर तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तावों में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कौन-कौन सी ग्रामीण सड़कों के प्रस्ताव सम्मिलित थे तथा क्या उक्त प्रस्तावों में डी.पी.आर. तथा तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त मार्गों की कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य करा दिया जावेगा ? (ग) उपरोक्तानुसार यदि डी.पी.आर. तथा तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ । (ख) विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत प्रस्तावित चार ग्रामीण सड़कों के प्रस्ताव सम्मिलित है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । उपरोक्त प्रस्ताव को किसान सड़क निधि के अंतर्गत गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले एजेण्डा में स्वीकृति के निर्णय हेतु सम्मिलित किया गया है । साधिकार समिति की बैठक की तिथि अभी नियत नहीं है । अत: समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) उपरोक्त कार्यों के प्रथम स्तरीय अनुमानक तैयार किये गये हैं । किसान सड़क निधि अंतर्गत साधिकार समिति की बैठक में सड़कों की स्वीकृति का निर्णय होने के उपरांत विस्तृत डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी । शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "पांच"

कार्यपालन यंत्री का पद परिवर्तन

18. **(*क्र. 365) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामाजिक न्याय विभाग संचालनालय के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री दृष्या शामय का पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में उक्त पद पर श्री एस.के. नेमा कार्यरत हैं ? इनके पद के परिवर्तन अधिकार किसे प्राप्त हैं ? (ख) क्या यह सही है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्वविवेक से भर्ती नियमों के विपरीत कार्यपालन यंत्री के पद को उप संचालक के पद पर परिवर्तन करने की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं नियमों के विपरीत की गई है ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की गई उपरोक्त अनियमित कार्यवाही को निरस्त करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ? (घ) सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी श्री एस.के. नेमा

कार्यपालन यंत्री के पद को उपसंचालक पंचायत के पद पर परिवर्तन करने एवं सेवायें नियम विरूद्ध पंचायत राज संचालनालय को अंतरित की गई है ? यदि हाँ, तो उक्त नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के लिये संबंधित दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । जी नहीं । मंत्री परिषद को । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्टापडेम काजवे का अधूरा निर्माण कार्य

19. **(*क्र. 350) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि जतारा विकासखण्ड के तहत स्टापडेम काजवे टौरिया घाट रतनगुंवा के नाम से प्रशासकीय स्वीकृति क्र.2117 दिनांक 30/10/08 में की गई थी ? जिसका कार्य दिनांक 03/06/09 को प्रारंभ किया गया और उक्त कार्य उपयंत्री R.E.S के द्वारा कुछ कार्य करा कर तथा राशि का आहरण करके उसे अधूरा छोड़ दिया गया, जिसमें ग्राम-बछौड़ा खिरक के ग्रामीणजनों को आवागमन में कठिनाई होती है ? (ख) उक्त निर्माण कार्य कितनी लागत का था उसमें से कितनी राशि का आहरण कर लिया गया कितनी शेष है मूल्यांकन के आधार पर कितना कार्य कराया गया ? (ग) उक्त कार्य अधूरा क्यों छोड़ा गया, विभाग द्वारा लापरवाही करने वाले उपयंत्री के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, आगे क्या कार्यवाही करेगें तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करायेंगे समयावधि बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । निर्माण कार्य वर्तमान में अपूर्ण है । कार्य पर अद्यतन व्यय राशि रू. 48.25 लाख का हुआ है । कार्य अपूर्ण रहने से ग्रामीणजनों को आवागमन में कठिनाई होती है । (ख) उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू. 49.96 लाख है । इस राशि से रू. 48.25 लाख का आहरण किया गया एवं राशि रू. 1.71 लाख शेष है । स्थल पर बेड लेबिल तक कार्य कराया गया है । (ग) कार्य की लागत प्रशासकीय स्वीकृति से बढ़ने के कारण राशि के अभाव में अपूर्ण है । निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पूर्ण कराए जाने की कार्यवाही की जावेगी । निर्माण कार्य की विस्तृत जाँच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से कराई जाकर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।

मनरेगा के तहत राशि व्यय में अनियमितता

20. **(*क्र. 62) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ? (ख) इस अवधि में जिले में कितने ग्रामों में

कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ और उन्हें कितनी धनराशि मजदूरी के रूप में भुगतान की गई ? (ग) इस अवधि में रोजगार अवसर न मिलने के कारण कितने व्यक्तियों को मनरेगा के तहत काम के बिना ही घर बैठे मजदूरी का भुगतान किया गया और कुल कितना भुगतान किया गया ? (घ) मनरेगा में काम न मिलने, मजदूरी का समय पर भुगतान न होने तथा मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी घोटाले, भ्रष्टाचार के संबंध में क्या शासन को शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो उनका संक्षिप्त में विवरण दीजिए ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पन्ना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक आवंटित एवं खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है - (वित्तीय वर्ष 2012-13 प्राप्त राशि 6201.55 व्यय राशि 5349.57, वर्ष 2013-14 प्राप्त राशि 5601.88 व्यय राशि 5341.89 एवं वर्ष 2014-15 प्राप्त राशि 4667.12 व्यय राशि 3803.45 कुल योग प्राप्त राशि 16470.55 एवं व्यय राशि 14494.91 लाख) (ख) उक्त अवधि में जिले में 1022 ग्रामों में 1.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय कर उन्हें राशि रू. 7826.67 लाख मजदूरी के रूप में भुगतान किये गये । (ग) जानकारी निरंक है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** ।

गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण

21. **(*क्र. 953) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान के राशन कार्ड धारियों की संख्या, जनसंख्या कितनी-कितनी है ? (ख) जनसंख्या के मान से कितना-कितना राशन उन्हें शासन उपलब्ध करवा रहा है ? मदवार ब्यौरा दें ? (ग) म.प्र. के इन राशन कार्ड धारियों को निर्धारित राशन की कितनी मांग केन्द्र सरकार से वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक की गई ? कितना राशन मांग विरूद्ध प्राप्त हुआ ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्त्योदय एवं बीपीएल परिवारों की संख्या क्रमश: 17,11,379 एवं 62,46,002 है । उक्त परिवारों की लाभान्वित होने वाली जनसंख्या क्रमश: 72,39,064 एवं 2,89,22,852 है । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अन्त्योदय परिवारों को न्यूनतम 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मक्का) , 1 कि.ग्रा. नमक, 1 कि.ग्रा. शक्कर एवं 5 लीटर केरोसीन प्रति परिवार के मान से प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है । प्राथमिकता परिवारों (बीपीएल परिवार सहित) को 5 कि.ग्रा. प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मक्का) एवं प्रति परिवार के मान से 1 कि.ग्रा. नमक, 1 कि.ग्रा. शक्कर एवं 4-5 लीटर केरोसीन प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है । (ग) भारत सरकार से पूर्व निर्धारित आवंटन मासिक 2,28,043 मैं. टन प्राप्त होता रहा है । राज्य सरकार द्वारा **संलग्न परिशिष्ट**

अनुसार अतिरिक्त आवंटन मांगा गया था जो प्राप्त नहीं हुआ । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद राज्य सरकार को मांग अनुसार आवंटन प्राप्त हो रहा है ।

परिशिष्ट - "छः"

सहकारी संस्थाओं का वार्षिक आडिट/निरीक्षण

22. **(*क्र. 984) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2009 के पूर्व सहकारी संस्थाओं का वार्षिक आडिट सहकारी विभाग के आडिटरों द्वारा किया जाता था ? यदि हाँ, तो क्या इससे सहकारी संस्थाओं पर विभाग का पर्याप्त नियंत्रण था ? (ख) क्या वर्ष 2009 के बाद से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का वार्षिक आडिट निजी आडिटर से कराने का ऐच्छिक विकल्प दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इस निर्णय से विभाग के आडिटर/स्टॉफ शासकीय कार्य से मुक्त हो गया है ? (ग) क्या यह सही है कि सहकारी संस्थाओं में आडिट का ऐच्छिक विकल्प देने से लगभग समस्त संस्थाएं निजी आडिटरों से आडिट करा रही हैं ? जिसके कारण आर्थिक अनियमितता की संभावना बढ़ रही है तथा संस्थाओं पर सहकारी विभाग का नियंत्रण समाप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो इसके सुधार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? (घ) क्या आडिट के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं का नियमित निरीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है ? भविष्य में किसानों को सहकारी संस्थाओं से अधिक फायदा मिले इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, विभागीय आडिटरों के साथ सनदी लेखापाल फर्मों से अंकेक्षण कराने का प्रावधान था. संस्थाओं पर सहकारिता विभाग का पर्याप्त नियंत्रण था. (ख) जी नहीं, कतिपय सहकारी संस्थाओं के लिये विभागीय अंकेक्षक के साथ-साथ सनदीलेखापाल से अंकेक्षण कराने का वैकल्पिक प्रावधान 06.02.1997 से प्रभावशील है जिसे वर्ष 2007 में संशोधित किया गया. दिनांक 13.02.2013 से समस्त संस्थाओं के लिये एक समान प्रावधान किया जाकर पंजीयक द्वारा अनुमोदित पेनल के संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म (विभागीय अंकेक्षक/सनदी लेखापाल फर्म) में से संस्था की आमसभा को चयन के विकल्प के अधिकार दिये गये है. जी नहीं. (ग) जी नहीं. जी नहीं. अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत सहकारी संस्थाओं पर सहकारिता विभाग का पर्याप्त नियंत्रण है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जी हाँ. अंकेक्षण के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण के भी निर्देश हैं, इसी अनुक्रम में संस्थाओं के निरीक्षण कराये जा रहे है. किसानों के फायदे के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण, उन्नत खाद-बीज इत्यादि कृषि आदान उपलब्ध कराये जाने के साथ सहकारी संस्थाओं में नवीन गोदामो का निर्माण, बीज संघ द्वारा गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत मिनी मार्केट सह गोदाम संबंधी अधोसंरचना निर्मित किये जा रहे है.

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच

23. **(*क्र. 219) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में कितने निर्माण कार्य विभिन्न पंचायतों में दिये गये ? उपरोक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई है ? यदि हाँ, तो कब की गई, किन अधिकारियों के द्वारा की गई ? (ख) नागदा खाचरौद विधानसभा में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान की कितनी राशि शेष है ? यदि भुगतान शेष है, तो कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष २०१२-१३ में ९८७ एवं वर्ष २०१३-१४ में ५४९ निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किये गये । निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसमें उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक कार्य के मूल्यांकन के समय एवं सहायक यंत्री द्वारा कार्य के सत्यापन के समय की गई है । (ख) नागदा-खाचरोद विधानसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कुल २३३ निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, उक्त निर्माण कार्यों में राशि रू. ९१.८७ लाख का भुगतान होना शेष है । भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी ।

बैंक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

24. **(*क्र. 1688) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि गुना जिले के जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) के कर्मचारियों को विगत 18 महिनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हाँ, तो इसका कारण बतायें ? (ख) जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) की सेवा शर्तों में क्या यह उल्लेख है कि वसूली होने पर ही कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं तो उनका वेतन किस आधार पर रोका गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. गुना द्वारा किए गए ऋण वितरण की वसूली न किये जाने से. (ख) जी नहीं. वेतन रोका नहीं गया है वरन उत्तरांश "क" में दर्शित कारण से बैंक की आय एवं तरलता के अभाव में बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा है.

कृषि उपज मण्डी समिति गुना के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता

25. **(*क्र. 876) श्रीमती ममता मीना :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी समिति गुना के प्रथम सम्मेलन दिनांक 18/7/2013 से साधारण सम्मेलन 26/7/2014 तक एक मी. निर्माण कार्य की प्रशासनिक दर स्वीकृत नहीं की है और न ही समिति के अध्यक्ष को अधिकृत किया है ? यदि नहीं, तो क्या इस अवधि में करोड़ों के निर्माण कार्यों का फर्जी भुगतान क्यों और किस नियम से किया ? कारण बतायें । (ख) क्या कृषि उपज मण्डी समिति गुना के तत्कालीन सचिव द्वारा मण्डी समिति के प्रस्ताव के विरूद्ध व्यापारी लायसेन्स बनाये और रिन्यू किये हैं ? यदि हाँ, तो कैसे, क्या विभाग ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो कब करेंगे ? (ग) क्या तत्कालीन कार्यवाहक सचिव श्री मनोज शर्मा के पत्र क्रं./मण्डी/प्लाट/13-14/3080, गुना, दिनांक 24/2/2014 को संयुक्त संचालक, कृषि विपणन बोर्ड, ग्वालियर को भेजा था ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ? (घ) कृषि उपज मण्डी समिति गुना के द्वारा दिनांक 18/7/13 से 26/7/14 तक कोई भी प्रशासनिक दर स्वीकृत निर्माण कार्यों की नहीं की फिर भी मण्डी के कर्मचारी, अधिकारियों ने करोड़ों रूपये के निर्माण कार्यों का भुगतान करने में अनियमितता की है, तो क्या विभाग परीक्षण कर कार्यवाही करेगा, कब तक ? कारण सहित बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मंडी समिति गुना द्वारा दिनांक 18.07.13 से 26.07.14 तक की अवधि में निर्माण कार्यो की निविदा (प्रशासनिक) दर स्वीकृत नहीं की गयी है तथा ना ही निर्माण कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की गयी है । अपितु मंडी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2014 के प्रस्ताव क्रमांक 22 के अनुसार पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों की निविदा दर की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है । निर्माण कार्यों की निविदा दर कार्यपालन यंत्री, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर की अनुशंसा पर मंडी समिति को स्वीकृति के अधिकार निहित है । उपरोक्त प्रकरण में कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर मंडी सचिव द्वारा निविदा दर स्वीकृत की गयी है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन दिनांक 26.07.2014 को मंडी समिति से प्राप्त किया गया है । निर्माण कार्यों के देयकों का भुगतान नियमानुसार कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा देयक पारित किये जाने के उपरांत भुगतान किये गये है । अतएव शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(ख)** श्री आर.आर. पचौरी, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना के विरूद्व प्रश्नाधीन प्रकरण की जाँच प्रक्रियाधीन है । इस जाँच के पूर्ण होने पर प्रकरण की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी, इसके लिये समय-सीमा बताना संभव नहीं है । **(ग)** तत्कालीन कार्यवाहक सचिव श्री मनोज शर्मा, मंडी समिति गुना द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 3080 दिनांक 24.02.2014 के संदर्भ में तत्कालीन सचिव, श्री एस.डी. गुप्ता से जाँच कराई गई । जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मंडी समिति के स्वीकृति के बगैर अनुज्ञप्ति जारी करने के कारण श्री त्रिपाठी को आदेश क्र. मंडी/कार्मिक/अ-2/1264/720 भोपाल दिनांक 30.09.2014 से निलंबित किया गया है । **(घ)** मंडी समिति गुना द्वारा दिनांक 18.07.13 से 26.07.14 तक की अवधि में निर्माण कार्यों की

निविदा (प्रशासनिक) दर स्वीकृत नहीं की गयी है । अपितु मंडी समिति की बैठक दिनांक 26.07.14 के प्रस्ताव क्र. 22 के अनुसार पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों की निविदा दर की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है । उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अवधि में निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी हैं । निर्माण कार्यों के देयकों का भुगतान नियमानुसार कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा देयक पारित किये जाने के उपरांत भुगतान मंडी द्वारा किया गया है । अतएव शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

शुजालपुर जनपद पंचायत में प्राप्त शिकायतों की जांच

1. **(क्र. 34) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शुजालपुर जनपद पंचायत में अनियमितताओं की शिकायत जनप्रतिनिधियो के द्वारा संभाग आयुक्त उज्जैन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर को की गई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों की जांच किनके द्वारा कराई गई ? क्या आर्थिक अनियमितता की शिकायतें जांच में सही पाई गई ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? (ग) शुजालपुर जनपद पंचायत की जनवरी 2014 से 15 जनवरी 2015 तक साधारण सभा की कितनी बैठकें हुई ? अन्य समितियों की कितनी बैठके हुई ? सभी प्रकार की बैठकों के प्रस्ताव ठहराव की प्रति उपलब्ध कराये ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जनपद पंचायत में मासिक एवं वार्षिक बैंक समाधान पत्रक क्या तैयार किये गये है ? यदि हां, तो वर्ष 2008 से 2014 तक के बैंक समाधान पत्रक की प्रति उपलब्ध करावे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ,संबंधित प्रकरण में जिला पंचायत शाजापुर द्वारा जांच करायी गयी, जिसमें श्री नंदकिशोर शर्मा,सहायक लेखाधिकारी, जनपद पंचायत शुजालपुर के संबंध में शिकायत प्रथम दृष्ट्या सही पायी गयी । संबंधित सहायक लेखाधिकारी,जनपद पंचायत शुजालपुर को तत्कालीन रुप से कार्यालयीन आदेश क्रं. 5768 दिनांक 06.12.2014 के द्वारा जनपद पंचायत शुजालपुर से जनपद पंचायत आगर में अनुलग्न किया गया । श्री नंदकिशोर शर्मा द्वारा मान.उच्च न्यायालय इंदौर में प्रकरण क्रं. 9008/2014 के माध्यम से स्थगन लिया गया है । (ग) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विपुल उत्पाद की अधिकतम ऋण सीमा

2. **(क्र. 35) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले की प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएँ मर्यादित अमलाय (पत्थर की) चाकरोद, देहण्डी एव उगली की वर्ष 2007 से 2014 तक वर्षवार सदस्य संख्या कितनी-कितनी रही ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटी के सदस्यो की नकद ऋण एवं खाद बीज पर ऋण की अधिकतम सीमा कितनी-कितनी रखी गई है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटियों में वर्ष 2007 से 2014 तक वर्षवार नार्मल/मांग अनुसार कितनी-कितनी राशि जिला मुख्यालय से मांगी गई थी ? और कितनी-कितनी राशि संस्थावार प्रदान की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटी में लघु एवं सीमान्त कृषकों की अंशपूँजी की सीमा क्या है ? एवं विपुल उत्पाद (टमाटर,आलु, प्याज, लहसन) की अधिकतम ऋण सीमा क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है.** (ख) एक सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा रूपये 3.00 लाख है, जिसमें नकद ऋण की रूपये 2.10 लाख तथा वस्तु ऋण की रूपये 0.90 लाख है. (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है.** (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है**.

परिशिष्ट - "सात"

कृ.उ.मं. कटनी की अनियमितताओं पर कार्यवाही

3. **(क्र. 120) श्री मोती कश्यप :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपसंचालक कृषि उपजमण्डी बोर्ड जबलपुर ने अपने पत्र दिनांक 04-10-2014 द्वारा उपसंचालक कृषि उपज (नियमन) मण्डी बोर्ड, भोपाल को कृ.उ.मं. कटनी के अंतर्गत किन्हीं दाल मिलों द्वारा किन्हीं वर्षों में राज्य के बाहर से आयातित दलहन एवं प्रसंस्करण पर किनके संबंध में जानकारी प्रेषित की गई है ? (ख) क्या राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 28-10-2014 एवं 06-12-2014 द्वारा जबलपुर एवं कटनी की किन दाल मिलों से वसूली और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध किन्हीं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क),(ख) के निर्देशों के अंतर्गत उपसंचालक व सचिव कृ.उ.मं. जबलपुर द्वारा क्या कभी दोषी मिल के क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति के निलम्बन और वसूली की आर.आर.सी. जारी करने की कोई कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और कब किन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी हॉ । वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 28.10.2014 एवं दिनांक 06.12.2014 से केवल कृषि उपज मंडी समिति कटनी में उत्तरांश "क" के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति कटनी की दाल मिलों के विरूद्ध म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है । (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति, कटनी द्वारा संबंधित दालमिलों से मंडी फीस की वसूली हेतु सूचनार्थ पत्र दिनांक 20.12.2014 तथा कारणदर्शी सूचना पत्र दिनांक 31.01.2015 को जारी किये गये है । जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (घ) प्रश्नाधीन मामले में मंडी बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया: दोषी पाये गये श्री एम.पी.पाल एवं श्री यू.के.मुद्गल तत्कालीन मंडी सचिव कटनी को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 25.11.2014 तथा कृषि उपज मंडी समिति कटनी सेवा के श्री पी.डी.पाठक सहायक लेखापाल, श्री मुकेश राय सहायक ग्रेड-3, श्री आर.पी. खम्पारिया सहायक ग्रेड-3 को मंडी समिति कटनी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 11.12.2014 जारी किये गये है,जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट - "आठ"

ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण

4. **(क्र. 185) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उखरावल से ढोढ़ी टोला मार्ग लम्बाई 6 कि.मी. की कितनी राशि स्वीकृत की गई थी, क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ? यदि नहीं तो कारणों सहित जानकारी देवें ? (ख) सिंगरौली जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किन-किन सड़कों की स्वीकृति दी गई है तथा इनके निर्माण संबंधी वास्तविक स्थित क्या है, कब तक में पूरा कराया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) सिंगरौली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ओखरावल से कुम्हिया व्हाया ढोढी टोला मार्ग लंबाई6.00 कि.मी. के निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत रू. 77.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है । जी नहीं । विभिन्न प्रकार के चुनाव कार्य में अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी रहने से कार्य प्रभावित रहा । वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यों की पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

ग्वालियर जिले में ग्रामीण सड़क मार्ग का निर्माण

5. **(क्र. 253) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला ग्वालियर के खुरैरी बड़ागांव से वाया सिरसौद जिगतियॉ मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराया था ? उक्त सड़क के निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई थी ? (ख) उक्त मार्ग की निर्माणाधीन अवधि (किस सन् में हुई) बतायें ? (ग) उक्त मार्ग के निर्माण के पश्चात् कितनी बार एवं कब-कब मरम्मत एवं मैंनटेनेंस कार्य किया गया ? उक्त कार्यों पर कब-कब, कितनी राशि व्यय हुई ? कृपया पूर्ण विवरण देवें ? क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त रोड अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गई है ? (घ) उक्त मार्ग की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुये इसका मेंटनेंश एवं मरम्मत कार्य कब कराया जावेंगा ? समय-सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । ग्वालियर जिले की खुरेरी से जिगनिया मार्ग व्हाया बडागांव से बाया सिरसौद जिगनिया मार्ग निर्माण में रू. 555.50 लाख का व्यय किया गया है । (ख) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 30.09.2009 को पूर्ण कराया गया है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । वर्तमान में उक्त मार्ग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है । (घ) वर्तमान में उक्त मार्ग की गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है । आगामी पांच वर्षो के संधारण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "नौ"

कृषि उपज मंडी का नवीन प्रांगण में स्थानांतरण

6. **(क्र. 306) श्री अरूण भीमावद :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपजमंडी मोहन बड़ोदिया का नव निर्मित भवन एवं प्रांगण का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? तथा कृषि उपज मंडी अपने नवीन भवन में स्थांनातरित हो चुकी है ? (ख) यदि नहीं, तो कब तक स्थानांतरित होगी ? समयावधि बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) कृषि उपज मंडी मोमन बड़ोदिया के नवीन मंडी प्रागंण में नवनिर्मित भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं प्रागंण में एक कव्हर्ड शेड, एक ट्रालीशैड, सार्वजनिक शौचालय, पानी की टंकी, चेकपोस्ट, प्रागंण में विघुतीकरण, बाउण्ड्रीवाल एवं पाईपलाईन इत्यादि का कार्य पूर्ण है । कृषि उपज मंडी अपने नवीन प्रागंण में स्थानांतरित नहीं हुई है । (ख) कृषि उपज मंडी मोमन बड़ोदिया की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण प्रांगण में आवश्यक सुविधाओं में आंतरिक सड़के एवं समतलीकरण का कार्य शेष है । प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो को कराने की कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिससे की मंडी नवीन प्रांगण में स्थानांतरित की जा सके । समय-सीमा बताया जाना संभव नही है ।

टीकमगढ़ जिलान्तर्गत पेंशन का भुगतान

7. **(क्र. 351) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि टीकमगढ़ जिले के विकासखण्ड जतारा, एवं पलेरा, एवं बल्देवगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धा पेंशन लगभग आठ-दस महीनों से नहीं मिल पा रहा है ? कारण स्पष्ट करें, तथा कितने समय बाद पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी ? (ख) क्या यह सच है कि उक्त वृद्धा पेंशनधारियों के खातों से डाक विभाग के कर्मचारी फर्जी अंगूठा/हस्ताक्षर बना कर राशि निकाल लेते हैं ? क्या उन दोषी कर्मचारियों की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक जांच करायेंगे ? समयावधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना के चयन किये जाने हेतु जनपद स्तर पर कोई समिति गठित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक करायेंगे ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं ।टीकमगढ़ जिले के विकास खण्ड जतारा, पलेरा एवं बल्देवगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का माह दिसम्बर 2014 तक भुगतान कर दिया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जिला कार्यालय को इस संबंध में कोई शिकायते प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) ग्रामीण/नगरीय निकाय द्वारा पात्रता पेंशन स्वीकृत की जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिला/जनपद पंचायत कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन योजना का लाभ

8. **(क्र. 366) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शून्यकाल सूचना क्रमांक 52 (जुन-जुलाई 2014 सत्र) के उत्तर तथा पंचायती राज संचालनालय म.प्र. का पत्र क्रमांक/बजट 2014-15/12969 भोपाल दिनांक/17/11/2014 में दी गई जानकारी अनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया गया हैं किन्तु न्यूनतम पेंशन की उपलब्धता का कोई प्रावधान योजना में नहीं रखा गया है ? (ख) वर्तमान में प्रदेश की सभी जिला/जनपद कर्मचारियों से अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत उनके वेतन से 10% की जो राशि काटी जा रही है उसका हिसाब एवं फन्ड मेनेजमेन्ट की क्या व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है बताये ? यदि नहीं तो उक्त राशि कहां जमा की जा रही है ? (ग) क्या प्रदेश के जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों की भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F) योजना से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सेवादारों को न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जाता है ? इस योजना में इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन लाभ देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? या फिर अंशदायी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन प्रदान करने हेतु प्रावधान करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत हिसाब एवं फंड मेनेजमेंट की व्यवस्था हेतु एन.एस.डी.एल. को अधिकृत किया गया है,किंतु एन.एस.डी.एल. द्वारा पंचायत राज संचालनालय तथा जिला/जनपद पंचायतों को योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही अभी तक नहीं किये जाने के कारण कर्मचारियों के अंशदान से कटोत्रा की गई राशि संबंधित संस्था को अंतरित नहीं की जा सकी है । वर्तमान में राशि इस प्रयोजन हेतु जिला पंचायतों द्वारा खोले गये खाते में जमा की जा रही है । पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर एन.एस.डी.एल.को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी । (ग) वर्तमान में शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है । नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सेवा निवृत्त होने पर अभिदाता द्वारा कुल जमा अंशदान के 40 प्रतिशत राशि से एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्यूटी क्रय किया जावेगा, जिससे अभिदाता को एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी । इस पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेग्यूलेटरी डब्लपमेट भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है । इस सिस्टम से न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभांवितों की संख्या

9. **(क्र. 394) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत प्रत्येक पंचायत में जो आवेदन आए थे अथवा शासकीय तौर पर जिन हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ होना है, उसके प्रस्ताव पंचायत सचिव एवं जनपद पंचायत के माध्यम

से बैकों में भेजे गए हैं ? हां, तो जिस दिनांक से योजना पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू हुई, तब से कसरावद विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों में प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव आए, कितनों को इस योजना का लाभ मिला और कितने शेष हैं और क्यों ? कारण सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित शेष हितग्राहियों को कब तक इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, समयसीमा बतावें ? (ग) क्या इस योजना को प्राप्त करने के लिए कोई नियम या आवश्यक दस्तावेज देने पर ही योजना का लाभ मिलता है ? हां, तो नियम व दस्तावेज क्या हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के प्रारम्भ से प्रश्न दिनॉक तक, इस मिशन में विधानसभा क्षेत्र कसरावद की पंचायतों में 3992 आवेदन प्राप्त हुए थे । इन आवेदकों में से, 2175 हितग्राहियों को इस मिशन में लाभान्वित किया गया है । इस मिशन में जिले के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप, हितग्राहियों को आवासीय ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए जाते हैं । अतः सभी शेष (1817) पात्र आवेदकों को, एक साथ लाभान्वित करना संभव नहीं है । यह मिशन एक सतत् प्रक्रिया है । (ख) उक्त शेष हितग्राहियों को लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता के क्रम में, इस मिशन में लाभान्वित करने की प्रक्रिया निरन्तर है । निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ । इस मिशन से सम्बन्धित नीति/दिशा निर्देश, इत्यादि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है ।**

कटनी जिले में संचालित राशन दुकानें

10. **(क्र. 415) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले की सेवा सहकारी समिति रैपुरा एवं रीठी में कौन-कौन राशन दुकाने और खाद्य बीज दुकाने संचालित है इनके विक्रेता या प्रभारी कौन-कौन कर्मचारी है ? जनवरी 2009 से जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) की जांच खाद्य एवं सहकारिता विभाग के किस अधिकारी द्वारा कब की गई ? जांच का परिणाम क्या रहा है बताये ? (ग) प्रश्नांश (क) की लिखित या मौखिक शिकायत कब किसने की ? शिकायत जांच में क्या हुआ बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट **के प्रपत्र - 'ब'** अनुसार है । (ग) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स'** अनुसार है ।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में मार्ग निर्माण

11. **(क्र. 423) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत देवगाव से बुढ़ा हथकुरी रोड सैदा से मढिया, हरद्वारा, घनिया, रीठी रोड बड़ागाव से झिंझरी रोड इमलाज से घुड़हरी रोड ग्राम

मटिया से खम्हरिया हाईस्कूल रोड, स्वीकृति हेतु लंबित है ? (ख) यदि उक्त रोडों के प्राक्कलन स्वीकृत हेतु लंबित है तो कब तक स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जायेंगे ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा देवगांव से बूढा हथकुरी मार्ग, सैदा से हरद्वारा घनिया रीठी मार्ग, बडागाव से झिंझरी मार्ग तथा इमलाज से घुड़हरी मार्ग के प्राक्कलन/डीपीआर तैयार किये गये थे । किन्तु उक्त मार्गों को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है । सैदा से मढिया,हरद्वारा, घनिया रीठी रोड एवं इमलाज से घुड़हरी रोड का भाग क्रमशः हरद्वारा से मढिया एवं बरियारपुर (कुम्हरवारा) से घुड़हरी मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के 14वें चरण के बैच 1 के अंतर्गत प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किये गये है । स्वीकृति अपेक्षित है । शेष मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है । (ख) स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति प्राप्त होने एवं कार्य प्रारम्भ करने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

स्कूल बसों का संचालन

12. **(क्र. 443) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन द्वारा स्कूल बसों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, यदि हां,तो दिशा निर्देश का आदेश उपलब्ध करावें ? इन्दौर जिले में कितने विद्यालयों द्वारा बच्चों के आवागमन हेतु स्कूल बसों का संचालन किया जाता है, बसों की संख्यानुसार स्कूलों की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार क्या इन्दौर जिले में स्कूल बसों के संचालन हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो किन-किन विद्यालयों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा और उन पर संबंधित विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) जी हां, शासन द्वारा स्कूल बसों के संचालन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में निम्नानुसार परिपत्र जारी किये गये है, जिसकी **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब, स, द, ई, फ अुनसार** है:- (अ) एफ-22-12/2011/आठ भोपाल दिनांक 17.06.11, (ब) 337/टीसी/निजसचिव/प्रवर्तन/2011 ग्वालियर दिनांक 05.01.12, (स) विद्या/ए/18/2011/68 भोपाल दिनांक 10.02.12, (द) 221/2/11/आठ भोपाल दिनांक 14.07.12, (ई) एफ-22-12/11/आठ भोपाल दिनांक 17.06.13, (फ) विद्या/ई/बा.अ.सर आ./2013/33/417भोपाल दिनांक 20.06.12 । इन्दौर जिले में 3457 शैक्षणिक संस्थान बसें पंजीकृत है, जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार** है । (ख) 67 स्कूल बसों द्वारा निर्देश/शर्तो का पालन न किये जाने से एवं मोटरयान कर बकाया होने से इन्दौर कार्यालय के विशेष चैकिंग दल द्वारा कार्यवाही की जाकर मोटरयान कर रूपये 9,920, समझौता शुल्क रूपये 4,27,460 एवं बकाया मोटरयान कर रूपये 16,67,630 कुल राशि रूपये 21,05,010 वसूल किये है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'घ' अनुसार** है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों का निर्माण

13. **(क्र. 475) कुंवर सिंह टेकाम :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम रजनिया से धौहनी, महुआ गांव से कुसेड़ी, भरसेंडी से सरई, टिकरी से निगरी, निगरी से भरसेंडी, टिकरी से भदौरा, भदौरा से कुसमी, टिकरी से पथरौला एवं निगरी से कछरा मार्ग का निर्माण कराया गया है ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण अपूर्ण है ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित सड़कों कों पूर्ण कराने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "दस"

कृषि यंत्रों के वितरण में अनियमितता की जांच

14. **(क्र. 497) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड राहतगढ़ एवं जैसीनगर में 26 एवं 27 सितम्बर, 2014 को किसान संगोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग, सागर द्वारा किया गया था ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दोनों ही विकासखण्डों में आयोजित किसान संगोष्ठियों में हितग्राही किसानों को कृषि यंत्रों के वितरण में विभागीय अधिकारियों के द्वारा बहुत सी गड़बडी की गयी थी, जिसके बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13.10.2014 को कलेक्टर सागर को प्रकरण की जानकारी देते हुये जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया था ? (ग) यदि हां, तो क्या प्रकरण में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13.10.2014 के अनुसार जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन दोषी पाया और उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (घ) यदि नहीं, तो प्रकरण की जांच क्यों नहीं करायी गयी, हितग्राही किसानों की जारी सूची में भिन्नताओं के लिये और कृषि यंत्र वितरण में गड़बड़ी के लिये दोषी अधिकारी को किसके द्वारा और क्यों संरक्षण दिया जा रहा है ? जांच कब तक पूरी कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, समयसीमा बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी हॉ । सागर जिले के विधान सभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत विकासखंड जैसीनगर एवं राहतगढ़ में क्रमश: 26 एवं 27 सितम्बर 2014 को कृषि महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था । (ख) जी हॉ । प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13.10.2014 को कलेक्टर सागर को पत्र लिखा गया है, जो कलेक्टर सागर के

पृष्ठांकन दिनांक 14.10.2014 को उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय जिला सागर में दिनांक 17.10.2014 को प्राप्त हुआ है । (ग) जी हॉ ।प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13.10.2014 के अनुसार प्रकरण की जॉच हेतु अनुविभागीय कृषि अधिकारी सागर को उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय जिला सागर के पत्र क्रमांक/स्टेनो/2014-15/5735 दिनांक 22.11.2014 द्वारा लेख किया गया था । अनुविभागीय कृषि अधिकारी सागर द्वारा पत्र क्र0/जॉच/2014-15/क्यू दिनांक 14.02.2015 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी । (घ) जॉच प्रतिवेदन पर दिये गये निर्णय अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी ।

एन.एच. 69 में अवैध वसूली

15. **(क्र. 508) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के ग्राम-धार से बैतूल तक चैक-पोस्ट है ? (ख) क्या सड़क मार्ग में ट्रक/जीप/बाईक में पर्ची चिपका कर वसूली करने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस विभाग के अधीन ठेका है ? (ग) सड़क पर जीप रखने/पुलिस के साथ वसूली का संचालन, ड्राईवर को मारपीट करना क्या वैध है ? (घ) क्या म.प्र. शासन परिवहन विभाग अवैध टैक्सी संचालन, बैतूल से सारनी तक रूकवायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) जी नहीं, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के ग्राम धार से बैतूल मार्ग पर परिवहन विभाग का चेकपोस्ट नही है । (ख) जी नहीं । परिवहन विभाग द्वारा ट्रक/जीप/बाईक में पर्ची चिपका कर वसूली करने का ठेका नहीं दिया गया है । शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं । (ग) सड़क पर जीप रखना तथा ड्रायवर के साथ मारपीट करना वैध नही है । परन्तु परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच तथा निरीक्षण के समय स्थानीय पुलिस थाने से बल प्राप्त किया जाता है । इसी प्रकार नियम विरूद्ध संचालित वाहनों पर कार्यवाही करते हुए वसूली अभियान में भी पुलिस की मदद ली जाती है, जो वैध है । (घ) प्रश्नांकित मार्ग बैतूल से सारणी पर परिवहन कार्यालय बैतूल द्वारा टैक्सी के रूप में संचालन हेतु 45 अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है । अवैध संचालन रोकने हेतु प्रश्नांकित मार्ग पर आकस्मिक जांच के दौरान 13 टैक्सियों पर कार्यवाही कर रूपये 28375/- का समझौता शुल्क व रूपये 285660/- का मोटरयान कर कुल राजस्व रूपये 314035/-की शासकीय राशि वसूल की गई है ।

कृषि महोत्सव 2014 के दौरान व्यय राशि

16. **(क्र. 570) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान भिण्ड/ग्वालियर/मुरैना जिलों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित महोत्सव के दौरान किस-किस पदनाम के सक्षम कार्यालयों द्वारा कितनी-कितनी राशि किस मद में कब-कब व्यय की गई ?

किस-किस पदनाम के कार्यालयों के द्वारा किस-किस नाम की फर्म/संस्था अन्य को कितनी-कितनी राशि का भुगतान नगद/वाउचर/चेक से क्या-क्या कार्य करने पर किया गया ? (ग) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान जिला मुख्यालयों एवं तहसील मुख्यालयें पर कितने कृषकों के द्वारा अपना लिखित पंजीयन कराया ? उन्हें क्या-क्या सामग्री शासन/संस्थाओं द्वारा नि:शुल्क वितरित की गई ? जिलेवार/तहसीलवार विवरण दें ? (घ) कृषि महोत्सव के दौरान विज्ञापनों/होर्डिंग पर कितनी राशि व्यय की गई ? किस-किस एन.जी.ओ. को किस मद में कितनी राशि व्यय करने हेतु उपलब्ध कराई गई ? जिलेवार/तहसीलवार/राशिवार जानकारी अलग-अलग उपलब्ध करायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान भिण्ड, ग्वालियर तथा मुरैना जिले को मदवार आवंटित राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान व्यय की गई राशि का कार्यालयवार मदवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । मुरैना जिले में फर्म/संस्था एवं देयकवार भुगतान की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है । (ग) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पंजीयन कराये गये कृषकों की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है । (घ) कृषि महोत्सव के दौरान विज्ञापन/होर्डिंग्स पर म.प्र. जनसंपर्क के माध्यम से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

भोपाल में गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही

17. **(क्र. 598) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि भोपाल जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा अपने सदस्यों को प्लॉट ना देने, रजिस्ट्री करवा देने के बाद कब्जा ना देने, एक-एक प्लॉट की चार से पांच लोगों को रजिस्ट्री करा देने, पैसा जमा होने के बाद भी लोगों को प्लॉट का आवंटन नहीं करना सहित अन्य कई प्रकार के कारणों के कारण हजारों की संख्या में लोग परेशान है ? (ख) सहकारिता विभाग में 01.01.2013 से 30.01.2015 के दौरान कावेरी गृह निर्माण सहकारी समिति, समन्वय सोसायटी, चूना भट्टी स्थित गौरी गृह निर्माण सहकारी समिति, रोहित गृह निर्माण सोसायटी, राजीव नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल, गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, महाराजा अग्रसेन गृह निर्माण सहकारी संस्था, आदिम जनजाति रोहतास गृह निर्माण सहकारी समिति, फेस वन एवं टू के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें आई ? उन पर प्रश्नतिथि तक कब व क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रश्नांश में उल्लेखित प्रकार की शिकायते समय-समय पर विभाग के संज्ञान में आने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था के उपनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.**

कृषि उपज मण्डी समिति गुना में अनियमितताएं की जांच

18. **(क्र. 624) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गुना कृषि उपज मण्डी समिति गुना में वर्ष 2012 से 2014 तक कितने निर्माण कार्य के प्राक्कलन मण्डी समिति एवं विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुये थे ? कितनी राशि वर्षवार व्यय की क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्वीकृति तथा प्राक्कलन की स्वीकृति मण्डी समिति से करायी या नहीं ? (ख) कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अंतर्गत आने वाली समस्त उपमंडियों में कराये गये कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान की क्या मण्डी समिति से अनुमति ली या नहीं ? (ग) कृषि उपज मण्डी समिति गुना द्वारा गत तीन वर्षों में कितने कर की वसूली की एवं क्या कृषि उपज मण्डी गुना ने थोक फल, सब्जी विक्रेताओ को स्थान का आवंटन किया है कि नहीं, कब तक करेंगे ? (घ) क्या गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अंतर्गत समस्त कार्यों का जो मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित या स्वीकृत नहीं थे उनमे की गई अनियमितताओं की वरिष्ठ कार्यालय से जॉच एवं मिलान कराया जायेगा ? यदि हॉ, तो कब और कैसे ? दोषी पर कार्यवाही कब होगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) कृषि उपज मंडी समिति गुना में वर्ष 2012 से 2014 तक मंडी निधि से कराये गये निर्माण कार्यो के स्वीकृत प्राक्कलनों, कार्य पर वर्षवार व्यय आदि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन तथा प्राक्कलन आदि का दायित्व प्रावधानित अनुसार मंडी/बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों का होने से उनके द्वारा कार्यवाही की गयी है । कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति मंडी समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रदान की गयी है । (ख) वर्ष 2012 से 2014 तक कृषि उपज मंडी समिति गुना के अंतर्गत आने वाली उपमंडियों में कोई निर्माण कार्य नही कराये गये है । अत: भुगतान आदि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) कृषि उपज मंडी समिति गुना द्वारा गत तीन वर्षो में प्राप्त मंडी फीस की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । कृषि उपज मंडी समिति गुना ने थोक फल सब्जी विक्रेताओं को कोई स्थान आवंटन नहीं किया गया है । मंडी समिति द्वारा कलेक्टर गुना से भूमि की मांग की गयी है, भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी । (घ) गत तीन वर्षो में कृषि उपज मंडी समिति गुना के अंतर्गत कराये गये कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति मंडी अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की गयी है । अतएव शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "बारह"

गुना जिले की सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन में अनियमितता

19. **(क्र. 626) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक ऐसे कितने लोग है जिन्हें निर्धारित समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था एवं निशक्तजन पेंशन तथा विवाह अनुदान नहीं मिला ? लेखो का मिलान कर जानकारी दें ? (ख) विभाग के कौन से अधिकारी दोषी है जो निर्धारित समय पर गरीबों को प्रश्नांश (क) की स्वीकृत पेंशन का भुगतान नहीं करते है ? नाम एवं कार्यवाही सहित विवरण दें ? (ग) गुना जिले में ऐसे कितने पात्र हितग्राही है जिन्हें प्रश्नांक (क) की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई या वितरण नहीं हुई तथा ऐसे कितने हितग्राही है जो गलत पेंशन का लाभ ले रहे है, उन्हें कब बंद करेंगे ? (घ) जो पात्र हितग्राही प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेंशनों के क्रम से छूटे है उन्हें क्या विभाग ग्रामवार सर्वे कराकर पेंशन वितरण करायेगा ? यदि हॉ, तो पेंशन पाने के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कब तक होगा, कब तक पेंशन वितरण करा दी जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन,वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्त पेंशन तथा विवाह अनुदान का भुगतान किया गया है । (ख) प्रश्नांश-"क" के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ नहीं ले रहा है । (घ) पात्रता होने पर हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर राशि का भुगतान किया जाता है ।यह एक सतत् प्रक्रिया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पदोन्नत अधिकारियों को समयमान वेतनमान

20. **(क्र. 658) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 8 वर्ष की सेवा पश्चात् क्रमोन्नति/समयमान वेतन देने के प्रावधान हैं ? (ख) यदि हॉ, तो वर्ष 2003 में बी.डी.ओ. पद से सी.ई.ओ. पद पर पदोन्नत अधिकारियों को आज दिनांक तक समयमान वेतन की पात्रता के बाद भी क्रमोन्नति/समयमान वेतन का लाभ क्यों नहीं दिया गया है ? (ग) इन सी.ई.ओ. जनपद को कब तक समयमान वेतन का लाभ दे दिया जायेगा ? समयावधि बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हॉ । म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र के ज्ञाप क्र.एफ-11/1/2008/नियम/चार,दिनांक 24 जनवरी 2008 में प्रावधान दिये गए है । (ख) उत्तर "क"अनुसार पात्रताधारी अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है । (ग) प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी । समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

यात्री बसों का अवैध संचालन

21. **(क्र. 689) श्री अनिल फिरोजिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला परिवहन कार्यालय उज्जैन द्वारा यात्री बसों के वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितने परमिट किस-किस मार्ग हेतु किसको जारी किये गये ? (ख) क्या उक्त यात्री बसों का संचालन निर्धारित मार्ग पर निर्धारित समयानुसार हो रहा है ? (ग) क्या उक्त वर्षों में अवैध परिवहन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि हॉ, तो कब-कब एवं कितने प्रकरण बनाये गये एवं क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) परिवहन कार्यालय उज्जैन द्वारा यात्री बसों के वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कुल 35280 स्थाई एवं अस्थाई परमिट विभिन्न मार्गों हेतु जारी किये गये है । जिसकी मार्ग के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क भाग के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार** है । (ख) जी हाँ, यात्री बसों का संचालन निर्धारित मार्ग पर निर्धारित समयानुसार हो रहा है । (ग) जी हाँ, प्रश्नांकित अवधि में आकस्मिक चैकिंग की जाकर नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर समझौता शुल्क वसूल किया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख भाग के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार** है ।

पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण

22. **(क्र. 730) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा 2014-15 में 20 अगस्त 2014 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के ऐसे पंचायत सचिवों जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल अथवा स्थानीय पंचायत के निवासी होने पर उनके स्थानांतरण शतप्रतिशत उसी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में व जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर जिले की दूसरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में करने के आदेश दिये गये थे ? (ख) चंबल संभाग ऐसे कितने ग्राम पंचायतों के सचिवों का स्थानांतरण 20 अगस्त 2014 तक किये गये संख्यात्मक जानकारी जिलेवार दें ? (ग) 21 अगस्त 2014 के बाद राज्य शासन के अनुमोदन से पंचायत सचिवों के स्थानांतरण निरस्त करने एवं संशोधन करने की कार्यवाही के अन्तर्गत 21 अगस्त 2014 से 25 दिसम्बर 2014 तक आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा चंबल संभाग के कुल कितने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण निरस्त संशोधित किये गये है ? संख्या उपलब्ध कराई जावे ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार आयुक्त पंचायत राज द्वारा जारी किये आदेशों का अनुमोदन स्थानातरण नीति अनुसार प्राप्त किया गया हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । (ख) दिनांक 20 अगस्त 2014 तक जिला भिण्ड में 340, श्योपुर में 162 तथा मुरैना में 279 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किये गये । (ग) दिनांक 21 अगस्त, 2014 के बाद पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा चंबल संभाग में कुल 38 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण संशोधित किये गये । (घ) जी हां ।

प्रदेश में गेहूं उपार्जन नीति के तहत गेहूं का क्रय

23. **(क्र. 731) श्री रामनिवास रावत :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2012, 2013, एवं 2014 में प्रदेश मे गेहूं खरीदी में किसानों को बोनस दिया गया था ? यदि हां, तो कितना-कितना ? क्या सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष कृषकों को गेहूं एवं धान के उपार्जन पर बोनस नहीं देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यो ? (ख) वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 मे प्रदेश मे समर्थन मूल्य पर कुल कितने मैट्रिक टन गेहूं के उपार्जन के अनुमान थे, अनुमान के विरूद्ध कितना गेहूं क्रय किया गया एवं कितने गेहूं का भण्डारण किया गया ? क्रय किए गए गेहूं एवं भण्डारण किए गए गेहूं की मात्रा में कितना अंतर रहा ? वर्षवार जानकारी दें ? क्या यह सही है कि भण्डार के समय गेहूं शार्ट रहा ? यदि हां, तो इस गेहूं की कीमत कितनी थी ? शार्ट पाए गए गेहूं के लिए क्या उत्तरदायित्व निर्धारण कर वसूली की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षो में पड़ोसी राज्यों का गेहूं प्रदेश में लाकर खरीदी केन्द्रों पर उपार्जित किया गया ? जिसके कारण प्रदेश में गेहूं उत्पादन के आंकडे बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किए जाकर केन्द्र से कृषि कर्मण्य पुरूस्कार प्राप्त किया गया ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रदेश मे गेहूं खरीदी में किसानों को वर्ष 2012-13 में रू. 100, वर्ष 2013-14 में रू. 150 एवं वर्ष 2014-15 में रू. 150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया गया था । जी हॉ, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अधिक उपार्जन होने और बोनस दिये जाने की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरप्लस स्कंध को स्वीकृत नहीं करने की स्थिति में सरप्लस भण्डार के निराकरण में होने वाली भौतिक एवं वित्तीय कठिनाईयों के प्रकाश में बोनस नहीं दिया जा रहा है । (ख) गेहूं उपार्जन की तैयारी हेतु वर्ष 2012-13 में 65 लाख मे.टन, वर्ष 2013-14 में 115 लाख मे.टन एवं वर्ष 2014-15 में 81.16 लाख मे.टन का अनुमान लगाया गया । वर्षवार समितियों द्वारा रिपोर्टेड भण्डारित एवं भण्डारण में अंतर की मात्रा एवं उसकी कीमत की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । समितियों द्वारा सूचित मात्रा से कम मात्रा में भण्डारण हुआ है जिसका कारण कतिपय समितियों द्वारा कम गुणवत्ता की कुछ मात्रा क्रय करना, परिवहन के दौरान कमीं इत्यादि है । केवल भण्डारित मात्रा का ही भुगतान समितियों को किया जाता है । परिवहन के दौरान कमीं की वसूली परिवहनकर्ता से होती है । कम गुणवत्ता की क्रय की गई सामग्री के निराकरण के लिये समितियॉ स्वयं जिम्मेदार होती है । (ग) ई- उपार्जन परियोजनांतर्गत प्रदेश के किसानों के गेहूं के बोये गये रकबे का पंजीयन तथा उसका सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा करने के उपरांत तहसील की गेहूं उत्पादकता के आधार पर उपार्जन किया जाता है । इस कारण प्रदेश में समर्थन मूल्य पर पड़ोसी राज्यों का उत्पादित गेहूं उपार्जन किये जाने की संभावना नहीं है । समर्थन मूल्य पर प्रदेश में उत्पादित गेहूं का ही उपार्जन किया गया है ।

परिशिष्ट - "तेरह"

मुंगावली में बैकवर्ड रीजन फंड के स्वीकृत कार्य

24. **(क्र. 778) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली तहसील के किन-किन अनुसूचित जाति, जनजाति के गांवों से दूर बसी बस्तियों में अप्रोच रोड बनाने के लिए पिछले वर्ष नवम्बर, 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद बेकवर्ड रीजन फंड व अन्य योजनाओं में लेने के लिये जिलाधीश, जिला पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले 18 महिनों में पत्र लिखें ? उन गांवों व सड़कों का विवरण देते हुए बताये कि उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई व कितने सड़कें बनी ? (ख) पिछले नवम्बर 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद जिला योजना समिति की बैठक में बैकवर्ड ग्राण्ट योजना में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी धन राशि के स्वीकृत हुए व कितने काम कितनी धनराशि के प्रारम्भ हुए ? उसमें से कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं व कितने अप्रारम्भ है ? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिये हुए कितने व किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है ? शेष को क्या इस वर्ष स्वीकृत किये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम 03 अनुसार । जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम 04 अनुसार ।** (ख) **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार ।** (ग) **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार ।** शेष कार्य आगामी वर्ष की कार्ययोजना हेतु जिला योजना समिति के निर्णय अनुसार लिये जायेंगे ।

विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत सड़क निर्माण

25. **(क्र. 812) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत मिखिरगवां वाया मलैगवां-पांती-बरही रोड जो कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य होने से पूरी तरह से उखड़ गई है एवं विकासखण्ड हनुमना अंतर्गत ही गुरमा से प्रतापगंज रोड निर्माण कार्य का टेण्डर हो गया है ? परंतु कार्य शुरू नहीं हुआ है, का निर्माण कार्य कराया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आम जनता को आवागमन की सुगमता उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? यदि निर्माण कार्य नहीं कराया जावेगा तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) रीवा जिले के हनुमना विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मिसिरगवॉ- गोपला मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. एवं नइयानाला से पॉती गोपला मार्ग लंबाई 12.90 कि.मी. कुल 17.90 कि.मी. का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डो के अनुसार कराया गया है । पॉती गोपला मार्ग लंबाई 12.90 कि.मी. संधारित है, किन्तु मिसिरगवॉ-गोपला मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. में संविदाकार द्वारा समय पर रखरखाव नहीं करने के कारण बी.टी. स्तर पर क्षतिग्रस्त अवश्य हुआ है, किन्तु ऐसा नहीं है कि सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है । ठेकेदार द्वारा

संधारण नहीं करने के कारण उसका अनुबंध निरस्त कर उसकी जमा परफारमेंस राशि रू. 19.39 लाख जप्त की गई है । शेष कार्य नई ऐजेंसी से पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । प्रतापगंज से गोरमा मार्ग का निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा प्रारंभ किया जाकर जी.एस.बी. स्तर तक निर्मित किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उक्त दोनो मार्गो का कार्य पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

नयी चैक पोस्ट योजना में राजस्व की हानि

26. **(क्र. 830) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 18 दिसम्बर, 14 को वाहनों की आकस्मिक जांच के उद्देश्य से प्रदेश के चैक पोस्टों को परिवहन विभाग से लेकर एमपीआरडीसी को दे दिए हैं ? यदि हां, तो नए नीमच जिले के नयागांव टोल की 18 दिसम्बर, 14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राजस्व प्राप्ति हुई है ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त टोल पर एमपीआरडीसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी अनुभवहीन हैं, जिससे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की गत एक माह से लम्बी-लम्बी कतारें लग रही हैं, जिससे आम नागरिकों का समय नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो अव्यवस्था का कारण स्पष्ट करें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या अनुभवहीन कर्मचारी के कारण वाहनों के फिटनेस, ओव्हर लोडिंग, परमिट सहित 40 कागजात की जांच सही नहीं हाने के कारण ओव्हर लोड होने के बावजूद सैंकड़ों वाहन बिना टेक्स चुकाए गुजर रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही है ? क्या यह भी सही है कि 18 दिसम्बर के पूर्व तथ 18 दिसम्बर के पश्चात् तुलनात्मक रूप से राजस्व हानि हो रही है ? इसका अध्ययन कब किया जाएगा ? (घ) क्या यह सही है कि शासन के नियम अंतर्गत एमपीआरडीसी के कर्मचारी लोक सेवक नहीं होने के कारण टेक्स वसूल नहीं कर सकते ? यदि नहीं, तो नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) शासन के आदेश क्रमांक एफ 22-60/2008/आठ दिनांक 29.03.2010 से प्रदेश के 24 चेकपोस्टों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु एम.पी.आर.डी.सी. को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था । एमपीआरडीसी द्वारा बी.सी.डी.सी.एल. कंपनी के साथ अनुबंध कर पी.पी.पी. आधार पर चैक पोस्टों का निर्माण कराया जा रहा है । कार्य में सरलता व नागरिकों को सुविधा की दृष्टि से 18 दिसम्बर 14 के, प्रमुख सचिव, परिवहन के आदेश के द्वारा परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेंडम जाँच के संबंध में आदेश जारी किए गए है । इस प्रकार 18 दिसम्बर 14 के आदेश से आकस्मिक जाँच के अधिकार एम.पी.आर.डी.सी. को नही दिये गये है बल्कि कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से जो वाहन ठीक पाए जाएँ उनमें से मात्र 5 प्रतिशत वाहनों की जाँच अधिकारियों द्वारा करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं । नीमच जिले के नयागाँव एकीकृत जाँच चौकी की 18.12.2014 से 09.02.2015 तक की राजस्व प्राप्ति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** है । (ख) जी नहीं । कार्य में सहायता हेतु प्रत्येक बूथ पर निवेशकर्ता द्वारा डेटाएन्ट्री ऑपरेटर रखे गए हैं जो प्रशिक्षित है । बालसमुंद (सेंधवा) को छोड़कर अन्य कहीं भी जाम की

स्थिति सामान्यतः नहीं बनती है । बालसमुंद में लम्बी लाइनें लगने का कारण वाहनों की अधिक संख्या है । जिसे ठीक करने हेतु सतत् प्रयास जारी है । (ग) जी नहीं । एकीकृत जाँच चैकियों में बूथ पर काम करने वाले कर्मचारी डाटा एण्ट्री ऑपरेटर का कार्य करते है व कम्प्यूटर में निर्धारित प्रारुप के अनुसार वाहन चालकों से दस्तावेज प्राप्त कर डाटा एण्ट्री करते है, जिनमें परमिट, फिटनेस, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस , वजन, बकाया टैक्स एवम् प्रदूषण जाँच शामिल है । अतः यह कहना सही नही है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच न होने के कारण वाहन बिना टैक्स चुकाये गुजर रहे हैं । राजस्व वसूली की समीक्षा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी तभी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । (घ) हाँ, यह सही है कि नियमांतर्गत लोक सेवक द्वारा ही शासकीय राजस्व की वसूली की जा सकती है । एम.पी.आर.डी.सी. के कर्मचारियों को टैक्स वसूली के अधिकार नहीं सौंपे गए है ।

<u>परिशिष्ट - "चौदह"</u>

<u>डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का ठेकेदारों द्वारा शोषण</u>

27. **(क्र. 831) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर, उज्जैन संभाग में कृषि विभाग एवं विभिन्न मण्डीयों में डाटा इन्ट्री एवं कम्प्युटरीकृत कार्यों को करने हेतु डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति किन-किन शर्तों पर की गई ? क्या इस हेतु कोई ठेका किसी कंपनी को दिया गया ? यदि हॉ, तो कंपनी के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) के तहत क्या ठेकेदारों ने बेरोजगार युवाओं को उक्त नियुक्ति सरकारी बताकर युवकों से उक्त संभाग में राशि वसूल की है ? यदि हॉ, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें किन-किन तहसीलों में कब-कब, किस-किस के द्वारा दी गई ? उन शिकायतों की अध्यतन स्थिति क्या अवगत करावें ? (ग) क्या यह सही है कि विभाग कम्प्युटर ऑपरेटरों को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, विभाग द्वारा नहीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों, नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ? (घ) क्या कृषि विभाग एवं मण्डियों के द्वारा कम्प्यूटर कार्यों हेतु कम्प्युटर ऑपरेटरो के नवीन पद भरे जाऐंगे यदि हॉ तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क)जी हॉ ।इंदौर एवं उज्जैन संभाग में विभाग में आउटसोर्स आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर मानवसेवा प्रदायकर्ता एजेंसी के माध्यम से अनुबंध की शर्तो अनुसार प्रदाय किये गये है । जी हॉ । इस हेतु ठेका मे. प्रसाद कान्ट्रेक्टर्स एवं फेब्रीकेटर्स, भोपाल को दिया गया अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । परंतु इंदौर उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाली मंडियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर कार्य को करने हेतु किसी भी मंडी समिति द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही इस कार्य हेतु किसी कंपनी को कोई ठेका दिया गया है । (ख) जी नही । इंदौर एवं उज्जैन संभाग से ठेकेदार द्वारा बेरोजगार युवाओं को उक्त नियुक्ति सरकारी बताकर युवकों से राशि वसूल किये जाने की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ग) जी हॉ । एन.ई.जी.पी.ए. योजना के प्रावधान अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेन पावर एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स किये गये है ।

अत: मानदेय का भुगतान संबंधित मेनपावर प्रदायक एजेंसी के माध्यम से किया गया । वर्तमान में मेनपावर एजेंसी का अनुबंध समाप्त हो चुका है । (घ) विभाग द्वारा "कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स" योजना अंतर्गत आउटसोर्स आधार पर डाटा एन्ट्री आपरेटर उपलब्ध कराने हेतु मानवसेवा प्रदायकर्ता एजेंसी के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । वर्तमान में उपरोक्त योजनांतर्गत उक्त मद में उपलब्ध राशि निरंक है,भारत शासन से राशि प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार चयनित संस्था को कार्यादेश दिया जा सकेगा ।

जावरा शुगर मिल को प्रारंभ किया जाना

28. **(क्र. 855) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बंद पड़ी जावरा शुगर मिल को स्व. नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत सहकारी समिति द्वारा चलाये जाने की शासन/विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई थी ? (ख) क्या उक्त मिल गन्ने का उत्पादन बंद होने के कारण विगत कई वर्षों से बंद पड़ी होकर वीरान स्थिति में हैं ? (ग) यदि हां, तो क्या दुग्ध समितियों के माध्यम से प्राप्त अनुदान, कृषकों से प्राप्त अंशपूंजी एवं अन्य प्रकार से मिल को प्रारंभ किये जाने हेतु जुटाया गया वित्त पुन: लौटाकर मिल की परिसंपत्तियां शासन/उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जा रही है ? (घ) साथ ही क्या मिल के विगत कई वर्षों से बंद रहने एवं सहकारी समिति के द्वारा इसे पुन: प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में मृत प्राय होकर मिल की परिसंपत्तियां उद्योग विभाग को पुन: हस्तांतरित की जाएगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं. (ख) जी हां. (ग) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अधीन नियुक्त परिसमापक द्वारा विधिवत परिसंपत्तियों/ दायित्वों का निराकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रश्नांश में उल्लेखित अनुदान, अंशपूंजी एवं अन्य प्रकार से जुटाई गयी धनराशि भी सम्मिलित है. मिल के पास स्थित संपत्तियों को वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग को हस्तातंरित करने का प्रस्ताव सहकारिता विभाग द्वारा भेजा गया है. (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार.

सुदूर सड़क योजना की लंबाई

29. **(क्र. 868) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सुदूर खेत सड़क उपयोजना से ग्राम पंचायत सड़के बनी है, उनकी कुल लंबाई एवं लागत राशि बतावें ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार बनी सड़कों में अभी तक कितना भुगतान किया गया है ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें ? (ग) क्या सभी सड़कों के मूंल्याकन का सत्यापन इंजीनियर द्वारा किया गया है बतावें ? (घ) सीतामऊ विकासखण्ड की गोपालपुरा पंचायत में मनरेगा के तहत कितनी सड़कें बनाई गई है और उनमें मस्टर मजदूरी एवं सामग्री पर कितना-कितना भुगतान किया गया है ? पृथक-पृथक जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में १२७ ग्राम पंचायतों में मनरेगा की सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत १६४ सड़के स्वीकृत की गई हैं, उनकी कुल लम्बाई १२९.०४ किलोमीटर एवं स्वीकृत लागत रू. २२८९.६७ लाख है । (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार सुवासरा विधानसभा में मनरेगा योजना के अंतगर्त स्वीकृत सड़कों में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यो में रू. ६४८.१५ लाख भुगतान किया गया है । ग्राम पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी हॉ । (घ) सीतामउ विकासखण्ड की गोपालपुरा ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत एक सड़क का कार्य स्वीकृत होकर केवल मजदूरी पर रू. १.८९ लाख का भुगतान किया गया है ।

उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग गुना के पद पर नियम विरूद्ध पदस्थापना

30. **(क्र. 877) श्रीमती ममता मीना :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2010 में गुना जिले में उपसंचालक सामाजिक न्याय के पद पर नियम विरूद्ध यांत्रिक सहायक श्री अरूण देव की पदस्थापना कर प्रभार सौपा है यदि हां, तो, क्यों किस नियम से कनिष्ठ अधिकारी को क्यों सौंपा गया कारण बतायें ? (ख) क्या विभाग के कर्मचारियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा श्री अरूण देव के प्रभार बदलने एवं उपसंचालक सामाजिक न्याय गुना के पद की शिकायत की थी ? क्या कार्यवाही हुई कब तक होगी अरूण देव का प्रभार कैसे हटेगा बतायें ? (ग) अरूण देव को गुना जिले में उपसंचालक सामाजिक न्याय के पद या प्रभार से मुक्त करने वाले प्रस्तावों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा एवं योग्यता वालो की पदस्थापना गुना में कब तक होगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जिलों में प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा पदस्थापना की जाती है । (ख) जिले में पद रिक्त होने से प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा गया है । (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

आर.टी.ओ. बेरियर से द्वारा राशि की वसूली

31. **(क्र. 908) श्री राम सिंह यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खरई, पड़ोरा आर.टी.ओ. चैक पोस्ट से जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 तक कितने वाहन पास हुए ? उक्त वाहनों से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ? (ख) उक्त चैक पोस्ट पर जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 तक ओवरलोड वाहनों का वजन किस-किस माह में किस तौल कांटे से लिया गया ? (ग) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व उक्त आर.टी.ओ. बेरियर पर ओवरलोड वाहनों का भार तौलने की कोई व्यवस्था नहीं थी ? इसलिए ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की गई ? (घ) उक्त चैक पोस्ट पर तौल-कांटा कब लगाया गया ? तौल-कांटा लगने के उपरांत कितने ओवरलोडेड वाहन भार तोलन के पाए गए ? और उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) प्रश्नांकित परिवहन चेकपोस्ट खरईपड़ोरा से जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 तक कुल 2,10,822 वाहन पास हुये इन वाहनों से कुल रुपये 6,02,16,820/- का शासकीय राजस्व वसूल किया गया । (ख) जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 तक आने जाने वाली सभी वाहनों का वजन तौलकांटा क्रमांक 1,2,3, एवं 5,6,7, के द्वारा किया गया । (ग) 01 सितम्बर 2013 को खरईपड़ोरा चेकपोस्ट पर तौलकांटा प्रारंभ किया गया था । इसके पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में वाहनों की बिल्टी के आधार पर ओवर लोड एवं टैक्स की रसीद काटी जाकर शासकीय धन राशि शासकीय कोष में जमा की जाती थी । 01 सितम्बर 2010 से 31 अगस्त 2012 तक 38 ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करते हुए रुपये 2,91,250/- का राजस्व वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया गया । इसी प्रकार 01 सितम्बर 2012 से 31 अगस्त 2013 तक नियम विरुद्ध पाये गये 1766 वाहनों पर कार्यवाही करते हुये रुपये 1,33,93,733/- का राजस्व वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया गया । यह कहना सत्य नहीं है कि ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की गई । (घ) 01 सितम्बर 2013 को रात्री 12 बजे तौलकांटा प्रारम्भ किया गया । इसके पश्चात 31,589 ओवरालोड वाहन भार तौलने के पाये गये । इनसे कुल रुपये 2,30,65,050/- की शासकीय राशि वसूल की गई ।

कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्य

32. **(क्र. 913) श्री राम सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01.04.2012 से 30.09.2014 तक कहां-कहां पर कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के किन-किन योजनाओं/मदों के अंतर्गत कब-कब कराए गए ? तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक और प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक सहित बताएं ? (ख) उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों का पूर्णत: प्रमाण पत्र कब-कब कितनी-कितनी राशि का किन-किन के द्वारा जारी किया गया ? (ग) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य वर्तमान में अपूर्ण है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण किए जाएंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट की संख्या

33. **(क्र. 959) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग के अन्तर्राज्यीय चेकपोस्ट कहां-कहां स्थापित है ? एवं पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजना क्या है ? (ख) पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजनातंर्गत राज्य शासन अन्तर्गत कितने एवं कहां-कहां चेक पोस्ट प्रारम्भ किये गये है ? (ग) इन चेकपोस्ट पर सेवाशुल्क वसूली का क्या प्रावधान है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की कुल 40 अंतर्राज्यीय जाँच चैकियॉ प्रदेश की सीमाओं पर स्थापित की गई है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है । पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप योजना में उल्लेखित कार्य (आवश्यक इन्फ्रास्ट्रेक्चर के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य) स्वयं कंपनी द्वारा निवेश कर करना होता है तथा कंपनी को निर्धारित अवधि के लिए कामर्शियल वाहनों से राजपत्र में प्रकाशित सर्विस फी के वसूली के अधिकार होते है । (ख) पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 10 एकीकृत चैकपोस्ट निर्मित किए जाकर प्रारम्भ किये जा चुके है । जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) चैकपोस्टों पर सेवा शुल्क लिये जाने संबंधी प्रावधान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है ।

स्कूल बसों के किराये में वृद्धि

34. **(क्र. 1002) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल बसों के किराये में विगत 01 वर्ष में कितनी बार एवं कितनी वृद्धि की गई ? (ख) यदि स्कूल बसों के किराये में वृद्धि की गई है तो उसका कारण क्या था एवं शासन द्वारा स्कूल बसों के किराये में वृद्धि का कोई मापदंड तय किया गया था ? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में सागर जिले के सागर नगर व मकरोनिया उप नगरीय क्षेत्र के स्कूल बसों के किराये में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई एवं क्या मापदंड निर्धारित किया गया था ? (घ) क्या परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के टैक्स में कमी की गई है एवं वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल के दाम कम हुये है तो क्या स्कूल बसों के किराये में कमी की जावेगी या नहीं ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) विगत एक वर्ष की अवधि में,परिवहन विभाग द्वारा स्कूल किराये में कोई वृद्धि नही गई है । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश-क के संदर्भ में इसका औचित्य ही नही है । (घ) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार बसों का मोटरयान कर 30/- प्रतिसीट प्रति तिमाही के स्थान पर 12/- रूपये प्रतिसीट प्रतिवर्ष किया गया है ।

लोक सेवा गारंटी केन्द्र सागर के पंजीबद्ध प्रकरण

35. **(क्र. 1003) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत विगत दो वर्ष में लोक सेवा गारंटी केन्द्र में कितने गरीबी रेखा कार्ड जारी करने एवं जाति प्रमाण प्रत्र हेतु आवेदन पंजीबद्ध हुये ? (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में से कितने प्रकरण गरीबी रेखा कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु पात्र किये गये ? (ग) क्या पंजीबद्ध प्रकरणों में विभाग द्वारा मौलिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हॉ तो कितने समय में एवं इसके लिए विभाग के किस शासकीय सेवकों की जिम्मेदारी होती है ? (घ) पंजीबद्ध उक्त प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही की गई या नहीं ? यदि नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार शासकीय सेवकों पर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) सागर जिला अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के प्रारंभिक दिनांक 25 सितम्बर, 2012 से 09 फरवरी, 2015 की स्थिति में लोक सेवा गारंटी केन्द्र में गरीबी रेखा कार्ड जारी करने हेतु शहरी क्षेत्र में 30,573 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 51,125 एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु 2,90,510 आवेदन पंजीबद्ध किये गये है । (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में से प्रारंभिक दिनांक 25 सितम्बर, 2012 से 09 फरवरी, 2015 की स्थिति में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत गरीबी रेखा कार्ड शहरी क्षेत्र में 1,657 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 5,296 गरीबी रेखा कार्ड तथा जाति प्रमाण पत्र हेतु 65,440 पात्र किये गये है । (ग) पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों का मौलिक सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है । संबंधित सेवा क्रमांक 5.2 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ने के लिए (शहरी क्षेत्र में) पदाभिहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1** सेवा क्रमांक 16.1 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2** के लिए पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी अधिकारिता में) है एवं जाति प्रमाण के लिए पदाभिहित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3** को शासन द्वारा अधिकृत किया जाता है । उक्त 03 सेवाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है । अत: संबंधित सेवा के लिए उपरोक्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है । (घ) अधिकांश प्रकरणों में समय सीमा में कार्यवाही की गई है अल्पांश प्रकरणों में विलंब का कारण वर्तमान में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के महत्वों के कार्य में राजस्व अधिकारियों की व्यस्तता है । इस कारण साफ्टवेयर, डिजिटल सिग्नेचर में एरर आने के कारण तथा समय-समय पर इंटरनेट की सुविधा बंद हो जाने से कुछ प्रकरणों में विलंब हो जाता है अन्यथा सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही की जाती है ।

खाद्यान्न वितरण हेतु पर्ची का प्रदाय

36. **(क्र. 1026) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में किन-किन हितग्राहियों को पात्र माना गया है ? उन्हें खाद्यान्न पर्ची दिए जाने के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान हैं ? पात्र माने गए परिवारों को किन-किन कारणों से खाद्यान्न पर्ची दिए जाने से रोका जा सकता है ? (ख) विदिशा जिले में कितने परिवारों को पात्र परिवार माना गया है ? इनमें से कितने परिवारों को खाद्यान्न पर्ची दी गई ? कितने परिवारों को किन-किन कारणों से खाद्यान्न पर्ची नहीं दी गई ? (ग) पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची न दिए जाने का क्या-क्या कारण रहा है ? इन परिवारों के लिए आवंटित कितना-कितना खाद्यान्न दुकानदार द्वारा स्टॉक में बताया गया है ? यदि खाद्यान्न स्टॉक में भी नहीं बताया गया हो, तो उसका भी कारण बतावें ? (घ) पात्र परिवारों को आवश्यक रूप से खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध करवाए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? कब तक सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध करवा दी जावेगी ? समय सीमा सहित बतावें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है । प्राथमिकता परिवारों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । पात्र परिवारों का स्थानीय निकाय द्वारा समग्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची दी जाती है तथा समग्र पोर्टल पर सत्यापित परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदाय से रोका नहीं जा सकता । (ख) विदिशा जिले मे 2,18,662 परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सत्यापित किया गया है । इन सभी परिवारों को पात्रता पर्ची दी गई है । (ग) पात्र परिवारों द्वारा जानकारी न देने अथवा असत्य जानकारी देने पर पात्रता पर्ची जारी नहीं की जाती है । जिन्हें पात्रता पर्ची नहीं जारी की गई, उनका आवंटन भी दुकान को जारी नहीं किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) विभाग द्वारा माह जून, 2014 में पात्र परिवारों के सत्यापन करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया । पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है और आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाती है ।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

खाद्य (उरवर्क) वितरण में अनियमितता

37. **(क्र. 1080) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक (31 जनवरी 2015) तक कितनी खाद्य (उरवर्क) आई ? उसको वितरित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए ? किस-किस संस्था से कितनी मांग की गई ? कितनी खाद्य प्रदान की गई ? (ख) भिण्ड जिले में विगत पांच वर्षों से किसानों को पर्याप्त खाद्य न मिलने के क्या कारण है ? खाद्य समस्या से निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? प्रतिवर्ष भिण्ड जिले को कितनी खाद्य की आवश्यकता है ? खाद्य भण्डारण के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ? (ग) क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013 से 31 जनवरी 2015 तक खाद्य वितरण में कालाबाजारी करने के कारण खाद्य समस्या उत्पन्न हुई ? खाद्य (उर्वरक) सीमावर्ती राज्यों को अवैध रूप से भेजी गई यदि हां तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) में भिण्ड जिले में उपलब्ध खाद्य को विकासखण्ड में कितनी-कितनी भेजी गई तथा विकासखण्ड में भिण्ड और अटेर को कितनी-कितनी भेजी गई ? क्या यह सत्य है कि अटेर व भिण्ड विकासखण्ड में मुख्यालय होने के बावजूद कम खाद्य उपलब्ध करवायी है ? यदि हां तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) भिण्ड जिले में 1 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2015 तक 51282 मे.टन उर्वरक प्राप्त हुआ । जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 07.12.2014 से जिला विपणन अधिकारी को प्राप्त उर्वरक के वितरण हेतु 80 प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से एवं 20 प्रतिशत नगद मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से वितरण करने का मापदण्ड निर्धारित किये गये । संस्थावार मांग एवं प्रदाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र अ अनुसार है । (ख) विगत पांच वर्षों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया गया है । उर्वरक समस्या के निवारण के लिए उर्वरक अग्रिम भण्डारण योजना लागू की गई है एवं किसानों को अग्रिम भण्डारण करने की सलाह दी गई । प्रतिवर्ष भिण्ड जिले को लगभग 63350 मे.टन उर्वरक की आवश्यकता होती है । उर्वरक भण्डारण के लिए जिले में जिला विपणन अधिकारी के पांच डबललॉक केन्द्र हैं, जिन पर रबी व खरीफ मौसम में उर्वरकों का भण्डारण कराया जाता है एवं किसानों को अग्रिम उठाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । (ग) जी नहीं । भिण्ड जिले में वर्ष 2013 से 31 जनवरी 2015 तक खाद वितरण सुचारू रूप से करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा दलों का गठन किया गया, जिसमें कृषि, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया एवं विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया । उर्वरक का अवैध भण्डारण पाये जाने के कारण पुलिस थाना अवसार में अतरसिंह पुत्र हरदयाल निवासी खोडन के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करायी गयी ।सीमावर्ती राज्यों में अवैध रूप से कोई उर्वरक नहीं भेजा गया । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) विकासखण्डों को प्रदाय की गई उर्वरक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । अटेर व भिण्ड विकासखंड में उर्वरक की उपलब्धता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया गया ।

परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित किया जाना

38. **(क्र. 1081) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या -17 दि. 08.12.2014 में उल्लेख किया गया है कि परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित हेतु 05.09.14 को आदेश किया गया है तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई ? (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 92 भिण्ड इटावा मार्ग पर स्थापित करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए वर्णित पत्रों में क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या सह सही है कि परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित करने हेतु स्थान का चयन हो चुका है ? तो कब तक चेक पोस्ट स्थापित हो जायेगी ? (घ) परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर 3 जून, 2010 को स्थापित की गई ? तब से प्रश्नांश दिनांक प्रतिमाह कितना राजस्व में वृद्धि या कमी हुई ? माहवार जानकारी दें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) जी हाँ, मालनपुर स्थित परिवहन चेकपोस्ट को फूफ जिला भिण्ड में स्थापित किये जाने हेतु स्थान का चयन हो चुका है जिस पर किराया निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही पूर्ण होते ही चेकपोस्ट फूफ जिला भिण्ड में स्थानांतरित कर दिया जायेगा । (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 92 भिण्ड इटावा मार्ग पर परिवहन चेकपोस्ट स्थापित होना है, जो शीघ्र ही स्थानांतरित कर फूफ में संचालित किया जावेगा । (ग) जी हाँ । किराया निर्धारण के अनुबंध होने के पश्चात् फूफ में चेकपोस्ट स्थापित किया जावेगा । (घ) जी हाँ । 03 जून 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक माहवार राजस्व वसूली का पत्रक राजस्व वृद्धि या कमी दर्शाते हुये, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "सोलह"

जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी द्वारा जारी परमिट

39. **(क्र. 1101) श्री प्रहलाद भारती :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मार्ग पर किस-किस वाहन को चलाये जाने हेतु स्थाई व अस्थाई परमिट जारी किये गये है ? वाहन के नाम व नम्बरवार, मार्गवार वाहन स्वामी के नाम व वाहन चलाने के समय सहित वर्षवार सूची उपलब्ध करावें ? साथ ही उपरोक्त को जारी किये गये परमिटों की समयावधि भी बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जारी किये गये परमिटों से शासन को प्रतिमाह कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? वाहनवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक बिना परमिट व अवैध रूप से संचालित वाहनों को पकड़ने हेतु किस-किस दिनांक को चैक पोस्ट लगाई गई व उक्त दिनांको को कितने व कौन-कौन से वाहन अवैध व बिना परमिट के पकड़े गये व उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कितने का मौके पर ही चालान किया गया व कितनों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया व मौके पर काटे गये चालान से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में न्यायालय में पेश किये गये प्रकरणों में न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई प्रकरणवार अद्यतन स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी उपलब्ध करावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश-क के उत्तर के अनुसार जारी किये गये अस्थाई परमिटों से प्रश्न दिनॉक कुल रूपये 3160104/- का राजस्व अर्जित किया गया है । माहवार प्राप्त राजस्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दर्शायी गयी है । (ग) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनॉक तक संभागीय परिवहन जॉच दल एंव जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध समय-समय पर जॉच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जॉच में दिनॉक 16-07-2013 को 01 बस बगैर परमिट चलती पाये जाने पर चालानी कार्यवाही कर रूपये 76000/- का राजस्व जमा कराया गया । वर्ष 2012-13 में चैकिंग के दौरान 16 वाहनों एवं मोटरयान कर के रूप में रूपये 651410/- का राजस्व वसूल किया गया । समझौता शुल्क वसूली हो जाने से न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत नही किया गया । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में उत्तर अपेक्षित नही ।

एग्री सोल्यूशन सेंटर का निर्माण

40. **(क्र. 1102) श्री प्रहलाद भारती :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिलें के पोहरी विकासखण्ड में एग्री सोल्यूशन सेंटर (डबल लॉक गोदाम) स्वीकृत हुआ है एवं उसके निर्माण के लिये भूमि ग्राम सोनीपुरा तहसील पोहरी में एक रूपये भू-भाटक पर 0.80 हैक्टेयर का आवंटन हो चुका है एवं आवंटित भूमि का तहसीलदार पोहरी द्वारा 26.09.2014 को सीमांकन कर आधिपत्य दिया जा चुका है ? (ख) यदि हां, तो उक्त एग्री सोल्यूशन सेंटर (डबल

लॉक गोदाम) के भवन निर्माण की कार्यवाही आज दिनांक तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई कारण स्पष्ट करें ? (ग) उक्त एग्री सोल्यूशन सेंटर (डबल लॉक गोदाम) का निर्माण कर कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा समय अवधि बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां. (ख) एग्रीसोल्यूशन सेंटर के निर्माण के लिये अनुबंधित ठेकेदार से अनुबंध के 7 माह पश्चात तक शासन से उपयुक्त भूमि प्राप्त न होने के कारण दिनांक 04.10.2012 को उक्त अनुबंध निरस्त कर अनुबंधित ठेकेदार को अमानत की राशि वापस की गई. तत्समय भूमि उपलब्ध न होने के कारण पोहरी जिला शिवपुरी के स्थान पर बम्होरी जिला गुना में एग्रीसोल्यूशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है. (ग) पोहरी जिला शिवपुरी में एग्रीसोल्यूशन सेंटर के निर्माण के लिये वर्तमान में किसी भी योजना के अंतर्गत कोई स्वीकृति नहीं है, अत: शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता.

राशि का अंतरण

41. **(क्र. 1126) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2/24/2009/22/पं.1, दिनांक 11 जून 2012 द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना 1 जुलाई 2012 से लागू की जाकर मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी के मासिक अंशदान के रूप में काटे जाने के निर्देश जारी किये गये थे ? (ख) यदि हां, तो क्या सतना जिले के जिला पंचायत एवं समस्त जनपद पंचायतों के कर्मचारियों की पी.एफ. राशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा खोले गये खाता क्रमांक 10177430564 में जमा कराई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमा राशि संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के खाता क्रं. 900710110000986 में स्थानान्तरित की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पी.एफ. राशि स्थानांतरित नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी/लेखाधिकारी जिम्मेदार हैं व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? (ग) क्या उक्त कर्मचारियों की पी.एफ. राशि जमा नहीं होने से प्रान नम्बर आवंटित नहीं हो पाये हैं एवं कुछ कर्मचारियों की विगत 6 माह के भीतर सेवानिवृत्ति हो जाने पर उनके पेंशन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जवाबदेही तय की जावेगी ? क्या वर्तमान में कोषालय द्वारा वेतन आहरण की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर पी.एफ. कटौती की राशि प्रान नम्बर आवंटित नहीं होने के कारण जमा नहीं हो पा रही है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । योजनांतर्गत बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स शाखा भोपाल को ट्रस्टी बैंक बनाया गया । जिसमें इस प्रयोजन हेतु एक विशेष खाता क्र. 900710110000986 खोला गया । किंतु पंचायतराज संचालनालय द्वारा जिला/जनपद पंचायतों

के पंजीयन क्रमांक आवंटित नहीं करने तथा जिला/जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के प्रान नंबर आवंटित नहीं होने के कारण इस खाते में राशि अंतरित नहीं की जा सकी है । संचालनालय स्तर से पंजीयन हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी एन.एस.डी.एल को प्रेषित की जा चुकी हैं पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी, लेखाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं । संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पंचायतराज संचालनालय एवं जिला/जनपद पंचायतों के पंजीयन क्रमांक आवंटित नहीं करने के कारण प्रान नंबर आवंटित नहीं हुये है । नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सेवा निवृत्त होने पर अभिदाता द्वारा कुल जमा अंशदान के 40 प्रतिशत राशि से एन्यूटी सर्विस प्रोवाईडर से एन्यूटी क्रय किया जावेगा जिससे अभिदाता को एन्यूटी सर्विस प्रोवाईडर द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी । इस सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेग्यूलेटरी डब्लपमेंट भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है । इस सिस्टम में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है । पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर प्रान नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो जावेगी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी । चूंकि विभाग द्वारा योजना के संचालन हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी/लेखाधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>विभागीय अनुदान प्राप्त योजनाएं</u>

42. **(क्र. 1135) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग ने कहां-कहां किसे विगत 05 वर्षों में अनुदान देकर गोबर गैस संयंत्र, नाडेप संयंत्र का निर्माण करवाया ? इसमें कुल कितना व्यय हुआ विभाग ने कितना अनुदान दिया ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त संयंत्रो की वर्तमान स्थिति क्या है ? जो संयंत्र कार्यरत नहीं है उनके कार्य न करने के क्या कारण है ? (ग) अनुदान प्राप्त योजनाएं जो बंद हो चुकी है इनके प्रारंभ करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जाते हैं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) विगत पॉच वर्षो में नाडेप टांका संयंत्रों का निर्माण नहीं किया गया । गोबर गैस संयंत्र पर देय अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार** है । (ग) केंद्रीय योजनाए भारत सरकार से संबंधित होती है । राज्य योजनाओं को बंद करने का औचित्य पूर्ण निर्णय लिया जाता है अत: इनके प्रारंभ करने हेतु प्रयास करने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।

<u>कपिल धारा कूप का हितग्राहियों को भुगतान</u>

43. **(क्र. 1136) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छतरपुर एवं राजनगर विकासखण्डों में ऐसे कितने कपिल धारा कूप के प्रकरण है, जिनका प्रकरण स्वीकृत होने के बाद कूप निर्माण हितग्राही द्वारा किया गया

तथा प्रश्न दिनांक तक हितग्राही को भुगतान नहीं किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इनका भुगतान न होने के क्या कारण है ? क्या यह कारण विधि सम्मत है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड छतरपुर एवं राजनगर में कोई भी ऐसा कपिलधारा कूप का प्रकरण नहीं है जिसका प्रकरण स्वीकृत होने के बाद निर्माण हितग्राही द्वारा किया गया हो । मनरेगा योजनांतर्गत प्रकरण स्वीकृत होने के बाद कूप निर्माणसंबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कार्य एजेंसी के रूप में किया जाता है एवं कार्य में संलग्न जॉबकार्डधारियों को मजदूरी भुगतान तथा सामग्री मद का भुगतान संबंधित वेण्डर्स से उनके बैंक/पोस्टऑफिस खातों में सीधे एफटीओ के माध्यम से किया जाता है । अतएव हितग्राही को भुगतान किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्नउपस्थित नहीं होता ।

शासकीय धनराशि का पंचायतों द्वारा दुरूपयोग

44. **(क्र. 1313) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत विगत दो वर्षो में बी.आर.जी.एफ. एवं पंचपरमेश्वर योजना के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? क्या आवंटित धनराशि का पूर्णत: उपयोग ग्राम पंचयातों द्वारा कर लिया गया तथा उनका मूल्याकंन होकर पूर्णता प्रमाण पत्र तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी किये जा चुके हैं ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों योजनाओं में प्रदत्त राशि पंचायत सचिवों व सरपंचों ने बैंक खातों से आहरण तो कर लिया किन्तु मौके पर कार्य की स्थिति कही अपूर्ण, कहीं बिल्कुल कार्य नही हुआ अथवा मात्रा व गुणवत्ता की भारी कमी देखने में आ रही है ? (ग) उपरोक्तानुसार क्या कार्यों की जांच कर दोषी पाये जाने पर क्या संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही कर आवंटित राशि की वसूली की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बीआरजीएफ एवं पंचपरमेश्वर योजना की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' एवं प्रपत्र- 'ब' अनुसार** । जी हां । कार्य का मूल्यांकन उपयंत्री से कराया जाकर तदानुसार राशि का उपयोग किया जाता है । कार्य का मूल्यांकन होने पर तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्णतः प्रमाणपत्र दिया जाता है । (ख) जी नहीं । कार्य की प्रगति के आधार पर राशि का आहरण किया गया । राशि के आहरण के बाद गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शासकीय सेवक का सहकारी संस्था में निर्वाचन

45. **(क्र. 1356) श्री राजेश सोनकर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कोई भी शासकीय सेवक उसके विभाग के अलावा किसी अन्य सहकारी संस्था के निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बन सकता ? (ख) इन्दौर स्थित शुभलक्ष्मी कोऑपरेटिव्ह बैंक

लिमिटेड के संचालक मंडल में वर्तमान में कितने शासकीय सेवक निर्वाचित हुये हैं ? कौन-कौन से किस आधार पर ? (ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर ने अपने पत्र क्र. 7412 दि. 01.07.2014 द्वारा श्रीमती टंडन को निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी ? साथ ही अपने पत्र क्र. 7563 दि. 07.10.14 द्वारा सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं इन्दौर से जानकारी चाही गई ? (घ) क्या अनुमति नहीं मिलने और सहकारिता को लिखने के बावजूद श्रीमती टंडन संचालक निर्वाचित हुयी तो विभाग ने क्या कार्यवाही 31.01.15 तक की नहीं, तो क्यों नहीं ? सहकारिता विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र का उत्तर दिया तो उसकी प्रति देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नही. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार. (ख) एक. शुभलक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर के संचालक मंडल में शासकीय सेवक श्रीमती बेला टंडन, व्याख्याता, शासकीय स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर संचालक के रूप में निर्वाचित हुई है. श्रीमती बेला टंडन शुभलक्ष्मी कोऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर की सदस्य हैं. (ग) जी हां. जी हां. (घ) जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर के पत्र दिनांक 01-07-2014 से श्रीमती बेला टंडन को निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं करने की जानकारी कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग इंदौर को प्राप्त नहीं हुई और जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर का पत्र दिनांक 07-10-2014 प्राप्त होने के पूर्व निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 05-10-2014 को पूर्ण हो चुका था. शिकायत की जांच में उपरोक्त तथ्य प्रमाणित होने पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग इंदौर के पत्र दिनांक 07-01-2015 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर को उनके पत्र दि. 7.10.2014 के संदर्भ में जानकारी प्रेषित की गई. बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती बेला टंडन द्वारा दिनांक 12.02.2015 को संचालक पद से त्याग पत्र दे दिया गया है. संयुक्त आयुक्त इंदौर के पत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**.

<u>परिशिष्ट - "सत्रह"</u>

<u>शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य का आवंटन</u>

46. **(क्र. 1371) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? उन दुकानों का संचालन कौन, कब से कर रहा है, पूरी सूची दें ? (ख) पूरे जिले में प्रति दुकान कितने ए.पी.एल./बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्डधारी हैं ? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की दुकानवार जानकारी दें ? (ग) वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक इस शासकीय उचित मूल्य की दुकानों हेतु कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल, शक्कर, केरोसीन का आवंटन दिया गया ? वर्षवार जानकारी दें ? (घ) क्या किसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कम एवं किसी पर अधिक आवंटन दिया गया है ? अगर हां तो इसके लिये दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) सतना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमश: 729 एवं 89 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं । दुकानों के संचालक एवं दुकान-संचालन की अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार** है । (ख) वर्तमान में केवल अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार (बी.पी.एल. सहित) के कार्ड प्रचलन में हैं । जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की दुकानों से संलग्न प्राथमिकता परिवार एवं अन्त्योदय कार्डधारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है । (घ) जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

वेयर हाऊस में सामान्य भंडारण के नियम निर्देश

47. **(क्र. 1397) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में निर्मित वेयर हाऊस में जिला प्रशासन द्वारा अनाज का भंडारण किस नियम निर्देश/मापदण्ड से किया जा रहा है ? (ख) क्या यह सही है कि सेवा सहकारी समितियों/खरीदी केन्द्रों पर अनाज शासन द्वारा क्रय करने के पश्चात सबसे कम दूरी के वेयर हाउस में भंडारण किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पास के वेयर हाउस में भंडार करने से दूरी कम होगी, जिससे अनाज उठवाने में वित्तीय भार कम दूरी के कारण कम लगेगा ? (घ) यदि हां, तो क्या शासन इस संबंध में विचार कर कब तक नवीन दिशा निर्देश जारी करेगा ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रदेश में उपार्जित स्कंध के वेयरहाउस में भण्डारण संबंधी दिशा-निर्देश की प्रतियां **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । (ग) जी हां । (घ) निजी गोदामों की उपलब्धता सदैव स्पष्ट न होने से इस बाबत निर्देश जारी किया जाना व्यावहारिक नहीं है ।

परिशिष्ट - "अठारह"

केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य पर्ची का वितरण

48. **(क्र. 1402) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने लोगों को खाद्य पर्ची वितरीत की गई ? (ख) क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र को खाद्यान्न पर्ची नहीं मिलने के कारण स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय अधकारियों को आवेदन भेजे गये हैं ? यदि हॉ, तो तिथि एवं सूची प्रस्तुत की जाये ? (ग) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को खाद्यान्न पर्ची नहीं दिये जाने के क्या कारण है ? कारण बताये एवं उनको खाद्यान्न पर्ची कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 66,557 पात्र उपभोक्ताओं को खादयान्न पर्ची वितरित की गई । (ख) केवालारी विधानसभा क्षेत्रांर्गत खादयान्न पर्ची नहीं मिलने के संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । (ग) समग्र सामाजिक मिशन के पोर्टल पर सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है । पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त होने पर उनका सत्यापन एवं उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है ।

जैसीनगर जनपद भवन निर्माण में अनियमितता

49. **(क्र. 1404) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर जिले के जनपद पंचायत जैसीनगर के कार्यालय का नया भवन अधिकारियों एवं निर्माण ऐजेन्सी की मिलीभगत से अत्यन्त घटिया सामग्री का उपयोग करते हुये गुणवत्ताहीन बनाया गया है जिसके कारण पूरा फर्श एवं उसमें लगे टाइल्स उखड़ गये हैं तथा दीवालों पर दरारें पड़ गयी हैं जो स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रही है ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में अनेकों शिकायतों के बाद भी न तो उक्त निर्माण कार्य की जॉच करायी गयी न ही उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार कार्य कराया गया जिसके कारण आज भी जनपद पंचायत कार्यालय पुराने ही भवन में लग रहा है ? (ग) यदि हॉ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जनपद कार्यालय जैसीनगर के भवन निर्माण के गुणवत्ताहीन निर्माण के लिये कौन दोषी है और दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा भवन में सुधार कार्य कब तक कराया जावेगा ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सागर द्वारा जनपद पंचायत जैसीनगर में जनपद पंचायत भवन विस्तार का निर्माण किया गया है । निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य में पुनः सुधार तत्समय ही कराया जा चुका है । (ख) जी नहीं । निर्माण के समय कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । भवन का उपयोग जनपद पंचायत पूर्ण होने के उपरांत से ही किया जा रहा है । (ग) भवन निर्माण कार्य में कोई भी दोषी नहीं है एव ना ही सुधार कार्य कराया जाना शेष है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

अलीराजपुर जिले में स्वीकृत शौचालयों का निर्माण

50. **(क्र. 1473) श्री नागर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्मल भारत अभियान के प्रारम्भ से अलीराजपुर जिले में कितने शौचालय स्वीकृत किये गये ? शौचालय निर्माण हेतु जिले को कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) जिले द्वारा जनपदवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? (ग) क्या शौचालयों के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री सीधे जिला पंचायत से सप्लाई की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सामग्री ? (घ) यदि निर्माण सामग्री सप्लाई की गई तो भुगतान किस प्रकार किया गया और किस संस्था को किया गया ? (ड़) क्या

सप्लाई नियमानुसार की गई ? यदि हां, तो कौन से नियम से ? (च) यदि सप्लाई नियमानुसार नहीं की गई, तो इसके दोषी कौन हैं ? क्या इसकी जांच करवाई जावेगी ? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) निर्मल भारत अभियान के प्रारंभ वर्ष 2012-13 से अलीराजपुर जिले में 17969 व्यक्तिगत शौचालय एवं 2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत किये गये हैं । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । (ग) जी हॉ । जिले द्वारा रूरल सेनेटरी पेन आदि सामग्री का प्रदाय शासन द्वारा निविदा से चयनित एजेंसी से अनुबंध किया जाकर कराया गया । अनुबंधित एजेंसी शीतल सेनेटरी मार्ट अहमदाबाद द्वारा अनुबंधानुसार रूरल सेनेटरी पेन मय फूटरेस्ट सप्लाई किया गया । (घ) जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा चैक के माध्यम से शीतल सेनेटरी मार्ट अहमदाबाद को भुगतान किया गया । (ड.) जी हॉ । विभाग के पत्र क्र 13632 दिनांक 17-02-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सप्लाई की गई । पत्र की छाया प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है । (च) प्रश्नांश (ड.) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण किया जाना

51. **(क्र. 1491) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास होमस्टेट, इंदिरा आवास वनाधिकार योजना में वर्ष 2010-2011 से जनवरी 2015 तक कितने-कितने आवास किस आधार पर स्वीकृत किये गये ? (ख) उक्त स्वीकृत आवासों में किन-किनके कार्य पूर्ण हो गये, तथा किन-किनके आवास अपूर्ण, तथा अप्रारंभ हैं, तथा क्यों ? (ग) क्या यह सत्य है कि द्वितीय तथा अंतिम किश्त भुगतान न होने के कारण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो किश्तों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है ? इस संबंध में जिले के सी.ई.ओ. को किन-किनके पत्र उक्त अवधि में प्राप्त हुए ? (घ) उक्त पत्रों का जवाब कब दिया, तथा कब तक किश्तों का भुगतान हो जायेगा ? समयावधि बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) रायसेन एवं देवास जिले मे मुख्यमंत्री अन्त्योंदय आवास, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास (होमस्टेड) एवं वनाधिकार योजना में वर्ष 2010-11 से जनवरी 2015 तक शासन के दिशा निर्देशानुसार बीपीएल, प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवास स्वीकृत की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश क के अनुक्रम मे पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारम्भ आवासों की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (ग) जिला रायसेन की होमस्टेड एवं वनाधिकार आवास की द्वितीय किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त योजना के हितग्राहियों को किश्तें प्रदाय नहीं की जा सकी हैं । जिला देवास में होमस्टेड की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त योजना

के हितग्राहियो को किश्तें प्रदाय नहीं की जा सकी हैं । उक्त हितग्राहियों को शेष किश्तों की राशि के भुगतान के संदर्भ में संबधित जनपद पंचायतों द्वारा अपने कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से मांग पत्र तथा हितग्राहियों द्वारा भी यथासमय सीधे मांग पत्र समक्ष में प्रस्तुत किये गये हैं । राशि प्राप्त होते ही हितग्राहियों को राशि का भुगतान तत्काल किया जावेगा । वनाधिकार मे माह जनवरी 2015 में राशि प्राप्त हुई है । जनपद पंचायतों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय किश्त के प्रस्ताव अनुसार हितग्राहियो को राशि क्रमश: तत्काल जारी की जा रही है । (घ) जिला रायसेन अन्तर्गत होमस्टेड व वनाधिकार आवास की राशि भारत सरकार से अप्राप्त है । तथा इंदिरा आवास नवीन एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास में प्राप्त उपलब्ध राशि से हितग्राहियों को जनपदों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसार राशि का भुगतान किया जा रहा है । जिला देवास अन्तर्गत जनपद पंचायतों से प्राप्त मांग पत्रानुसार पत्रों मे उल्लेखित हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की भुगतान उपलब्ध आवंटन अनुसार किया जा रहा है ।

राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

52. **(क्र. 1492) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी के अन्तर्गत सड़क पुल-पुलिया स्वीकृत करने के संबंध में क्या-क्या दिशा-निर्देश है पूर्ण विवरण दें ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत 2011-12 से 31 जनवरी 2015 तक कौन-कौन सी सड़के स्वीकृत की गई ? (ग) उक्त योजना के अन्तर्गत सड़के स्वीकृत करने के संबंध में माननीय मंत्रीजी तथा विभाग के अधिकारियों को उक्त अवधि में किन-किन विधायक/सांसद के पत्र प्राप्त हुए ? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिीविटी के नाम से वर्तमान में कोई भी योजना संचालित नही है । अपितु स्टेट कनेक्टिविटी योजना संचालित है इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो से संबंधित वित्तीय एवं तकनीकी अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में अन्य मूल कार्य (राज्य मद से) के लिये माननीय मंत्री जी (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) को पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये गये है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ग) एवं (घ) रायसेन एवं देवास जिले के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है ।**

परिशिष्ट - "उन्नीस"

जनपद पंचायत हनुमना में इन्दिरा आवास

53. **(क्र. 1523) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना अंतर्गत वर्ष, 2004-05 से प्रश्न प्रस्तुति दिनांक तक इन्दिरा आवास के कितने आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, नाम, पते एवं संलग्न दस्तावेजों के विवरण

अनुसार वरीयता क्रम में बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इन आवेदनों/प्रस्तावों में कितने स्वीकृत हो चुके हैं एवं कितने अस्वीकृत ? अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं ? प्रस्ताव अनुसार अलग-अलग विवरण सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में स्वीकृत प्रस्तावों में कितने प्रस्तावों में कितनी राशि कब-कब जारी की जा चुकी है, विवरण सहित बतावें ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में ऐसे कितने स्वीकृत प्रस्ताव हैं, जिनमें मात्र एक किश्त की राशि जारी की गई है ? जारी की गई राशि का विवरण दिनांक सहित बतावें ? एवं इन प्रस्तावों में बाकी किश्त क्यों नहीं दी गई, कारण सहित बतावें ? इसके लिए कौन दोषी हैं ? दोषी के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही कर पात्र हितग्राहियों को उनकी बाकी राशि प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अन्तर्गत वर्ष 2004-05 से प्रश्न दिनांक तक इंदिरा आवास योजना मे कुल 4880 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, नाम पते एवं संलग्न दस्तावेजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश क के प्रकाश में इन आवेदनों/प्रस्तावों में से 1433 स्वीकृत हो चुके है, एवं शेष 3447 निर्धारित वित्तीय वर्ष मे लक्ष्य के अभाव मे स्वीकृत नहीं हुये हैं । (ग) प्रश्नांश ख के प्रकाश में स्वीकृत प्रस्तावों मे से 1433 स्वीकृत की गई किश्तों की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (घ) प्रश्नांश क, ख एवं ग के संदर्भ मे ऐसे 489 प्रस्ताव है, जिनमें मात्र एक किश्त की राशि जारी की गई है । जारी की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है । इन प्रस्तावों मे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात द्वितीय किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते मे जारी की जावेगी ।

<u>संरपंच के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही</u>

54. **(क्र. 1557) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाद्रीगंज में 2009 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? कार्यवार, मदवार एवं वर्षवार ब्यौरा देवें ? (ख) परसवाड़ा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पाद्रीगंज, वि.ख. बालाघाट के सरपंच के खिलाफ अनियमितता किये जाने संबंधी नागरिकों द्वारा कब-कब एवं कितनी शिकायत की गई दिनांकवार विवरण देवें ? (ग) क्या उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि की गई तो क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई और कब तक की जावेगी ? (घ) क्या यह भी सही है कि दीनदयाल आवास के पैसे हितग्राही से लेकर उनके मकान प्रश्न दिनांक तक नहीं बनवाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी ? उक्त सरपंच पर क्या कार्यवाही की गई तथा अनियमितता के आरोप संबंधी कितनी राशि वसूली गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार** है। (ख) परसवाड़ा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज विकासखंड वालाघाट के सरपंच के खिलाफ अनियमितता किये जाने संबंधी नागरिकों द्वारा दिनांक 18.01.2014, 07.10.2014, 21.10.2014, 29.10.2014 एवं 18.11.2014 को 05 शिकायत की गई है । इसके अतिरिक्त एक अन्य शिकायत दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भ्रष्टाचार के संबंध में मा.मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल से प्राप्त हुई है । (ग) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ । दीनदयाल आवास योजना संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है । इस संबंध में जांच प्रचलित है ।

सरपंचों को मानदेय का भुगतान

55. **(क्र. 1558) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक सरपंचो को कब-कब किस मान से मानदेय भुगतान किया गया है ? (ख) अगर भुगतान नहीं हुआ है तो क्या आवंटन जारी नहीं हुआ एवं समय-समय पर मानदेय कब-कब बढ़ाया गया जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सही है कि सरपंचो को निर्माण कार्य करवाये जाने संबंधी अधिकार वापस ले लिए गये है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितनी राशि तक अनुशंसा की जा सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) वर्ष 2009 से मार्च, 2013 तक सरपंचो को राशि रुपये 350/- के मान से तथा दिनांक 01.04.2013 से राशि रुपये 1750/- प्रतिमाह की मान से भुगतान किया गया है । (ख) जी नहीं । वर्ष 2009 से मार्च, 2013 तक सरपंचो का मानदेय राशि रुपये 350/- के मान से भुगतान हुआ है । दिनांक 01.04.2013 से राशि रुपये 1750/- प्रतिमाह बढ़ाया गया है । (ग) जी नहीं । ग्राम पंचायतों को राशि रुपये 15.00 लाख तक के कार्य स्वीकृत कर निर्माण करने के वित्तीय अधिकार दिये गये है,न कि सरपंचो को शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

सामाजिक न्याय पेंशन योजना में एकरूपता

56. **(क्र. 1580) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि सामाजिक न्याय, नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना अंतर्गत वर्तमान में अलग-अलग तरह की पेंशन क्रमश: 150, 200, 275, 300 एवं 500 रूपये प्रदत्त की जा रही है ? क्या यह भी सच है कि देश के अन्य राज्यों में प्रदत्त की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशियों में एकरूपता नहीं है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? (ख) क्या उक्त पेंशन राशि जीवन गुजर बसर के लिए पर्याप्त है ? क्या शासन पेंशन योजना को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने पर विचार करेगा ? (ग) क्या शासन द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना बनायी जा चुकी है ? यदि हां, तो सागर नगर में इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां ।जी हां ।राशि में एकरूपता नहीं होना प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी वित्तीय,भौगोलिक एवं जनसंख्या की स्थिति पर निर्भर करता है । (ख) शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को आर्थिक सहायता स्वरुप पेंशन प्रदाय की जाती है ।जी नहीं । (ग) जी हां ।सागर नगर में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता अनुसार हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है ।

जैविक खेती को प्रमाणित करने की प्रक्रिया

57. **(क्र. 1581) श्री शैलेन्द्र जैन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया क्या है ? (ख) क्या यह सच है कि जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु कृषक को आवेदन देने के उपरांत प्रक्रिया पूर्ण होने तक समयावधि में लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं ? यह भी सच है कि कृषक को लगभग 25-30 हजार रूपये का शुल्क वहन करना पड़ता है ? (ग) यदि उत्तरांश (ख) सही है तो क्या शासन जैविक खेती के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी ? (घ) यदि हां, तो कब तक समय सीमा बताएं ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । जैविक खेती के प्रमाणीकरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । जैविक खेती प्रमाणीकरण के मानक तथा प्रोटोकाल भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना प्रमाणीकरण के लिये आवश्यक है ।जी नहीं कृषक पर रू. 25-30 हजार का शुल्क वहन नहीं पडता है । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) उत्तरांश 'ग' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "बीस"

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभांविंतो की संख्या

58. **(क्र. 1583) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत अप्रैल, 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ? इस पर विवाह समारोह व्यवस्था एवं विवाह पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष अप्रेल, 2011 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विवाह समारोह में कुल कितने वर-वधुओं को उपहार दिए गए उपहार पर किए गए व्यय की वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत कम कीमत की घटिया वस्तुएं उपहार में दी गई, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 3 से 4 हजार रूपये हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस आयोजन की जांच करायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

सिवनी जिले के लिये स्वीकृत राशि एवं व्यय

59. **(क्र. 1584) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-4 में कुल कितनी राशि स्वीकृत थी, तथा कितनी राशि व्यय की गई ? विकासखण्डवार व वर्षवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त वित्तीय वर्षों में प्रारंभ किये गये मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ? (ग) क्या यह भी सच है कि सिवनी जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में मजदूरों द्वारा किये गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जायेगा ? (घ) क्या यह भी सच है कि मजदूरी का भुगतान न होने के कारण सिवनी जिले से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) सिवनी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कुल स्वीकृत तथा व्यय राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) वित्तीय वर्षों में प्रारंभ किये गये मनरेगा योजनान्तर्गत अधूरे प्रगतिरत् कार्यों को मनरेगा योजना के निर्देशानुसार भारत सरकार से आवंटन की उपलब्धता होने पर समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण कर लिये जावेंगे। (ग) सिवनी जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षो में मजदूरों द्वारा किये गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं ।

परिशिष्ट - "बाईस"

इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन

60. **(क्र. 1597) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के अंतर्गत सैलाना विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 01 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक शासन से कितना लक्ष्य एवं धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त कुल लक्ष्य में से प्रत्येक वि.ख. को कितना-कितना लक्ष्य एवं धनराशि का आवंटन किया गया है ? (ख) विकासखण्ड सैलाना एवं बाजना की ग्राम पंचायतों को आवंटित आवास कुटीरों में से कितनी कुटीर महिलाओं को, कितनी अनुसूचित जाति को, कितनी अनुसूचित जनजाति को, कितनी मुक्त बंधुआ मजदूरों को एवं कितनी विकलांगो को दी गई ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या स्वीकृत कुटीरें पति-पत्नि के संयुक्त नाम से स्वीकृत है या नहीं ? (घ) क्या आवंटित की गई हितग्राहीवार कुटीरों में स्वच्छ, शौचालय एवं धुंआरहित चूल्हे का निर्माण कराया गया है अथवा नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जिला रतलाम के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सैलाना में जनपद पंचायत बाजना एवं सैलाना को 01 जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक शासन निर्देशानुसार द्वारा कुल 4425 का लक्ष्य तथा 2495.62 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ विकासखण्ड वार लक्ष्य एवं आवंटित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । (ख) विकासखण्ड सैलाना एवं बाजना की ग्राम पंचायतों को आवंटित आवास कुटीरों मे से महिलाओ/अनु0जाति/अनु0जनजाति/मुक्त बंधुआ एवं विकलांगों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (ग) विधानसभा क्षेत्र सैलाना मे पति-पत्नी के संयुक्त नाम से कुटीर स्वीकृत जनपद पंचायत सैलाना एवं बाजना द्वारा नहीं किये गये क्योंकि ग्राम सभा द्वारा अनुमादित आवासहीन हितग्राही मुखिया के नाम से कुटीर स्वीकृत की गई है । जिले की शेष जनपद पंचायत सामान्य वर्ग की जावरा, रतलाम, आलोट एवं पिपलौदा में लक्ष्य के विरूद्ध 40 प्रतिशत संयुक्त पति-पत्नी के नाम से इंदिरा आवास कुटीर स्वीकृत की गई है एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को संयुक्त नाम से इंदिरा आवास योजना स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है । (घ) इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार इंदिरा आवास निर्माण मे स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हा निर्माण किया जाना है । इंदिरा आवास का निर्माण हितग्राहियों द्वारा स्वंय की इच्छानुसार किया जाता है । हितग्राही प्रथम किश्त से लिंटन स्तर तक निर्माण कार्य करता है । द्वितीय किश्त लिंटन स्तर होने पर जारी होती है । इसके बाद उसके द्वारा स्वंय निर्माण किया जाता है । शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हे के निर्माण करने हेतु पंचायतों के सचिवो/सरपंचो एवं हितग्राहियों को निर्देशित किया गया है ।

<u>सैलाना वि. क्षे. के अंतर्गत स्वीकृत कार्य</u>

61. **(क्र. 1599) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना वि.क्षे. के अंतर्गत जनपद पंचायत सैलाना तथा बाजना में वर्ष 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक के सभी मदों में से स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण किये गये है एवं कितने अपूर्ण कार्य है ? (ख) जनपद पंचायत सैलाना तथा बाजना के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतों के मदवार, कार्यवार, वर्षवार, स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दें ? (ग) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? क्या अपूर्ण कार्यों को उनकी निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराये जाने एवं कार्य के विरूद्ध शासकीय राशि आहरित कर लेने के कारण शासन को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी है इन अधिकारी एवं कार्मचारियों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा करना शेष है ? (घ) जनपद पंचायत सैलाना तथा बाजना में कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा किन-किन स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध अग्रिम राशि का आहरण किया गया है एवं उक्त राशि के विरूद्ध कार्य नही करवाया जा रहा है ? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । (ग) अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है । जी हाँ । जनपद पंचायत सैलाना निर्माण कार्य के पूर्व ही राशि आहरित करने वाले 19 ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव के विरुद्ध धारा 92 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना कार्यालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** । जनपद पंचायत बाजना में निर्माण कार्य के पूर्व ही राशि आहरित करने वाले 05 ग्राम पंचायतों तथा छाबनी भाभर,आमलिपाड़ा,भुरीघाटी,मनासा,ठिकरीया एवं कुण्डल के सचिवों को निलंबित किया गया है । शेष अग्रीम राशि आहरण करने वाली 53 ग्राम पंचायत सचिवों को राशि वापस करने हेतु नोटिस दिया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे के प्रपत्र परिशिष्ट "द" अनुसार** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई"** अनुसार । जनपद पंचायत सैलाना के 19 सचिवों एवं सरपंचो के विरुद्ध पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना में प्रकरण पंजीबद्ध कराये गये है । जनपद पंचायत बाजना की 05 ग्राम पंचायतों सचिवों को निलंबित किया गया है एवं शेष 53 सचिवों को वसूली के नोटिस जारी किये गये है ।

जनपद पंचायत निधि में अनियमितता

62. **(क्र. 1608) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले की हटा, पटेरा व दमोह जनपद पंचायत अंतर्गत 1 अप्रैल,2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि जनपद पंचायत निधि अन्तर्गत जनपद पंचायतों को प्राप्त हुई? वर्षवार राशिवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) दमोह जिले की तीनों जनपद पंचायतों में 1 अप्रैल,2012 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों को किस-किस कार्य हेतु राशि प्रदाय की गई ? जानकारी राशिवार,कार्यवार,पंचायतवार, उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब"अनुसार** ।

ग्राम पंचायत मांगरौत को प्राप्त आवंटन

63. **(क्र. 1624) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मॉगरौत में विगत पांच वर्षों में विभिन्न मदों में कितनी राशि का आवंटन हुआ है ? एवं कितनी खर्च हुई है ? (ख) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मॉगरौत में राशि का उपयोग मदवार खर्च न करते हुए अन्य मदों में कर दी गई है ? वरिष्ठ अधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर जानकारी उपलब्ध कराई जावे ? (ग) दोषी अधिकारी/कर्मचारी/सरपंच के खिलाफ कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ? (घ) ग्राम पंचायत मांगरौत के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में कितने हैण्डपंप लगाए गए हैं ? कितने चालू हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"अ" अनुसार** । (ख) जी नहीं । ग्राम पंचायत मांगरोल में राशि का उपयोग मदवार व्यय किया गया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है । (ग) प्रश्नांश"ख" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार** ।

बोगस भुगतान में दोषियों पर समुचित कायर्वाही

64. **(क्र. 1651) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के परि.अता.प्रश्न 49 दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत जमुनिया जनपद पंचायत चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के सरपंच व सचिव के विरूद्ध की गयी शिकायत की संयुक्त जांच में 86939.00 रूपये के बोगस मजदूरी भुगतान के लिए सरपंच, सचिव व क्षेत्रीय उपयंत्री श्रीमती बुशरा खान दोषी पाये गये हैं ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि उनके द्वारा जनपद में जमा कर बोगस भुगतान स्वीकार भी किया गया है ? (ग) यदि हाँ तो संबंधितों के विरूद्ध शासकीय धनराशि व पद का दुरूपयोग, वित्तीय अनियमितता, शासकीय अभिलेखों में बोगस भुगतान के चलते स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज न कराते हुए सरपंच का कार्यकाल समाप्ति की ओर होने पर भी उसके विरूद्ध धारा 40 का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्ताव भेजने का क्या औचित्य है ? क्या यह दोषियों को बचाने का प्रयास नहीं है ? (घ) क्या शासन उक्त वित्तीय अनियमितता, अभिलेखों में बोगस भुगतान के दोषी सचिव व उपयंत्री के विरूद्ध सीधी कार्यवाही कर उन्हें सेवा से पृथक करने तथा सरपंच सहित व उपयंत्री के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश देगा ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हॉ तो कब स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । ग्राम पंचायत जमुनिया की जांच में सरपंच सचिव एवं उपयंत्री श्रीमती बुशरा खान दोषी पाये गये थे । किन्तु यह उत्तर विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 572 दिनांक 08.12.2014 के प्रश्नांश (ख) में दिया गया था । (ख) जी हाँ । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चैरई द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र 1893/प्रस्तु.-1/अ.वि.अ./2014 दिनांक 07.08.2014 के पालन में राशि जनपद पंचायत कार्यालय में जमा की गई है । (ग) जी नही । संबंधितों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विधिवत कार्यवाही हेतु धारा 40 के तहत प्रकरण दिनांक 07.08.2014 को पंजीबद्ध हुआ है । दोषियों को बचाने का प्रयास निराधार है । (घ) प्रकरण से संबंधित उपयंत्री श्रीमती बुशरा खान के विरूद्ध कार्यवाही की गई ।सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क प्रकरण प्रक्रियाधीन है एवं सरपंच के विरूद्ध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रचलित है ।

प्रदेश में निजी बसों का संचालन

65. **(क्र. 1655) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित निजी परिवहन यात्री बसों में होने वाली असुविधा एवं यात्रियों से दुर्व्यवहार के रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था है ? (ख) पिछले तीन वर्षों में इस संदर्भ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या बस टिकट पर बस का नंबर, ट्रेवल्स का नाम या शिकायत के लिये कोई टोल फ्री टेलीफोन नंबर अंकित होता है ? अगर नहीं तो सरकार की इस संदर्भ में क्या योजना है ? (घ) क्या कोई टोल फ्री टेलीफोन नंबर सरकार द्वारा चालू किया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) म.प्र. में संचालित निजी परिवहन यात्री बसों में होने वाली असुविधा एवं यात्रियों से दुर्व्यवहार के रोकथाम हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 एवं म.प्र. मोटरयान नियम 1994 में प्रावधान है, जिसके तहत मंजिली गाडी को परमिट दिये जाते समय राज्य परिवहन प्राधिकार एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के अंतर्गत शर्तें अधिरोपित की जाती है । राज्य सरकार द्वारा म.प्र. मोटरयान नियम 1994 में यात्रियों को असुविधा से बचाने एवं दुर्व्यवहार रोकने हेतु परमिटधारी, ड्रायवर, कन्डेक्टर तथा टिकटों की विक्रय के लिये नियुक्त एजेटों के आचरण संबंधी नियम निर्मित है । नियम 17 में मजिली गाडी और ठेका गाडियों के चालको के कर्तव्य तथा आचरण संबंधी नियम बने हुये है जो यात्रियों की असुविधा और उनसे दुर्व्यवहार रोकने के लिये है । (ख) मै. स्मार्ट चिप लि. के परिवहन आयुक्त कार्यालय, मप्र ग्वालियर स्थित कक्ष में स्थापित बस यात्री हेल्पलाईन नंबरों पर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विभाग द्वारा समय समय पर आकस्मिक जांच की जाकर नियमों एवं सुविधाओं का पालन सुनिश्चित कराया जाता है । (ग) मंजिली गाडी के लिये टिकिट जारी करने के कार्य में लगे ट्रेवल्स अभिकर्ता के द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 126 में है । नियम 91 के उप नियम (3) एवं (4) में मंजिली गाडी के यात्रियों के टिकिट दिये जाने संबंधी प्रावधान है, किन्तु जारी किये जाने वाले टिकिटों को प्रारूप पृथक से निर्धारित नहीं है । नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत बस टिकिट पर बस का नंबर ट्रेवल्स का नाम अंकित किया जाना प्रावधानित है । टोल फ्री टेलीफोन नंबर संबंधी प्रावधान नहीं है । यात्री बसों के टिकिट बस आपरेटरों द्वारा स्वयं मुद्रित करके जारी किये जाते है । इस व्यवस्था में परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । (घ) वर्तमान में मै. स्मार्ट चिप लि. के परिवहन आयुक्त कार्यालय, मप्र ग्वालियर स्थित कक्ष में टेलीफोन नंबर 0751-2423105 एवं 0751-2423113 बस यात्री हेल्पलाईन स्थापित है । वर्तमान में टोल फ्री टेलीफोन नंबर प्रारंभ करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

अमानक नमूने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही

66. **(क्र. 1662) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संचालक विकास कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी एवं दमोह में वर्ष 2012-13 से 14-15 तक बीज उर्वरक एवं पौध संरक्षण के कितने-कितने नमूने लिये गये ? वर्षवार

जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में लिये गये नमूने अमानक पाये गये ? यदि हां, तो कितने नमूने अमानक पाये गय और क्या-क्या संबंधित संस्थाओं के ऊपर कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि संबंधित उपसंचालक द्वारा शासन को भ्रमित करने हेतु असत्य कार्यवाही की गई और अमानक पाये गये प्रकरणों को दबाया गया ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) नहीं, तो कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई और कितने व्यापारियों के लायसेन्स निरस्त किये गये ? क्या यह सही है कि संबंधित व्यापारियों के लायसेन्स निलंबित कर प्रकरणों को दबाया गया ? (घ) क्या यह सही है कि प्रमुख सचिव कृषि एवं संचालक कृषि द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि अमानक पाये जाने पर दोषी संस्था के ऊपर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करते हुये लायसेन्स निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये, तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाये ? (ड़) यदि प्रश्नांश (घ) हां, तो कार्यवाही न करने के लिये एवं कार्यवाही के नाम से औपचारिकता करने के लिये क्या संबंधित निर्वाही सहायक एवं दोषी उपसंचालकों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जायेगी, जिससे गुणवत्तायुक्त कृषि सामग्री कृषकों को प्राप्त हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।अमानक पर नियमानुसार गुण दोष के आधार पर कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उपसंचालक कृषि द्वारा शासन को भ्रमित किया जाना एवं अमानक प्रकरण को दबाया जाना नहीं पाया गया । (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं । (घ) अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वैद्यानिक एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये । (ड.) गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप शेष कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

<u>परिशिष्ट - "तेईस"</u>

<u>नियम विरूद्ध प्रदर्शन</u>

67. **(क्र. 1663) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण जिला कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कितने प्रदर्शनों का आयोजन कितने कृषकों के यहां किया गया ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो उक्त वर्षों में डीआरएस पद्यति के तहत वर्षवार खरीब एवं रबी में कितने प्रदर्शन किन-किन विकासखण्डों में आयोजित किये गये ? क्या योजना में यह प्रावधान है कि जिन कृषकों के यहां खरीफ में लाईन सोईंग कर प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा उसी कृषक के उसी खेत में जीरोटिलर सीड ड्रिल से बोनी का प्रावधान है ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हां, तो खरीफ 2013 में कितने कृषकों के यहां डीआरएस पद्यति से प्रदर्शन डाले गये एवं कितने रबी में उन्ही कृषकों के यहां प्रदर्शन डाले गये ? क्या यह सही है कि रबी में 550 हेक्टेयर में नियम विरूद्ध डीआरएस योजना में प्रदर्शन डाले गये ? यदि हां, तो कुल कृषक संख्या बतावें ? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) खरीफ की तुलना में रबी में नियम विरूद्ध अधिक प्रदर्शनों का आयोजन उप संचालक

द्वारा आयोजित कराया गया है तो क्या संचालक कृषि से इसकी अनुमति ली गई ? यदि नहीं तो बिना अनुमति के शासकीय नियमों का उल्लंघन कर शासकीय राशि का अपव्यय किया गया ? (ड.) यदि प्रश्नांश (घ) हां, तो संबंधित दोषी उप संचालक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये 550 हेक्टेयर नियम विरूद्ध किये गये प्रदर्शन की राशि की वसूली की जावेगी ? नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) कटनी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 5150 प्रदर्शन, 5150 कृषकों एवं वर्ष 2014-15 में 4300 प्रदर्शन 4385 कृषकों के यहां आयोजित किये गये । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । योजना में जिन कृषकों के खेत में खरीफ में प्रदर्शन आयोजन किया जावेगा, उसी खेत में रबी प्रदर्शन आयोजन किये जाने का प्रावधान है ।योजना प्रावधान अनुसार जीरो टिलेज सीड ड्रिल से ही बोनी करने का प्रावधान नहीं है । (ग) खरीफ 2013 में 1100 डी एस आर पद्धति से प्रदर्शन डाले गये एवं रबी में 1450 प्रदर्शन डाले गये जिसमें 1100 प्रदर्शन उन्हीं कृषकों के यहां डाले गये । शेष 350 हेक्टेयर अन्य कृषकों के यहां डाले गये । (घ) जी नहीं । अनुमति नहीं ली गयी । शासकीय राशि के अपव्यय के संबंध में जांच संयुक्त संचालक जबलपुर को पत्र क्रमांक/रा.खा.सु.मि./जांच/21/2014-15/105 भोपाल दिनांक 13/02/2015 के द्वारा जांच हेतु निर्देश जारी किये गये हैं । (ड.) जांच संयुक्त संचालक जबलपुर को पत्र क्रमांक/रा.खा.सु.मि/जांच/21/2014-15/105 भोपाल दिनांक 13/02/2015 के द्वारा जांच हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस"</u>

<u>परिवहन चेक पोस्टों का ठेका निजी कंपनी को दिया जाना</u>

68. **(क्र. 1676) श्री विश्वास सारंग :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परिवहन चेक पोस्ट का ठेका निजी कंपनी को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस कंपनी को कितने ठेके दिये ? नियम और शर्तें क्या हैं ? एक प्रति दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या यह सही है कि उक्त ठेका विभागीय मंत्री की सलाह को दरकिनार करके दिया गया है ? क्या कानूनी तौर पर शासन निजी कंपनी को जांच और राजस्व वसूली के अधिकार दे सकता है ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत विभाग कितनी तरह की जांचें करता है और कंपनी कितनी जांचें करेगी ? अगर राजस्व हानि होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? जो कागजात जांचे जायेंगे वह कैसे तय होंगे कि वे सही हैं ? पांच फीसदी रेंडम जांच का क्या मतलब होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) यह सही है कि प्रदेश में इंट्रीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से मैसर्स एम.पी.बार्डर चेकपोस्ट कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया है । परिवहन विभाग का कार्य भी इसी चेकपोस्ट से किया जाता है । राज्य शासन द्वारा संलग्न आदेश दिनांक 29.3.2010 द्वारा एकीकृत बार्डर चेकपोस्ट निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु पी.पी.पी. पद्धति से कार्य स्वीकृत किया गया तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास

निगम को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया । मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा खुली निविदा के माध्यम से आई.एल. एंड एफ.एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को यह कार्य सौंपा गया जिसने एम.पी.बार्डर चेकपोस्ट कंपनी लिमिटेड का गठन कर अनुबंध संपादित किया । प्रदेश में 24 इंट्रीग्रेटेड चेकपोस्टों तथा 2 सी.सी.एफ. भवनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण एवं रखरखाव का कार्य इस कंपनी को सौंपा गया । नियम एवं शर्तो के संबंध में कंशेसन एग्रीमेंट की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार** है । (ख) जी नहीं । स्थिति यह है कि ठेके के संबंध में सभी नीतिगत निर्णय मंत्री परिषद की बैठक दिनॉक 19 मार्च 2010 में स्वीकृत किये गये । निजी कंपनी को राजस्व वसूली के अधिकार नही दिये गये है । उसका कार्य बोर्डर चैक पोस्टों का निर्माण आधुनिकीकरण एवं उनका संधारण करना है । कंपनी द्वारा स्थापित किये गये स्वचालित इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वाहनों की जॉच की जाती है । (ग) परिवहन जॉच चौकी पर 32 बिन्दुओं पर जॉच की जाती है । जिनकी **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** है । बीसीडीसीएल कंपनी द्वारा लगाये गये स्वचालित इन्फ्रास्ट्रक्चर में 6 जॉचें की जाती है । जिसकी **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** है । राजस्व की समीक्षा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर की जाती है । तभी राजस्व वसूली की सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । मध्यप्रदेश के पंजीकृत वाहनों का डिजीटल डाटाबेस उपलब्ध है । जिससे प्रस्तुत कागजातों की सत्यता पता चलती है । परन्तु प्रदेश के बाहर पंजीकृत वाहनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण उपरान्त ही उसकी सत्यता निर्धारित की जाती है । 5 प्रतिशत फीसदी रेण्डम जॉच से तत्पर्य स्वचलित इन्फ्रास्ट्रक्चर से ठीक पाए गए वाहनों मे से रेण्डम आधार पर चयनित 5 प्रतिशत वाहनों की जॉच करने से है ।

जनपद पंचायत राघौगढ़ में कर्मचारियों का स्थानांतरण

69. **(क्र. 1689) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत राघौगढ़ जिला गुना में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी पदस्थ है और वे यहां कब से पदस्थ हैं ? (ख) क्या शासकीय कर्मचारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रखने की कोई अवधि निर्धारित है ? यदि हां तो जनपद पंचायत राघौगढ़ में लंबी अवधि से पदस्थ कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जनपद पंचायत राघौगढ़ में कुल 39 कर्मचारी पदस्थ है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण किये जाते है,स्थानांतरण नीति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

दमोह जिले में शौचालयों का निर्माण

70. **(क्र. 1707) श्री प्रताप सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्या लक्ष्य नियत किया गया था तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिले को कितना आवंटन

प्राप्त हुआ था ? प्राप्त आवंटन एवं लक्ष्य जिले के 7 विकासखंडों में कितना-कितना आवंटित किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ष में प्राप्त शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति की स्थिति क्या रही है तथा उस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, विकासखंडवार बतलावें ? निर्मित शौचालयों में जल की व्यवस्था है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो शौचालयों के उपयोग हेतु पानी की पूर्ति कहां से की जावेगी ? शौचालयों का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जा रहा है अथवा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है ? यदि ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है, तो कहां-कहां ? (ग) क्या यह सत्य है कि दमोह जिले में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाया है तथा घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों में भी शौचालय नहीं बन पाये हैं, इसका क्या कारण रहा है ? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? निर्मित शौचालयों का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को कहां-कहां किया गया है तथा मौके पर क्या स्थिति पायी ? (घ) जिले में अभी तक योजनान्तर्गत कितने परिवार लाभांवित हुए हैं ? गुणवत्ताविहीन शौचालय निर्माण के संबंध में कितनी शिकायतें ग्रामवासियों से प्राप्त हुई है ? उनका निराकरण कब-कब किया गया है ? निराकरण उपरांत क्या शौचालय गुणवत्तापूर्ण निर्मित किये जा रहे हैं अथवा नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) दमोह जिले में शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में 42224 एवं वर्ष 2014-15 में 35574 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिले को वर्ष 2013-14 में 1490.92 एवं वर्ष 2014-15 में 995.22 राशि (लाख रूपये में) आवंटित हुई । जिल के 7 विकासखण्डो में आवंटित राशि का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । निर्मित शौचालयों में से नलजल वाली पंचायतों में जल की उपलब्धता है शेष पंचायतों में निर्मित शोचालयों में जल व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जा रही है । शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत/हितग्राही द्वारा कराया जा रहा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हॉ । जिले में मनरेगा राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण शौचालय निर्माण लक्ष्य अनुरूप नहीं हो पाया है । जबेरा जनपद पंचायत की घोषित निर्मल ग्राम पंचायत भाटखमरिया, सगौडीखुर्द, हरदुआमानगढ में भी लगभग 15 प्रतिशत लोगो के घरों में शौचालय का निर्माण एजेन्सी की रूचि ना लेने के कारण नहीं बन पाये थे, जिन्हें शीघ्र बनाया जा रहा है । शेष जनपद पंचायतों की घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है । जिला स्तर पर शौचालय निर्माण की नियमित समीक्षा कर शौचालय का प्राक्लन उपलब्ध कराकर ग्राम पंचायतों को मॉग अनुसार राशि जारी की गई । जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला एवं अंतरविभागीय कार्यशाला आयोजित कराकर लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये । स्वच्छता दूतों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया । निर्मित शौचालयों के निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है । (घ) जिले में अभी तक योजनांतर्गत 110076 परिवार (बीपीएल/एपीएल) लाभान्वित हुये हैं । गुणवत्ता विहीन

शौचालय निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है ।

कृषकों को बीज आधुनिक कृषि यंत्र का प्रदाय

71. **(क्र. 1708) श्री प्रताप सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन की योजना ए 3 पी के अन्तर्गत दमोह जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों को बीज प्रदर्शन हेतु कितनी राशि की नि:शुल्क सामग्री कितनी मात्रा में दी गई ? क्या बीज के साथ डीएपी खाद भी दिया जाना था ? यदि हां तो कितने कृषकों को दिया गया ? खाद सुरक्षा मिशन के तहत कितने कृषकों को कौन-कौन से आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये ? (ख) दमोह जिले में कितनी बीज उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? उनके नाम, स्थान तथा संचालक का पूर्ण पता बतलावें ? क्या यह सत्य है कि बीज उत्पादक समितियों द्वारा स्वयं की भूमि पर बीज उत्पादन नहीं किया जाता है ? यदि किया गया है तो समितिवार किये गये बीज उत्पादन का नाम, रकबा, ग्राम, खसरा नम्बर सहित बतलावें ? समितियों द्वारा किये गये बीज उत्पादन के परीक्षण हेतु कितने सीड इंस्पेक्टर जिले में पदस्थ हैं ? उनका नाम एवं पद स्थापना का स्थान/आवंटित क्षेत्र बतलावें ? सीड इंस्पेक्टर द्वारा किस समिति का निरीक्षण/परीक्षण किस-किस दिनांक को किया गया ? (ग) दमोह जिले में कितने खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाईयों के लायसेंसधारी विक्रेता हैं ? इनका सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया ? बिना लायसेंसधारी कितने विक्रेता हैं ? उनके ऊपर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच के दौरान खाद, बीज एवं दवाईयों के कितने प्रकरण अभी तक बनाये गये हैं तथा सेम्पिल जांच में कितने मानक स्तर के एवं कितने अमानक स्तर के पाये गये हैं ? अमानक स्तर के पाये गये विक्रेताओं के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) दमोह जिले में ए3पी योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक प्रदर्शन आयोजन हेतु वितरित सामग्रीवार मात्रा एवं राशि की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । ए3पी योजना के प्रदर्शन में बीज के साथ डी.ए.पी. उर्वरक ही देने का प्रावधान नहीं है ।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि यंत्रवार कृषकों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है । (ख) दमोह जिले में कुल 28 बीज उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है । कुल 17 बीज उत्पादक सहकारी समितियां बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहीं हैं ।उनके नाम संस्था तथा संचालक के पूर्ण पतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है । बीज उत्पादक समितियों द्वारा स्वयं की भूमि पर बीज उत्पादन नहीं किया जाता है । सीड इंस्पेक्टर द्वारा आवंटित बीज उत्पादन समितियों का निरीक्षण/परीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5,6,7,8,9,अनुसार** है । जिले में बीज उत्पादन परीक्षण हेतु 03 सीड इंस्पेक्टर पदस्थ हैं । जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 10 अनुसार** है ।

(ग) दमोह जिले में उर्वरक के 94, बीज के 56 एवं कीटनाशक दवाईयों के 133 लायसेन्सधारी विक्रेता हैं । उनके सत्यापन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 11,12,13, अनुसार** है । जिले में खाद बीज एवं कीटनाशक दवाईओं के बिना लायसेन्सधारी विक्रेता नहीं हैं । वर्ष 2012-13 से जिले में विश्लेषित नमूनों में से उर्वरक के 220 मानक एवं 27 अमानक बीज के 315 मानक एवं 40 अमानक तथा कीटनाशक दवाईयों के 62 मानक एवं 09 अमानक पाये गये अमानक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 14,15,16, अनुसार** है ।

ग्रामपंचायत चन्द्रनगर जनपद राजनगर के विरूद्ध कार्यवाही

72. **(क्र. 1771) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायत चन्द्रनगर में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? (ख) उक्त अवधियों में कैश बुक तथा बैंक खाते का मिलान किया गया यदि हां, तो कोई अन्तर सामने आया ? अवितरित राशि के संबंध में कोई कार्यवाही की गई नहीं तो क्यों ? (ग) अब तक कितनी शिकायतें उक्त ग्राम पंचायत को की गई जांच में क्या सामने आया जांचकर्ता अधिकारी कौन रहे उन्होंने रिकार्ड के मुताबित जांच अभिमत में क्या विवरण दिया स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जनपद पंचायत राजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंद्रनगर में वर्ष 2010 से कुल 245 कार्य स्वीकृत किए गए । (ख) उक्त अवधियों में चार्टड एकाउंटेंट (सी.ए.) एवं लोकल फंड ऑडिटर द्वारा प्रत्येक योजना की केशबुक का ऑडिटर किया है,जिसमें केशबुक तथा बैंक पासबुक से बैंक खाते का मिलान किया गया है, जिसमें कोई अंतर सामने नहीं आया । ग्राम पंचायत चंद्रनगर में वर्तमान में बीआरजीएफ योजना से वर्ष 2014-15 में स्वीकृत निर्माण कार्य आंगनबाड़ी भवन निर्माण चंद्रनगर का कार्य प्रगतिरत होने से खाते में रु. 6.00 लाख शेष है तथा सर्वशिक्षा से वर्ष 2013-14 में स्वीकृत निर्माण कार्य प्रा.शा.भवन निर्माण चुरारन का कार्य प्रगतिरत होने से सर्वशिक्षा के खाते में रु. 4.01 लाख शेष है । (ग) अब तक ग्राम पंचायत चंद्रनगर के संबंध में एक शिकायत श्री रामदास सोनी द्वारा कपिलधारा कूप के संबंध में की गई थी, जिसकी जांच श्री जीतेन्द्र समाधिया उपयंत्री जनपद पंचायत राजनगर द्वारा की गई थी । जांच अधिकारी द्वारा अपने अभिमत में लेख किया गया है कि श्री रामदास सोनी का कपिलधारा कूप पूर्व सरपंच/सचिव द्वारा दिनांक 27.09.2009 में रु. 1.70 लाख का स्वीकृत किया था जिसका कार्य दिनांक 29.11.2009 से दिनांक 05.12.2009 तक एवं 07.12.2009 से 13.12.2009 तक 01 सप्ताह कराया गया था, जिसका मूल्यांकन रु. 17474.00 किया जाकर, मजदूरों की राशि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की गई । वर्ष 2009-10 में नवनिर्वाचित सरपंच/सचिव के कथन एवं स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि जहां पर कूप खोदा गया था वह कूप ध्वस्त हो चुका है,इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 26.01.2012 के प्रस्ताव क्रं.15 द्वारा कपिलधारा कूप की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई । उपरोक्त मूल्यांकित राशि रु. 17474.00 के अनावश्यक व्यय किए जाने से निर्माण

एजेंसी ग्राम पंचायत चंद्रनगर के विरुद्ध राशि वसूली हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के यहां प्रचलन में है ।

जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन में कार्य की गुणवत्ता

73. **(क्र. 1772) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से दिसम्बर 2014 तक छतरपुर जिले में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के तहत कितनी परियोजनाएँ संचालित है ? तथा अब तक शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य योजना बनाये जाने हेतु कितने पत्राचार किये गये उनके पत्रों की प्रतियां दें ? (ग) क्या यह सही है कि कार्य गुणवत्ता के तहत नहीं कराये गये और शासन की राशि का अपव्यय हुआ ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) 20 परियोजनाये संचालित है । रूपएँ 2749.14 लाख का व्यय हुआ है । (ख) 23 पत्राचार किये गये है । प्रतियाँ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है । (ग) जी नहीं । केवल परियोजना क्र. 8 में गुणवत्ता में कमी पाई गई है ।

जनपद पंचायत गंगेव एवं नईगढ़ी के कार्यों की जांच

74. **(क्र. 1797) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव एवं नईगढ़ी में विगत 01 जनवरी 2011 से 30.06.14 तक किन-किन योजनाओं, किन-किन पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये है तथा ग्राम पंचायत बांस, कदैला, गुढ़, मुडिला एवं रामपुर नई गढ़ी या नरेगा बी आर जी एफ एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में क्या-क्या एवं कितने-कितने राशि के कार्य कराये गये है ? (ख) जनपद पंचायत गंगेव एवं नईगढ़ी जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम एवं दीनदयाल अन्त्योदय मेला का आयोजन 01 जनवरी 2011 से 2014 के बीच कितने बार किये गये ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बताये कि सामूहिक विवाह योजना में शासन द्वारा उपहार में क्या-क्या एवं कितनी-कितनी राशि का सामान देने का प्रावधान है एक जोड़े के पंजीयन कराने का क्या एवं कितने वर्ष पूर्व शादी का उल्लेख है तथा अन्त्योदय मेले में समस्या निराकरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए है उनमें कितने निराकृत किये गये ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में यदि नियम विरूद्ध कार्यवाही हुई है तो कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही होगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र-"अ" अनुसार । जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । (ख) जनपद पंचायत गंगेव 01 जनवरी 2011 से 2014 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह कार्यक्रम 02 बार आयोजित किये गये तथा अन्त्योदय मेंला 03 बार आयोजित किये गये । जनपद पंचायत नईगढी

अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह कार्यक्रम 04 बार आयोजित किये गये तथा अन्त्योदय मेंला 04 बार आयोजित किये गये । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र -"स" अनुसार** । (घ) किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्ध कार्य/कार्यवाही नहीं हुई है । अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

अनाज का आवंटन

75. **(क्र. 1798) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के अनुभागवार 2012 से 2014 तक कितने मैट्रिक टन अनाज का आवंटन दिया गया है तथा कितने टन का आवंटन शासन से प्राप्त हुआ है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अनुभाग रायपुर कर्चुलियान, मनगवां, एंव त्यौंथर के प्रत्येक समितियों का आवंटित खाद्यान्न की सूची चावल, गेहूं एवं शक्कर एव कैरोसीन की जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) रीवा जिले में कितने अनाज भण्डारण हेतु शासकीय एवं निजी गोदाम कार्यरत हैं, नामवार, तहसीलवार सूची उपलब्ध कराये तथा उक्त गोदाम के मालिक कौन है उनके नाम सहित जानकारी बतायें तथा निजी गोदामों के निर्माण में हितग्राही राज्य एवं केन्द्र का कितना अंश है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में निजी गोदामों को किस दर से किराये पर लिये गये हैं एवं इनके भुगतान एवं किराया निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार** है । निजी गोदामों के निर्माण में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनांतगर्त अनुदान/गारंटी उपलब्ध कराया गया है परन्तु शासन का कोई अंश स्वामित्व भागीदारी में नहीं है । (घ) निजी गोदामों हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टक्स कार्पोरेशन द्वारा 15 रूपये प्रति मे.टन निर्धारित की गई है । स्कंध के भण्डारण शुल्क की बढी हुई दरों का आंकलन करते हुए तथा भण्डारण क्षमता की औसत उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के संचालक मण्डल/कार्यकारिणी समिति की बैठक में किराये का निर्धारण किया जाता है ।

परफार्मेंस ग्रान्ट के तहत निर्माण कार्य

76. **(क्र. 1845) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय म.प्र. के आयुक्त पत्र क्रं./प.फा.ग्रा.-8/2014/121426, भोपाल, दिनांक दिसम्बर 2014 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्रं./जि.पं./लेखा/2014/1734 भिण्ड, दिनांक 12.12.2014 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, अटेर, रौन, लहार, मेहगांव को परफार्मेंस ग्रान्ट के अंतर्गत प्रदाय राशि से सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति तथा पंचायत चुनाव के निर्वाचन सम्पन्न होने के बाद ही राशि जारी

करने का निर्देश दिया था ? (ख) यदि हां, तो जनपद पंचायत गोहद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार कर पिछली दिनांक 10.12.2014 को पत्र क्रं. क्यू/ज.पं./2014/3310 द्वारा गोहद क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों को लगभग 100 लाख की राशि सी.सी. निर्माण हेतु जारी करने की जांच कराकर दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दंडित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि संचालनालय पंचायत राज द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार परफार्मेंस ग्रान्ट से केवल 10 लाख की लागत का सामुदायिक भवन निर्माण कराना थ ? यदि हां, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोहद द्वारा ग्राम पंचायत ऐंचाया, मखोरी, छरेटा करवास, बरथरा को सी.सी. निर्माण हेतु 13.99 लाख प्रत्येक पंचायत को जारी कर शासन को क्षति पहुंचाने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जनपद पंचायत गोहद को परफॉरमेंस ग्रान्ट मद में सीधे आर.टी.जी.एस. से 100.00 लाख राशि प्राप्त हुई थी । जिससे जनपद पंचायत गोहद ने परफॉरमेंस ग्रान्ट की राशि का उपयोग मान.अध्यक्ष निर्वाचन का प्रकरण मान.उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में लंबित होने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो सका था । जनपद पंचायत गोहद की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 10.12.2014 के ठहराव प्रस्ताव क्रं. 20 द्वारा 98.95 लाख रु. की राशि से ग्राम पंचायतों में सी.सी.निर्माण के 23 कार्य स्वीकृत किये है, उक्त 98.95 लाख की राशि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि से अलग है । परफॉरमेंस ग्रान्ट से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त 40.00 लाख रु. की राशि से न तो कोई कार्य स्वीकृत किया गया है और न ही कोई राशि वितरित की गई है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा शासन निर्देशानुसार कार्य किया गया है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उक्त प्रकरण में दोषी नहीं है । अतः दंडित किये जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) जी हाँ । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद द्वारा परफॉरमेंस ग्रान्ट से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत मखोरी, ऐचाया, छरैटाकरवास एवं वरथरा में सी.सी.निर्माण हेतु नहीं किया गया है । पंचायतराज संचालनालय के पत्र क्रमांक बजट/13वां वित्त/परफॉरमेंस/2014/82101 दिनांक 20.07.2014 द्वारा जनपद पंचायत गोहद में चार सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 40 लाख रु. की राशि खाता क्रमांक 31058679368 भारतीय स्टेट बैंक गोहद में अंतरित की गई थी । यह 40 लाख रुपये की राशि वहा राशि है,जिसके संबंध में पंचायतराज संचालनालय के पत्र क्रमांक प.फॉ.ग्रा.89/2014 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्रमांक 11739 दिनांक 12.12.2014 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में समस्त औपचारिकता पूर्ण कर ली जाये,किंतु राशि पंचायत निर्वाचन पश्चात की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायतों को प्रदान की जावे । जनपद पंचायत गोहद को परफॉरमेंस ग्रान्ट अंतर्गत चार सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 40 लाख रुपये की राशि प्रदाय हुई है, इस 40 लाख रुपये की राशि को जनपद पंचायत गोहद द्वारा न तो स्वीकृति प्रदान की गई है और न ही यह राशि वितरित की गई है । यह 40 लाख रुपये की राशि जनपद पंचायत गोहद के खाता क्रमांक 310558679368 भारतीय स्टेट बैंक गोहद में अभी भी सुरक्षित है । अतः निलंबन की स्थिति निर्मित नहीं होती है ।

राशनकार्ड के अनुपात में खाद्यान्न एवं केरोसीन का अधिक उठाव

77. **(क्र. 1846) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा सहकारी संस्था खांडौली जिला मुरैना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2008 को स्थिति में बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्डधारियों की संख्या कितनी-कितनी थी ? (ख) क्या यह सही है कि सेवा सहकारी संस्था खांडौली के समिति प्रबंधक द्वारा दिनांक 29.09.2009 को श्री विनोद सिंह सिकरवार सेल्समेन से प्रभार ले लिया गया था एवं दिनांक 18.10.2008 को समिति प्रबंधक एवं संस्था के अध्यक्ष द्वारा सेल्समेन को सेवा सहकारी संस्था खांडौली दुकान सिहोरी पर पदस्थ किया गया था ? (ग) क्या यह सही है कि सेल्समेन श्री विनोद सिंह सिकरवार ने नियमानुसार 740 राशन कार्डधारियों की खाद्य सामग्री एवं केरोसीन का उठाव किया है तो किस आधार पर उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई ? (घ) यदि हां, तो माह सितम्बर 2008 के बाद 740 से अधिक 850 तक राशन कार्डधरियों के नाम का खाद्यान्न एवं केरोसीन का उठाव किस आधार पर किया गया ? क्या इसको निष्पक्ष जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) सेवा सहकारी संस्था खांडौली द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान खांडौली में अप्रैल 2008 की स्थिति में बीपीएल एंव अन्त्योदय कार्डधारियों की संख्या क्रमश: 442 एवं 85 थी । (ख) जी नहीं । जी हां । (ग) जी नहीं । वास्तविक राशनकार्डों से अधिक राशनकार्ड की जानकारी के आधार पर किये गए अधिक आवंटन की जांच संयुक्त संचालक, खाद्य से कराई गई थी । जांच में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर जून एवं जुलाई 2008 में 408 अधिक राशनकार्डों पर एवं अगस्त 2008 से जून 2010 तक न्यूनतम 39 राशनकार्डों पर राशन सामग्री का अधिक आवंटन एवं उसकी कालाबाजारी का तथ्य प्रकाश में आने से तत्कालीन समिति प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गई है । चूंकि उक्त अवधि में विनोद सिंह सिकरवार भी विक्रेता के रूप में पदस्थ रहे हैं, अत: उनके विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की गई । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिपेक्ष्य में पुन: जांच की आवश्यकता नहीं है ।

परिवहन विभाग के चेक पोस्ट का निजीकरण

78. **(क्र. 1860) श्री हर्ष यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग के चेक पोस्ट (ट्रांसपोर्ट बेरियर) म.प्र. सड़क विकास निगम/निजी कंपनियों को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो निजी कंपनी को परिवहन चेक पोस्ट क्यों दिये गये ? निजी कंपनी को किस दर पर दिये गये हैं ? क्या इस हेतु निविदा जारी की गई थी ? कितने लोगों ने निविदा डाली ? (ख) निजी कंपनी से जनवरी 2015 तक कितनी आय हुई है ? इस अवधि की गत वर्ष की आय कितनी थी ? (ग) सरकारी अमला पांच प्रतिशत है, तो वाहनों की चैकिंग कौन करेगा ? क्या गैर लोक सेवक को वाहन चैकिंग करने एवं टैक्स वसूली का अधिकार है ? यदि हां, तो विधि/नियम की जानकारी दें ? (घ) क्या यह सही है कि निजी कंपनी को आर्थिक

लाभ पहुंचाने के लिये परिवहन चौकियां वसूली हेतु उन्हें दी गई हैं ? क्या यह भी सही है कि प्रदेश की अच्छी राजस्व देने वाली चौकियों पर तैनात शासकीय अमला इस कार्य को करने में विफल था ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की कुल 24 परिवहन जाँच चैकियों का तकनीकी उन्नयन एवं कम्प्यूटराइजेशन कर एकीकृत जाँच चैकियों में परिवर्तित करने हेतु पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप पद्धति के आधार पर म.प्र. सड़क विकास निगम को क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारित किया गया । इस हेतु शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 22-60/2008/आठ दिनांक 29.03.2010 जारी किया गया, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा डीपीआर तैयार की गई तथा बी.ओ.टी. पद्धति के अन्तर्गत निविदाएँ आमंत्रित की गई थी । 17 कम्पनियों ने आर.एफ.पी. प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से मापदण्डानुसार 12 कम्पनियों का चयन म0प्र0 सड़क विकास निगम द्वारा किया गया । 8 कम्पनियों ने निविदा प्रस्तुत की । (ख) कंपनी को यह कार्य पी.पी.पी. पद्धति पर न्यूनतम कंशेशन अवधि के आधार पर दिया गया है । अतः कंपनी से शासन को आय प्राप्त नहीं होती है । (ग) यह सही नहीं है कि सरकारी अमला 5 प्रतिशत है । गैर लोक सेवक को वाहन चैंकिंग करने एवं टैक्स वसूली का अधिकार नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता । (घ) जी नहीं । निजी कम्पनी को कर वसूली के कोई अधिकार नहीं दिये गये है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिशिष्ट - "पच्चीस"</u>

<u>कलस्टर प्रदर्शन में उपलब्ध कराई गई सामग्री</u>

79. **(क्र. 1861) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में रबी फसल 2014 में गेहूं कलस्टर प्रदर्शन (गेहूं फसल प्रदर्शन एक हेक्टेयर) हेतु सल्फर 80 प्रतिशत किसानों को प्रदाय किया गया है ? (ख) एक किसान को कितनी कीमत का सल्फर 80 प्रतिशत प्रदाय किया गया ? जिले में कितने किसानों को कितनी कीमत का सल्फर 80 प्रतिशत प्रदाय किया गया ? इस पर प्रति किसान कितना अनुदान था कितने किसानों को कितने रूपयों का जिले भर में यह अनुदान उपलब्ध कराया गया ? (ग) इसके नमूना लेकर जांच हेतु कहां कौन सी प्रयोग शाला को भेजे गये है ? नमूना भेजने की प्रति उपलब्ध कराये ? प्रयोगशाला से नमूना विश्लेषण जांच के परिणाम पत्रक उपलब्ध कराये ? (घ) कौन-कौन से विकासखंडों से नमूना नही लिये गये ? नमूना नहीं लेने वालों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी हां । (ख) एक किसान को रूपये 551.12 कीमत का सल्फर 80 प्रतिशत प्रदाय किया गया है । जिले के 2400 किसानों को रूपये 1322688.00 का सल्फर 80 प्रतिशत प्रदाय किया गया है । इस पर प्रति किसान रूपये 551.12

का अनुदान था । 2400 किसानों को रूपये 1322688.00 का अनुदान उपलब्ध कराया गया है । (ग) नमूना जांच हेत उर्वरक, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इन्दौर (म.प्र.) को भेजा गया, विश्लेषण परिणाम आना अपेक्षित है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) जिला स्तर पर प्रदाय मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम सागर के गोदाम से सल्फर 80 प्रतिशत की मात्रा 120.00 क्विंटल लॉट क्रमांक एसीसीटी 03 का नमूना उर्वरक निरीक्षक विकासखंड सागर द्वारा लिया गया । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में उर्वरकों की कालाबाजारी

80. **(क्र. 1866) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिलीप ट्रेडिंग कं., हंसमुख लाल हेमंत कुमार एण्ड ब्रदर्स, नवलखा कृषि सेवा केन्द्र, वीरेन्द्र कृषि सेवा केन्द्र मंडी कमेटी, वीरेन्द्र कृषि सेवा केन्द्र शाप नं.8 एवं नवलखा, बीज कंपनी ये महिदपुर स्थित हैं ? (ख) इन फर्मो द्वारा उर्वरक की कालबाजारी करने पर इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी हां । (ख) उक्त फर्मो के विरूद्ध उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत कलेक्टर उज्जैन को प्राप्त हुई थी । कलेक्टर उज्जैन के निर्देशानुसार प्राप्त शिकायत की जांच करने हेतु जांच दल का गठन किया गया । जांच में किसी तरह की कालाबाजारी होना नहीं पाया गया है । अत: इन फर्मो के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

बैजनाथ सेवा सहकारी समिति द्वारा अन्य क्षेत्र में गेहूँ का उपार्जन

81. **(क्र. 1867) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत बैजनाथ सेवा सहकारी समिति द्वारा दिनांक 01.01.10 से 30.01.2015 तक गेहूँ उपार्जन, बीज वितरण, उर्वरक वितरण व बीमा क्लेम किया गया उसकी जानकारी वर्षवार देवें ? (ख) क्या बैजनाथ सेवा सहकारी समिति द्वारा वृताकार सोसायटी झारड़ा के क्षेत्र में जाकर गेहँ उपर्जन का कार्य किया गया ? यदि हां तो किस नियम के तहत किया गया ? (ग) इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? बैजनाथ सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है**. (ख) जी हां. उपार्जन नीति 2012-13अन्तर्गत कलेक्टर जिला

उज्जैन के आदेश क्रमांक 472 दिनांक 28.04.2012 के पालन में. (ग) उत्तरांश "ख" के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बैतूल जिले में मुख्यमंत्री आवास व कपिलधारा कुंओं की स्वीकृति

82. **(क्र. 1879) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत कुल कितने आवास कब-कब स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार, पंचायतवार, हितग्राही नामवार सहित बतावें ? (ख) इनमें से कितने भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? क्या बैंकों के द्वारा समस्त भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? (ग) बैतूल जिले में कितने कपिल धारा कुंए विगत 3 वर्षों में स्वीकृत किए गए ? विकासखण्डवार स्वीकृत कार्यो की हितग्राहियों की संख्या वर्षवार बतावें ? (घ) इनमें कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, कितनी राशि आहरित कर अपूर्ण कार्यों में व्यय की जा चुकी है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बैतूल जिले में, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, स्वीकृत किये गये आवासों की वर्षवार, विकासखण्डवार, पंचायतवार एवं हितग्राही नामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है।** (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) में वर्णित आवासों में से 6925 आवासों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं । कतिपय हितग्राहियों के प्रकरणों में अभी बैंकों द्वारा आंशिक भुगतान किया जाना शेष है । इन प्रकरणों में बैंकों द्वारा हितग्राही को पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने के कारणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है।** (ग) बैतूल जिले में 6176 कपिलधारा कुएं विगत 3 वर्षों में स्वीकृत किए गए । शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है।** (घ) इनमें से 3701 कार्य पूर्ण हैं एवं 2475 कार्य अपूर्ण है । अपूर्ण कार्यों पर कुल राशि रू. 2757.85 लाख व्यय की जा चुकी है । योजना मांग आधारित होने से, अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना, जॉबकार्डधारियों द्वारा रोजगार की मांग व भारत सरकार से पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर निर्भर होने से, कार्य पूर्ण हाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है ।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी में अवैध नियुक्ति

83. **(क्र. 1892) श्री बाला बच्चन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा 13.08.2002 को समिति सेवक के पद पर नियमित नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराऐं ? (ख) इस आदेश की अव्हेलना कर किस आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीधी में समिति सेवक के पद पर 55 कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की गई ? क्या इन 55 कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति वर्ष 2007 से 2014 के बीच की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति समिति सेवक के पद पर

करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताएं ? शासन इन अधिकारियों को जिन्होंने ऐसी अवैध नियुक्ति की, पर कब तक कार्यवाही करेगा ? ऐसी अवैध नियुक्ति कब तक रद्द की जावेगी ? (घ) प्रदेश की सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति सेवक के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक 13.08.2002 के बाद की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

परिवहन चैक पोस्टों/चौकियों का तकनीकी उन्नयन

84. **(क्र. 1905) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कहां-कहां अंतर्राज्यीय परिवहन जांच चौकियां स्थापित हैं ? विभाग द्वारा कब-कब इनके तकनीकी उन्नयन व कम्प्यूटरीकरण की योजनायें बनाईं ? वर्ष 2009 के बाद इस संबंध में कब-कब किस ऐजेंसी को कितनी राशि से क्या कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? कहां-कहां के क्या-क्या कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण हैं ? क्यों ? जो कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, उनके पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें ? (ग) परिवहन चौकियों के कम्प्यूटरीकरण व तकनीकी उन्नयन के कार्यों में असाधारण समय लगने के क्या-क्या कारण हैं ? विभाग द्वारा कब तक लक्षित कार्य पूर्ण करा लिये जावेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) प्रदेश में 40 स्थानों पर अंतर्राज्यीय जाँच चौकीयाँ स्थापित है जिसकी **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । विभाग के आदेश क्रमांक एफ 22-60/2008 दिनांक 29.03.2010 के द्वारा चयनित 24 मार्गो पर अन्तर्राज्यीय परिवहन जाँच चैकियों का तकनीकी उन्नयन एवं कम्प्यूटरीकरण की योजना बनाई गयी । उक्त आदेश के द्वारा परियोजना के निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु 1150 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी । यह कार्य पी.पी.पी. पद्धति से किया गया है, जिसमें अधोसंरचना का निर्माण आधुनिकीकरण एवं संधारण शामिल है । जारी आदेश दिनांक 29.03.2010 की **जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "ब" अनुसार है ।** (ख) बी.ओ.टी. आधार पर चयनित 24 एकीकृत जाँच चौकियों में से 10 एकीकृत जाँच चौकियों तथा 2 केन्द्रीय नियंत्रण सुविधा कक्ष क्रमशः ग्वालियर तथा इन्दौर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनका परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है । म0प्र0 उच्च न्यायालय में भू अर्जन को लेकर याचिका दायर होने के कारण तीन स्थानों (पिपरयी, बरही व नुनवाह) एवं अन्य स्थान पर शत-प्रतिशत भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण कार्य पूर्ण नही हो सके है कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ' स" अनुसार है** । तथा जिन स्थानो पर कार्य प्रारभ्भ हो चुका है उनके पूर्णतः प्रमाण पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"द" अनुसार है।** (ग) म.प्र. उच्च न्यायालय में भू अर्जन को लेकर याचिका दायर होने एवं अन्य स्थान पर शत-प्रतिशत भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण, एकीकृत चैकपोस्टों के

निर्माण में विलम्ब हो रहा है । शत-प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने के बाद शेष चैकपोस्टो का कार्य पूर्ण हो सकेगा । समय सीमा दी जाना संभव नहीं है ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य

85. **(क्र. 1922) कुंवर सिंह टेकाम :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले को आई.ए.पी./ए.सी.ए. योजना के अंतर्गत कितनी राशि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में आवंटन प्राप्त हुआ ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आई.ए.पी./ए.सी.ए. के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है ? उपलब्ध करावें ? सीधी एवं सिंगरौली जिले के किन ग्रामों को चयनित किया गया है ? सूची उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आवंटित राशियों को किन-किन निर्माण विकास कार्यों में खर्च किया गया है ? लागत राशि सहित सूची उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) सीधी जिले को आईएपी में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, एसीए में वर्ष 2013-14, 2014-15 में राशि (करोड में) क्रमश: 12.50,15.00, 30.00, 10.00 एवं 20.00 है सिंगरौली जिले को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, एसीए में वर्ष 2013-14, 2014-15 में राशि (करोड में) क्रमश: 12.50,10.00, 35.00, 17-00 एवं 20.00 आवंटन प्राप्त है । (ख) आईएपी/एसीए मार्गदर्शी सिद्धांत **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** पर है । आईएपी/एसीए योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक सीधी जिले के विकासखण्ड कुसमी तथा मझोली अंतर्गत समस्त ग्राम/ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था एवं वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 से सीधी जिले की समस्त विकासखण्डो की समस्त ग्राम/ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है । सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2** पर है । सिंगरौली जिले में समस्त 316 ग्राम पंचायतों को आईएपी/एसीए अंतर्गत शामिल किया गया है । सिंगरौली जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3** पर है । (ग) आवंटित राशियों के निर्माण विकास कार्यो में खर्च की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 एवं 5 पर दर्शित** है । (घ) जिला सीधी में कुल स्वीकृत कार्यो की संख्या 963, पूर्ण कार्यो की संख्या 753 एवं अपूर्ण कार्यो की संख्या 210 है तथा जिला सिंगरौली में कुल स्वीकृत कार्यो की संख्या 1349, पूर्ण कार्यो की संख्या 933 एवं अपूर्ण कार्यो की संख्या 412 है । आईएपी एवं एसीए योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त का आवंटन प्राप्त है । दूसरी किश्त का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किया जा सकेगा ।

मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास की स्वीकृति

86. **(क्र. 1925) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिलान्तर्गत विकास खण्ड जैतहरी, अनूपपुर में कुल कितने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास की स्वीकृति दी गई है ? स्वीकृत दिनांक, हितग्राही का नाम, ग्राम तथा प्रदान की गई राशि की जानकारी पूर्ण विवरण सहित प्रदान करें ? (ख) क्या यह सही है कि हितग्राहियों को सिर्फ एक-एक किस्त ही प्रदान की गई है ? यदि हां तो द्वितीय किस्त प्रदान न करने का कारण क्या है ? (ग) आवास पूर्ण न होने का दोषी कौन है ? दोषी अधिकारी के विरूद्ध समय रहते कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जिला अनूपपुर के अंतर्गत विकास खण्ड जैतहरी, में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 920 हितग्राहियों तथा विकासखण्ड अनूपपुर में 257 हितग्राहियों को विभिन्न बैंकों द्वारा आवासीय ऋण स्वीकृत कर, राशि प्रदान की गई थी । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है ।** (ख) जी नहीं । कतिपय प्रकरणों में हितग्राहियों को बैंकों द्वारा अभी तक, एक ही किश्त प्रदाय करने का कारण यह है कि इस मिशन में स्टेज कन्सट्रक्शन अर्थात् आवास निर्माण की भौतिक प्रगति के स्तर के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय (अंतिम) किश्तें प्रदान की जाती हैं । मिशन में बैंकों द्वारा द्वितीय किश्त प्रदाय नहीं किये जाने का कारण, आवास की दीवालों का निर्माण पूर्ण नहीं होना है । (ग) प्रत्येक आवास पूर्ण होने के पूर्व प्रगतिरत अवस्था में रहता है तथा आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है । अतः आवास की प्रगतिरत अवस्था के लिए कोई दोषी नहीं है । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

वृद्धा पेंशन निराश्रित पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशनधारी को पेंशन का भुगतान

87. **(क्र. 1932) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ एवं जैतहरी में ग्राम पंचायतवार एवं जनपदवार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कितने-कितने वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशनधारी हैं ? (ख) शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक पेंशनधारी को प्रत्येक माह भुगतान किये जाने के आदेश हैं ? समय से पेंशनरो का भुगतान न होने से संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पिछले 6 माह में पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ? भुगतान न होने का कारण बतावें ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा एवं विलंब से भुगतान हेतु दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? (घ) शासन के बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान के निर्देश हैं ? पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 119 पंचायतें हैं, इनमें निवासरत पेंशनधारियों को कौन-कौन से बैंकों से भुगतान किया जा रहा है नाम स्थान सहित जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है । (ख) जी हॉ । नियमित भुगतान होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) पेंशन का भुगतान नियमित किया जा रहा है ।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है ।

अनूपपुर जिले में किसानों को प्रदाय खाद,बीज

88. **(क्र. 1933) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में किसानों को प्रदाय की जाने वाली खाद्य, बीज की कितनी किटे विकासखण्डवार प्रदान की गई हैं ? वर्ष 2010 से 30 जनवरी 2015 तक जानकारी दें ? उक्त किटें किस फर्म से किस दर पर क्रय कर प्रदान की गई, किट में कौन-कौन सी कितनी कृषि सामग्री हैं ? (ख) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ एवं जैतहरी विकासखण्ड में ग्राम पंचायतवार कितनी किटे प्रदाय की गई ? नाम सहित 2010 से 31 जनवरी 2015 तक की जानकारी दें ? (ग) क्या यह भी सही है कि पुष्पराजगढ एवं जैतहरी विकासखण्ड में ग्राम पंचायतों में उक्त किटों का वास्तविक वितरण न कर फर्जी वितरण दर्शाया गया है ? क्या उक्त वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) अनूपपुर जिले में किसानों को खाद के मिनिकिट वितरण नहीं किये गये है । बीज के मिनिकिट की विकास खण्डवार वर्ष 2010 से 30 जनवरी 2015 तक प्रदाय की गयी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । वर्ष 2010 से 31 जनवरी 2015 तक उक्त बीज मिनिकिट की किटें भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं । उक्त मिनिकिट भारत सरकार की अधिकृत संस्थायें एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. द्वारा निशुल्क प्रदाय किये जाते हैं । सरसों मिनिकिट 2 किलो एवं सोयाबीन 8 किलो के मिनिकिट के साथ कल्चनर पैकेट प्रदाय किये गये । (ख) विकासखण्ड पुष्प राजगढ में कुल 244 ग्राम पंचायत तथा जेतहरी में कुल 183 ग्राम पंचायतों में सोयाबीन बीज मिनिकिट वर्ष 2010 से 31 जनवरी 2015 तक फसलवार नाम सहित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (ग) जी नहीं, पात्रतानुसार बीज मिनिकिट निशुल्क वितरण किये गये है । अत:अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

निर्माण कार्यों की सामग्री व मजदूरी का भुगतान

89. **(क्र. 1947) श्री संजय उइके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा

कराये गये निर्माण कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान शेष है ? (ख) यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों की कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष का शेष है ? (ग) मजदूरी एवं सामग्री का शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में मजदूरी एवं सामग्री हेतु शासन से राशि अपेक्षित है । लेकिन वित्तीय वर्ष 2012-13 में लंबित मजदूरी एवं सामग्री भुगतान हेतु परिषद को पत्र क्र./0224/2014 दिनांक 03/01/2015 द्वारा अवगत कराया जा चुका है । समय सीमा बताना संभव नही है ।

सामग्री वितरण की जांच

90. **(क्र. 2276) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कटनी एवं दमोह द्वारा म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम को जैविक एवं रासायनिक सूक्ष्म तत्व (तरल+चूर्ण) तथा दवाईयां के प्रदाय आदेश दिये गये ? यदि हां तो वर्ष 2012-13 की वर्षवार जानकारी दी जावें ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो प्रदाय आदेश किसकी सहमति से दिये गये एवं निगम ने क्या प्रक्रिया अपनायी ? क्या यह सही है कि प्रदाय आदेश उपसंचालक की सहमति से कंपनियों को दिया गया ? (ग) यदि प्रदाय आदेश नियमों का उल्लंघन कर एक ही कंपनी को दिया, शाखा प्रबंधक की अनुशंसा से तो क्या नियम के उल्लंघन के लिये संबंधित दोषी है तथा यह भी बतायें कि किसी कंपनी से सीधे विकासखण्ड स्तर में भण्डारण कराया गया एंव किस सामग्री का मुख्यालय में भण्डारण कराकर आदेशानुसार वितरण किया गया ? (घ) क्या यह सही है कि कम सामग्री प्रदान की गयी और बिल अधिक के बनाकर शासकीय अनुदान राशि का गबन करने के उद्देश्य के बिना नमूना लिये वितरण किया गया ? (ड.) यदि प्रश्नांश (घ) हां तो बिना गुणवत्ता की जाचं कराये घटिया सामग्री वितरण करने के लिये संबंधित शाखा प्रबंधक एवं उपसंचालक दोषी है ? ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की जायेगी ? नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी हां । उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी एवं दमोह द्वारा म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम को जैविक एवं रासायनिक सूक्ष्म तत्व (तरल+चूर्ण) तथा दवाईयों के प्रदाय आदेश दिये गये हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) कंपनियों को प्रदाय आदेश मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम कटनी एवं दमोह द्वारा दिये गये हैं । उप संचालक कृषि से प्राप्त आदेशों के तहत सामग्री प्रदाय हेतु विपणन संघ द्वारा अनुमोदित प्रदायकों को प्रदाय आदेश, सामग्री प्रदाय हेतु दिये गये । (ग) जी नहीं । जिला प्रबंधक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जिला-कटनी एवं दमोह के द्वारा किसी भी कंपनी से सीधे विकासखंड स्तर पर सामग्री भंडारण नहीं कराया गया है । समस्त सामग्री का

मुख्यालय पर भंडारण कराकर प्रदाय आदेशानुसार चालान काटकर विकासखंडों को वितरण किया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) जिला-दमोह द्वारा लिये गये नमूना संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जिला कटनी में वर्ष 2012-13 में नमूने नहीं लिये गये हैं । सामग्री की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है । (ड.) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पन्ना जिले में इंदिरा आवास योजना में प्राप्त आवंटन

1. **(क्र. 78) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया, कितनी धनराशि व्यय की गई और कितने आवास गृह बनाये गये ? तहसीलवार जानकारी दी जाए ? (ख) इंदिरा आवास योजना के तहत पन्ना जिले में आवास बनाने के इच्छुक कितने आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये और इसके मुख्य कारण क्या थे ? (ग) इंदिरा आवास योजना में अनियमितता होने के संबंध में तहसील और जिला प्रशासन को पिछले दो वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पन्ना जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि 988.650 लाख, वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 1365.00 एवं वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 421.400 धनराशि का आवंटन किया गया । वित्तीय वर्ष 2012-13 मे राशि रूपये 968.625 लाख, वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 794.85 लाख एवं वर्ष 2014-15 मे जनवरी 2015 तक राशि रूपये 421.400 लाख का व्यय किया गया । पन्ना जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2197, वर्ष 2013-14 में 1717 एवं वर्ष 2014-15 मे 1204 आवास स्वीकृत किये गये, जिनमें से 2662 आवास पूर्ण हो चुके हैं । स्वीकृत आवास की तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है** । (ख) इंदिरा आवास योजना के तहत पन्ना जिले में आवास बनाने के इच्छुक 265 आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें 52 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं शेष शासन के नियमानुसार न होने के कारण कमेटी द्वारा निरस्त किये गये । (ग) इंदिरा आवास योजना मे अनियमितता होने के संबध मे सिर्फ तहसील रैपुरा से जिला प्रशासन को पिछले दो वर्षो में 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमे संतोष सिंह, सचिव ग्राम पंचायत ककरा, जनपद पंचायत शाहनगर को जॉच पश्चात कार्यालयीन आदेश क्र 3395/पंचा/प्रको0/2014-15, दिनांक 08.09.2014 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है । तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है** ।

सहकारी बैंकों में अनियमितता

2. **(क्र. 79) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन को जानकारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, गुना, इंदौर, खरगौन, बैतूल आदि 10 जिलों के सहकारी बैंकों में भारी अनियमितता और अवैध संचालन प्रक्रिया के कारण उनके लायसेंस निरस्त करने के नोटिस जनवरी 2015 में दिये हैं ? यदि हॉ, तो इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ? (ख) क्या सिटीजन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, बुरहानपुर में लगभग सवा दो करोड़ रुपयों के गबन के मामले में

भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपत्ति की है ? यदि हॉ तो क्या कारण है कि इस बारे में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की ? (ग) क्या भोपाल नागरिक सहकारी बैंक पर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपयों के ऋण वितरण के मामले में रिजर्व बैंक ने आपत्ति की है ? यदि हॉ, तो क्या कारण है कि शासन ने इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नही होता. (ख) जी नहीं. बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बुरहानपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनो में आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में उल्लेख किया गया है. बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के विहित प्रावधानों एवं निर्देशों का पालन बैंक द्वारा नही किये जाने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का बैंकिंग लायसेंस निरस्त किया. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुये बैंक के समस्त ऋण दस्तावेजो की गहन मजिस्ट्रियल जांच हेतु जिला कलेक्टर बुरहानपुर के आदेश दिनांक 11-03-2005 के द्वारा संयुक्त कलेक्टर बुरहानपुर को आदेशित किया गया. संयुक्त कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार बैंक की मुख्य शाखा जयस्तम्भ रोड बुरहानपुर में दिनांक 14-03-2005 को राशि रूपये 2,34,56,99.59 की नगदी सिलक की कमी पायी गयी. इस सबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. भोपाल में भा.द.वि. की धारा 120-बी, 409, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 10/2005 दिनांक 17-03-2005 को दर्ज कराई गई. तत्पश्चात ब्यूरो की इकाई इन्दौर द्वारा उपरोक्त अपराध प्रकरण की जांच की जाकर माननीय विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जिला खण्डवा में दोषियों के विरूद्ध प्रकरण 1/2006 प्रस्तुत कर दर्ज किया गया. वर्तमान में यह प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला खण्डवा में दर्ज होकर क्रमांक 1/2009 प्रचलित है. अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतर्गत दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई. विभाग द्वारा दिनांक 13-04-2005 से बैंक के संचालक मण्डल को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (10) के तहत निलंबित किया जाकर उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. तत्पश्चात दिनांक 17-01-2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (13) के तहत कार्रवाई की गई. वर्तमान में बैंक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (ए) के तहत परिसमापनाधीन होकर परिसमापक नियुक्त है. (ग) जी नहीं. किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भोपाल नागरिक सहकारी बैंक भोपाल के निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं पर आपत्तियां ली गई है. बैंक द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों एवं निर्देशों का समुचित पालन नही किये जाने एवं अन्य अनियमितताओ के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2012 द्वारा बैंक को निदेशाधीन में रखा जाकर बैंक के लेन-देन संबंधित व्यवहारों पर रोक लगाई गई है. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग भोपाल के द्वारा बैंक की जांच कराये जाने पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के

अंतर्गत दिनांक 11-06-2008 द्वारा बैंक के संचालक मण्डल को अधिक्रमित किया जाकर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तथा अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध बैंक सेवानियमों के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है. अत: शेष प्रश्न उपस्थित नही होता.

पर्वतीय ग्राम गौरी के आश्वासित मार्ग का निर्माण

3. **(क्र. 150) श्री मोती कश्यप :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनॉक 22 मार्च 2012 के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 652) पर वि.स.क्षे. बड़वारा की तहसील ढीमरखेड़ा के पर्वत पर अवस्थित ग्राम गौरी के मार्ग निर्माण के संबंध में चर्चा पर मा. विभागीय मंत्री ने ग्राम गौरी को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु कोई आश्वासन दिया है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के लिये किसी अधिकारी के द्वारा कभी कोई प्रस्ताव किसी को प्रस्तुत किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) किस दिनॉक से किस अधिकारी स्तर पर लम्बित है और उसे कौन स्वीकृति प्रदान करेगा और कब तक निर्माण पूरा कराकर पर्वतीय आदिवासियों को आवागमन का साधन उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । (ख) जी हां । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कटनी के पत्र क्र. 2895 दि0 16.07.2013 से उक्त मार्ग निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु जानकारी अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल जबलपुर को प्रेषित की गई । अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल जबलपुर के पत्र क्र. 2745 दि0 20.11.2014 से मुख्यमंत्री सड़क योजना में छूटे हुए ग्रामों के 39 मार्गा के प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रमुख अभियंता,ग्रामीण यंत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल को राज्य आयोजना मद से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये है, जिसमें गौरा से गौरी मार्ग लंबाई 3.10 कि.मी. लागत राशि रू 86.13 लाख शामिल है । (ग) अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल जबलपुर द्वारा दिनांक 20.11.2014 को कटनी जिले में छूटे हुये ग्रामों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है । प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण चल रहा है एवं स्वीकृति विचाराधीन है । कार्य की स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

वि.स.क्षे. बड़वारा के ग्रामों में परिवहन व्यवस्था

4. **(क्र. 151) श्री मोती कश्यप :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स.क्षे. बड़वारा के विकासखण्ड बड़वारा, ढीमरखेड़ा और कटनी के किन ग्रामों के लिये कटनी, जबलपुर, सिहोरा से बसें और मिनीबसें चलायी जाती हैं ? (ख) क्या प्रश्नांगत बसों के कोई मार्ग सुनिश्चित हैं और उन क्षेत्र के किन ग्रामों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश- (क) क्षेत्र में किन्हीं स्थान से किन्हीं स्थानों तक कोई डामरीकृत और ग्रेवलमार्ग निर्मित हैं और उनमें से किन मार्गों में कौनसी बसें ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं को जिला, तहसील/जनपद मुख्यालय एवं थानों तक पहुंचाती है ? (घ) क्या देवरीहटाई, बड़ागांव, नन्हवारा, हीरापुरकौड़िया, हिरवारा, कटंगीकला, दैगवां-महगवां, अतरिया, कटरिया आदि प्रमुख ग्रामों के किन्हीं स्तर के विद्यालयों के छात्रों को

महाविद्यालयों, जनसमस्याओं के परिपेक्ष्य में जिला, तहसील, जनपद तथा थाना तक पहुंचने के लिये परिवहन के कोई संसाधन बनाये गये हैं ? (ड.) क्या प्रश्नांश-घ के डामरीकृत एवं ग्रेवलमार्गों में बसें, मिनीबसें एवं मैजिक वाहनों को चलाने के लिये रोजगार मूलक कोई योजना बनायी गई है और वह कब तक प्रभावशील की जावेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) प्रशांकित मार्ग पर कटनी से 26 जबलपुर से 01 एवम् सिहोरा से एवम् सिहोरा होकर 10 बसों को स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है । (ख) जी हॉ, ग्रामीण यात्रियों की सुविधा हेतु मार्ग

1. कटनी से कटारिया कुल बसेः- 05, 2. कटनी से खमतरा कुल बसे- 10, 3. कटनी से सिलोड़ी कुल बसे- 01, 4. महंगाव से कटनी कुल बसे- 01, 5. हरवा (बड़वारा) से कटनी कुल बसे 02 संचालित है । इस बसों से कटनी, कटारिया खमतरा, सिलोड़ी, महगांव, व उसके आस-पास के ग्रामों के लोग लाभांवित होते हैं । (ग) जी हॉ । प्रश्नांश "क" अनुसार बडवारा के ग्रेवल, डामर मार्ग पर कटनी से 27, जबलपुर से 01 सिहोरा से 10 बसे चलायी जा रही है । जो ग्रामीण छात्र-छात्राओ को जिला तहसील/जनपद मुख्यालय एवं थानो तक पहुँचाती है । (घ) जी हॉ । देवरीहटाई बडागांव नन्हवारा हीरापुर कोडिया, हिरवारा, कटंगीकलां, दैगवां - महगवां, अतरिया, कटरिया प्रश्नांकित समस्त स्थानों पर वाहन संचालित है जो छात्रों को महाविद्यालय जन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जिला तहसील, जनपद, तथा थाना तक पहुंचते है । इसके अलावा आटो रिक्शा, टाटा मैजिक वाहनें भी परिवहन हेतु संचालित है । (ड़) ग्रामीण मार्गो पर परिवहन सेवा हेतु दिनांक 01.10.14 से संचालित वाहनों के जीवन काल कर में रियायत दी गई है । और वाहन की कीमत का 1 प्रतिशत जीवनकाल कर लिया जा रहा है । ग्रामीण परिवहन सेवा ग्रामीण मार्गो हेतु बनाई गयी है जिस पर 3+1 से अधिक एवं 12+1 से कम क्षमता की वाहने संचालित की जा रही है । ग्रामीण सेवा हेतु नवीन पंजीकृत वाहनों के लिये ग्रामीण सेवा हेतु पंजीकरण की नवीन सीरिज जी.पी. आवंटित की जा रही है।

<u>जतारा विकासखण्ड में सरपंचों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य</u>

5. **(क्र. 355) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ की जतारा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हौरी अब्दा एवं ग्राम पंचायत ह्यदनगर के सरपंचों द्वारा कितने एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्ष 2010 से 2014 तक कराये गये हैं ? संपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराए ? (ख) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत बम्हौरी अब्दा एवं हृदयनगर में जो निर्माण कार्य स्वीकृत हुये उनमे कार्य नहीं करायें और राशि आहरण करके हड़प ली गई ? (ग) क्या ग्राम बम्हौरी अब्दा के सरपंच एवं हृदयनगर के सरपंच के निर्माण कार्यों की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक समयावधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें तथा जांच के दौरान दोषी पाये जाने वाले सरपंचों के विरूद्ध कार्यवाही कर जांच के आदेश कब तक प्रसारित कर दिये जावेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) जी नहीं । (ग) ग्राम पंचायत बमोरी अब्दा एवं हृदय नगर के सरपंचो की निर्माण कार्य से संबंधित किसी भी स्तर से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

स्पर्श अभियान के अंतर्गत निशुल्क वितरण हेतु सामग्री का क्रय

6. **(क्र. 370) श्री ठाकुरदास नागवंशी, (श्री रामनिवास रावत) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्पर्श अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 31 मार्च 2015 तक होशंगाबाद जिले के कितने निशक्त व्यक्तियों को किन-किन दिनांको में जिला निराश्रित/राज निराश्रित निधि से नि:शुल्क उपकरण वितरण की कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह सही है कि उल्लेखित अवधि में लगाये गये शिविरों में सिर्फ जिला इन्दौर की पंजीकृत फर्मो को ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में उपकरण वितरण का कार्य सौंपा गया जबकि उक्त उपकरण भारत सरकार के उपक्रम एलीमको एवं अन्य संस्थाओं को कार्य आदेश नहीं दिये गये ? (ग) वर्ष 2011-12 से 31 मार्च 2015 तक होशंगाबाद जिले में इन्दौर की कथित दो फर्मो के द्वारा कुल कितनी राशि के उपकरण नि:शक्तों को वितरित किये गये ? संचालनालय सामाजिक न्याय द्वारा कितनी राशि के भुगतान के आदेश की स्वीकृति संबंधित फर्मों को करने हेतु होशंगाबाद जिले को जारी की गई ? दिनांकवार एवं कुल भुगतान राशि का विवरण दिया जावें ? (घ) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत तीन वर्षो में उक्त दोनों कथित फर्मो के द्वारा गुणवत्ता विहीन 100 करोड से अधिक के उपकरण वितरित किये गये एवं संबंधित अधिकारियों को तीस प्रतिशत से अधिक कमीशन का भुगतान कर शासकीय राशि का अपव्यय किया गया ? क्या शासन इसकी जांच लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध से करायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** । (ख) जी नहीं । (ग) फर्मों के नाम का उल्लेख न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं । संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा जारी स्वीकृति की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है** । (घ) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "अद्वाईस"

ग्रामों में हाट बाजार हेतु

7. **(क्र. 404) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद विकासखण्ड के बड़े ग्राम लोहारी, मुलठान, सिपटान, पीपलगोन में विगत पांच वर्ष में ग्रामीण हाट बाजार हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदाय की गई ? ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राशि आवंटन एवं खर्च करने की जानकारी विगत पांच वर्ष से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार दें तथा वर्तमान में कितनी-कितनी राशि शेष है इसका आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद की जनपद पंचायत कसरावद के ग्राम लोहारी, मुलठान, सिपठान एवं पिपलगोंद में विगत् 5 वर्षो में ग्रामीण हाट बाजार हेतु राशि प्रदाय नहीं की गई है । (ख) उत्तरांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

शमशान घाट का निर्माण

8. **(क्र. 405) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्राम माकड़खेड़ा मरकटी संगम नर्मदा नदी तट पर शमशान घाट का निर्माण, बैठने की व्यवस्था, रास्ते के साथ-साथ फुटपाथ एवं सौंदर्यकरण का निर्माण कार्य कई वर्षों से लंबित है यदि हां, तो कार्य को पूर्ण नहीं करने के क्या कारण है ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार निर्माण कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? समय-सीमा बतायें नहीं तो कारणों का उल्लेख करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, शमशानघाट निर्माण, बैठने का चबूतरा एवं पथ निर्माण कार्य 17 फरवरी 2012 को पूर्ण होना प्रतिवेदित है । अगस्त 2013 की अतिवृष्टि में उक्त शेड क्षतिग्रस्त हुआ है । मई 2013 में स्वीकृत वृक्षारोपण से सौंदर्यकरण का कार्य प्रारम्भ कराया गया जो प्रगतिरत है । मनरेगा योजना अंतर्गत अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारियों द्वारा रोजगार की मांग व भारत सरकार से पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर निर्भर होने से कार्य अपूर्ण है । (ख) उत्तरांश "क" अनुसार कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

कटनी जिले में संचालित शा. उचित मूल्य दुकानें

9. **(क्र. 431) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितनी सहकारी संस्थाएं कितनी शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं लीड का संचालन करती है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं लीड में कौन प्रबंधक एवं विक्रेता कब-कब रहा वर्ष 2012 से जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रबंधक एवं विक्रेताओं ने खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के जांच हेतु अभिलेख मांगने पर कब-कब अभिलेख नही दिये बतायें ? (घ) जांच हेतु अभिलेख मांगने पर उपलब्ध न कराने वाले प्रबंधको एवं विक्रेताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही का प्रावधान है बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) कटनी जिले में 133 सहकारी संस्थाएं 470 उचित मूल्य दुकानों का संचालन कर रहीं हैं । वर्तमान में किसी भी सहकारी संस्था द्वारा लीड का कार्य नहीं किया जा रहा है । (ख) शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं लीड संस्थाओं की **जानकारी क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है** । (ग) प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है** । (घ) अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले कर्मचारी के विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कण्डिका 4 एवं उपाबंध 2 के तहत जारी

प्राधिकार पत्र की कण्डिका 17 का उल्लंघन होने के कारण उक्त आदेश की कण्डिका 11 के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय है ।

कटनी जिले में राशन कार्डों के संबंध में

10. **(क्र. 432) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के प्रश्न क्रमांक संख्या 44 (407) दिनांक 8.12.2014 में (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है ? उत्तर दिया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) की शिकायत के जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा अब तक कितने बार प्रतिवेदन दिये गये हैं ? बतायें ? (ग) कटनी जिले में कितने प्रतिवेदनों एवं पत्रों में राशन कार्ड से अधिक आवंटन दिया जाना प्रतिवेदित किया गया है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिनांक 13.02.2015 को प्रेषित किया गया है । (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित शिकायत की जांच जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर द्वारा की जा रही है । उनके द्वारा उक्त शिकायत की जांच के अन्तरिम/अपूर्ण प्रतिवेदन दिनांक 14.08.2014 एवं 30.11.2014 को दिए गए हैं । (ग) जिला खाद्य कार्यालय, कटनी में राशनकार्ड संख्या से अधिक सामग्री का आवंटन दिए जाने के संबंध में 44 प्रतिवेदन/पत्र दिए गए हैं ।

कृषि रथ संचालन की जांच

11. **(क्र. 504) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत कृषि रथ संचालन का कोई प्रोग्राम सितम्बर/अक्टूबर 2014 में बनाया गया था ? यदि हां तो क्या प्रोग्राम था और इसके क्या उद्देश्य थे ? (ख) इन कृषि रथ के भ्रमण हेतु विकासखंड वार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी ? स्वीकृत राशि को किसके द्वारा किस प्रकार से किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय करने के निर्देश दिये गये थे ? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायी जाये ? (ग) सागर जिले में किस-किस विकासखंड में किन-किन गांवों में किस-किस दिनांक को रथ का भ्रमण कराया गया और इस पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में कब-कब किस-किस के द्वारा व्यय की गयी ? विकासखंडवार जानकारी दी जाये ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां । विभाग द्वारा कृषि रथ का संचालन प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 25 सितम्बर 2014 से 20 अक्टूबर 2014 तक आयोजित कृषि महोत्सव 2014 के दौरान किया गया । कृषि महोत्सव का कार्यक्रम तथा इसके उद्देश्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** । (ख) कृषि क्रान्ति रथ के भ्रमण हेतु रू. 15000.00 प्रतिदिन के हिसाब से कृषि महोत्सव की अवधि (26 दिन) हेतु राशि रू. 390000/- (रू. तीन लाख नब्बे हजार केवल) प्रत्येक विकासखण्ड स्वीकृत की गई थी । स्वीकृत राशि समस्त जिलों के परियोजना संचालक आत्मा के माध्यम से कृषि महोत्सव के आयोजन हेतु जारी शासन के

दिशानिर्देश अनुसार व्यय किए जाने के निर्देश थे । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ग) सागर जिले के समस्त विकासखण्डों में ग्रामवार व दिनांकवार रथ भ्रमण के रूट चार्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । व्यय की गई राशि की गतिविधिवार विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है** ।

विभागीय पत्र व्यवहार की जानकारी

12. **(क्र. 524) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत खरगोन कार्यालय को भगवानपुरा विधायक द्वारा कितने पत्र प्राप्त हुए ? विषयवार सूची देवें ? इनके जवाब की जानकारी भी देवें ? (ख) जनपद भगवानपुरा, सेगांव, गोगांवा एवं खरगोन द्वारा पंचायत से कार्य अनुबंध कर उसकी एक प्रति क्षेत्रीय विधायक को भेजी जाती है- इसे भेजने का माध्यम क्या होता है ? (ग) अभी तक भगवानपुरा विधायक को कितनी प्रतिलिपि भेजी गई ? दिनांक सहित बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला पंचायत खरगोन को भगवानपुरा के मान.विधायक से 13 पत्र प्राप्त हुए । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** । (ख) जनपद पंचायत भगवानपुरा, सेगांव, गोंगावा एवं खरगोन द्वारा पंचायत से कार्य अनुबंध की प्रति क्षेत्रीय विधायको को नहीं प्रेषित की जाती है । (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

रामपुर जनपद सी.ई.ओ. द्वारा अवैधानिक कार्य किया जाना

13. **(क्र. 616) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की तहसील रामपुर बाघेलन में 01.01.12 से 10 दिसंबर, 2014 तक जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान के किस-किस नाम के सरपंचों के उपर कितनी-कितनी राशि की रिकवरी के आदेश किस-किस सक्षम कार्यालय (सी.ई.ओ. जिला पंचायत, एस.डी.एम., सी.ई.ओ. जनपद रामपुर/ अन्य) के द्वारा जारी किये गये ? जारी सभी रिकवरी आदेशों की एक-एक प्रति दें ? (ख) क्या यह सत्य है कि 01.04.14 से 31 जनवरी 2015 तक के दौरान जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान में ग्राम पंचायत चोरहट/लखनवाह/मोहनिया/बढौरा/डेंगरहट/खगौरा/सतरी के सरपंचों को एन.ओ.सी. जनपद पंचायत रामपुर के सी.ई.ओ. ने जारी की ? क्या सी.ई.ओ. जिला पंचायत सतना ने इन फर्जी एन.ओ.सी. की नस्ती देखी ? अगर नहीं, तो क्या सी.ई.ओ. जिला पंचायत सतना को सी.ई.ओ. जनपद पंचायत रामपुर ने गुमराह किया ?(ग) क्या ग्रामपंचायत बांधा विकास खण्ड रामपुर बाधेलान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पात्र हितग्राही जमनिया पत्नी लहराई आदिवासी/इरिया पत्नी भलुआ एवं सुखलाल को पेंशन का लाभ नहीं मिलने से इलाज नहीं करवा पाने के कारण मौत हो गई ? उक्त तीनों की मौत कब कैसे हुई ? (घ) कब तक राज्य शासन उक्त अवैधानिक कार्य करने वाले जनपद सी.ई.ओ. रामपुर को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करेगा ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियम बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । ग्राम पंचायतों में कार्य कराने हेतु दी गई राशि का कार्य न कराने पर कार्य पूर्ण कराने अथवा राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये है । रिकवरी नोटिस अर्थात् आर.आर.सी. जारी नहीं किये गये है,केवल कार्यो को पूर्ण कराने के सूचना पत्र मात्र है । (ख) दिनांक 01.04.2014 से 31 जनवरी 2015 के दौरान जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान में ग्राम पंचायत चोरहटा सरपंच श्री मृगेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत मोहनिया सरपंच श्री अनिल परौहा, ग्राम पंचायत बढौरा सरपंच श्रीमती यशोदा सिंह व ग्राम पंचायत डेगरहट सरपंच श्री देवलाल सिंह को एनओसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान द्वारा एनओसी(अदेय प्रमाण-पत्र) जारी नहीं की गई । ग्राम पंचायत सतरी के सरपंच श्री सत्यपाल सिंह निर्वाचन में सरपंच अभ्यर्थी है, होने से परफारमेंस ग्रांट फण्ड मद से निर्माण कार्य हेतु जारी राशि रूपये 80000/-(रू.अस्सी हजार मात्र) के कार्य न कराने के कारण, बकायादार द्वारा यह राशि मध्याचंल ग्रामीण बैंक में ग्राम पंचायत सतरी के खाते में जमा कर दिये जाने पर सचिव द्वारा एनओसी (अदेय प्रमाण-पत्र) जारी किया गया है । ग्राम पंचायत खगौरा के सरपंच श्री रामसखा कुशवाहा जो वर्तमान में सरपंच पद के प्रत्याशी होने एवं किसी भी योजना की राशि बकाया न होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान द्वारा एनओसी जारी की गई है । ग्राम पंचायत लखनवाह के सरपंच श्री प्रशांत सिंह जो निर्वाचन में सरंपच पद के अभ्यर्थी होने से सचिव ग्राम पंचायत लखनवाह द्वारा बगैर अभिलेख परीक्षण/सत्यापन के एनओसी जारी की गई थी । जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान के पत्र क्रमांक 132 दिनांक 7.01.2015 द्वारा अवगत कराने पर जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 7303, दिनांक 09.01.2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान को त्रुटिपूर्ण जारी अदेय प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । इस प्रकार अन्य ग्राम पंचायत सचिवों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । (ग) जी नहीं । जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान की दी गई सूची अनुसार जिला पंचायत द्वारा माह नम्वबर 2014 तक की पेंशनग्राम पंचायत बांधा में हितग्राही जमनिया पत्नी लहराई आदिवासी के खाते में भुगतान की जा चुकी है । सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राही जमनिया पत्नी लहराई आदिवासी उम्र 75 वर्ष की मृत्यु दिनांक 17.12.2014 इरिया पत्नी भलुआ उम्र 95 वर्ष की मृत्यु 21.12.2014 एवं सुखलाल पिता झल्ला कोल उम्र 87 वर्ष की मृत्यु दिनांक 11.12.2014 उनके वारिसान पंचनामा अनुसार सामान्य मृत्यु है । (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 7303, दिनांक 09.01.2015 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>कराये गये कार्यों की जानकारी</u>

14. **(क्र. 617) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के तहसील मेंहगांव के ग्रामपंचायत पचैरा (मेहगांव) एवं कचनाव कलां तथा

तहसील अटेर के ग्रामपंचायत जवासा में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014 से प्रश्नतिथि तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय करने राज्य व केन्द्रीय मद से प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानों में एवं वर्णित समयानुसार उक्त ग्रामपंचायतों में किस-किस स्थान पर, किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य कराने पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? व्यय की गई राशि का भुगतान किस-किस को किया गया ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं स्थानों पर कराये गये कार्यों का स्थल पर भौतिक सत्यापन किस नाम पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा करते हुये गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी किया ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन सी थी ? नाम दें ? वर्तमान में उक्त कराये गये कार्यों की स्थल पर भौतिक स्थिति क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

लोक सेवा केंद्रों के अंतर्गत दिये गए अधिकार

15. **(क्र. 634) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. में शासन द्वारा म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम पारित कर विभागीय कार्यों की समय-सीमा सुनिश्चित की थी ? किंतु उक्त कार्य लोक सेवा केंद्रों को प्राईवेट ठेके पर शासन द्वारा तहसीलवार दे दिया है क्या अधिनियम में ऐसी व्यवस्था थी यदि हां, तो क्या सुनिश्चित समय-सीमा में कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें ? (ख) गुना जिले में संचालित तहसीलवार लोक सेवा केंद्रों में समय-सीमा से अधिक कौन-कौन से कार्य पेंडिंग है ? यदि पेंडिंग है तो उन पर दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की ? यदि उनके संचालक अवैध वसूली करते हैं तो उनकी शिकायत, जांच कार्यवाही कब और कैसे होगी ? (ग) यदि सुनिश्चित समय से अधिक समय लग रहा हो तो विभागीय सेवायें क्यों चालू नहीं की, कब तक विभागीय सेवायें चालू कर दी जायेगी ताकि दोनों प्रकार से आमजन को लाभ हो ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी, हॉ । मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 पारित किया गया है । अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने हेतु किसी विशेष व्यवस्था का उल्लेख नहीं हैं । शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दिया जा रहा है । (ख) गुना जिले में संचालित तहसीलवार लोक सेवा केन्द्रों पर समय-सीमा से अधिक कोई कार्य पेंडिंग नहीं है । इसलिए दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई । यदि किसी लोक सेवा केन्द्र संचालक के विरूद् अवैध वसूली की शिकायत की जाती है, तो उसकी जॉच संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार जॉच कराई जाएगी। (ग) वर्तमान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 22 विभागों की 124 सेवाएं अधिसूचित है, जिनकी समय-सीमा सुनिश्चित है । अधिसूचति सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित विभागों के पदाभिहित अधिकारी स्तर पर आवेदन देकर सेवा प्राप्त कर सकता है ।

म.प्र. में परिवहन विभाग में पदस्थ स्टॉफ का रोटेशन क्रम

16. **(क्र. 635) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के परिवहन विभाग में अधिकारी, कर्मचारी के फील्ड तथा ऑफिसों में कितने पद स्वीकृत है, उनमें कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं, तथा ऐसे कितने स्टॉफ हैं, जिन्होंने विगत पॉच वर्ष में विभागीय प्रमोशन नहीं लिया ? रिक्त पद भरने की क्या कार्ययोजना है ? कब तक भरेंगे ? (ख) म.प्र. के परिवहन विभाग में पदस्थापना की ऑफिस एवं फील्ड में पदस्थ करने संबंधी रोटेशन का क्या नियम है ? क्या रोटेशन अवधि अनुसार स्टॉफ की पोस्टिंग होती है कि नहीं ? यदि हां, तो ऐसे कितने पदाधिकारी है, जिन्होंने रोटेशन अनुसार पोस्टिंग नहीं ली या नहीं की ? कब तक करेंगे ? (ग) म.प्र. के परिवहन विभाग में सबसे अधिक कर वसूली एवं सबसे कम कर वसूली कौन-कौन बैरियर या जिलों में होती है ? क्या कम कर वसूली वाले स्टॉफ को रोटेशन प्रणाली के अन्तर्गत पदस्थ किया जाता है कि नहीं या उन पर कार्यवाही का कोई नियम है ? (घ) म.प्र. में घोषित नई परिवहन नीति एवं पुरानी परिवहन कर निर्धारण नीति अनुसार राजस्व वसूली में कौन सी पद्धति से अधिक आय होती थी ? क्या नवीन परिवहन नीति एवं एकल खिड़की प्रणाली अनुसार ऐसे कितने कार्य पेंडिग है, जिलेवार जानकारी दें ? वाहनों के नम्बर प्लेट विवरण नीति के तहत समय सीमा निर्धारण का कोई नियम है कि नहीं ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) परिवहन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के फील्ड तथा ऑफिसों में कुल 1698 पद स्वीकृत है, रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** हैं । विगत 05 वर्षो में विभिन्न कारणों से कुल 16 लिपिक वर्गीय एवं फील्ड के कर्मचारियों द्वारा विभागीय पदोन्नति अस्वीकार की है । रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर जारी है । तथा रिक्त पदों को भरे जाने की समय-सीमा निर्धारित नही की जा सकती है । (ख) अधिकारियों की उपलब्धता एवं कार्य क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये शासन के पत्र दिनांक 05.07.2005 के अनुक्रम में सामान्यता प्रवर्तन अमले की पदस्थापना की जाती है । अभ्यावेदन प्राप्त होने पर परिस्थिति के आधार पर पदस्थापना परिवर्तन की जा सकती है । ऐसा कोई पदाधिकारी नही है, जिसने पदस्थापना आदेश का पालन ना किया हों । (ग) परिवहन विभाग में वर्ष 2014-15 में अब तक सबसे अधिक कर वसूली चेकपोस्ट सेंधवा जिला बडवानी एवं कम राजस्व वसूली उमरथाना जिला गुना में हुई है । वसूली के पत्रक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है । पदस्थापना अधिकारियों की उपलब्धता एवं कार्य क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये की जाती है । (घ) म.प्र. में घोषित नई परिवहन नीति वर्ष 2010 राजस्व वृद्धि किये जाने को आधार बनाकर क्रियान्वित नहीं की गई है, बल्कि आम जनता यात्रियों एवं ग्रामीण क्षेत्र की यातायात सुविधा को ध्यान में रखते हुये कियान्वित किया गया है । पुरानी परिवहन कर निर्धारण नीति एवं परिवहन नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं सुधार किये गये है इनका राजस्व वसूली या राजस्व आय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । नई परिवहन नीति एवं एकल खिडकी प्रणाली अनुसार सभी कार्य निर्धारित समय अवधि में निराकृत किये जा रहे है, कोई प्रकरण लंबित नहीं है ।

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अनुसार यान के रजिस्ट्रेशन के लिये 07 दिन की समय अवधि में आवेदन देना अनिवार्य है एंव नियम 48 के अनुसार आवदेन दिनॉक से 30 दिवस की अवधि में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान है ।

जनपद पंचायत कन्नौद प्रांगण में नव निर्मित सभा कक्ष (भवन) पर व्यय

17. **(क्र. 657) श्री आशीष गोविंद शर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा की जनपद पंचायत कन्नौद प्रांगण में नव निर्मित सभा कक्ष (भवन) में कुल कितनी लागत का व्यय हुआ है एवं किस निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा तथा किस उपयंत्री के सुपरविजन में निर्माण कार्य करवाया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त भवन में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है जिसके कारण भवन का फर्श नीचे दब चुका है एवं दीवारों में दरारें आ गईं यदि हां तो सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, नहीं तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? (ग) क्या उक्त भवन का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार को कर भवन टेक ओवर कर लिया गया है ? (घ) नव निर्मित भवन उपरांत भवन की रख रखाव के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार से कितने वर्ष का अनुबंध किया गया है दिनांक व वर्ष बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत कन्नौद प्रांगण में बी.आर.सी. भवन में रु. 15.00 लाख का व्यय हुआ है । श्री गणेश कुमार मोदी ठेकेदार कन्नौद एवं उपयंत्री श्री आर.सी.कुलकर्णी के सुपरविजन में निर्माण कार्य करवाया गया है । (ख) जी नहीं । उक्त भवन का कार्य नियमानुसार पूर्ण किया गया था । भवन पूर्णता के लगभग 6 वर्ष पश्चात फर्श एवं कालम में हल्का सेटलमेंट होने के कारण फर्श दबा है व दीवारों में क्रेक आया है । वार्षिक मरम्मत न होने के कारण उक्त कमियां लक्षित हुई है । वार्षिक मरम्मत कराई जाकर फर्श एवं दीवार कार्य ठीक कराया जावेगा । (ग) जी हॉ । उक्त भवन का पूर्ण भुगतान संबंधित निर्माण एजेंसी को किया जाकर भवन का हस्तांतरण किया गया है । (घ) नवनिर्मित भवन उपरांत भवन के रख रखाब के लिये संबंधित निर्माण एजेंसी अनुबंधानुसार 2 वर्ष के लिये उत्तरदायी होती है जो कि दिनांक 08.02.2011 को समाप्त हो चुकी है ।

प्रदेश में वर्ष 2014 में आयोजित कृषि महोत्सव पर व्यय राशि

18. **(क्र. 772) श्री रामनिवास रावत :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2014 तक आयोजित कृषि महोत्सव में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार बतावें ? कुल कितने कृषि रथ तैयार किए गए ? प्रति रथ औसत लागत क्या थी ? उक्त कृषि महोत्सव के आयोजन के क्या परिणाम निकले ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कृषि महोत्सव में जिला श्योपुर में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति/एजेंसी को भुगतान की गई ? एजेंसियों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया

अपनाई गई ? (ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति एवं प्रक्रिया अपनाए मनमाने तरीके से व्यक्तियों एवं एजेंसियों को भुगतान किया है ? (घ) क्या शासन जिला श्योपुर में कृषि महोत्सव में अनियमित तरीके से किए गए भुगतान एवं व्यय राशि की जांच कराने के आदेश प्रदान करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में दिनांक 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 2014 तक आयोजित कृषि महोत्सव 2014 के आयोजन में कुल व्यय राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है । समस्त प्रदेश में कुल 313 कृषि रथ तैयार किये गये एवं प्रति रथ राशि रूपये 1.50 लाख की लागत आयी । कृषि महोत्सव के आयोजन से जिलों में वैज्ञानिक कृषि को बढावा, नवीन कृषि तकनीक की कृषकों को जानकारी, कृषि कार्य में कौशल वर्धन, परस्पर चर्चा एवं कृषि वैज्ञानिकों से समस्या समाधान, नई फसल किस्मों एवं फसल चक्र परिवर्तन, कृषि तकनीक प्रदर्शन बहुविभागीय कार्यक्रमों की जानकारी से कृषि को लाभकारी बनाने हेतु कृषकों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके दूरगामी परिणाम फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के रूप में निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी नहीं । (घ) श्योपुर जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर की अध्यक्षमता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत भुगतान की कार्यवाही की गयी है । अत: जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट - "उनतीस"

श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास

19. **(क्र. 773) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिला श्योपुर को कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ? लक्ष्य के विरूद्ध कितने आवास स्वीकृत किए जाकर कितने-कितने ऋण प्रकरण किन-किन बैंकों को भेजे गए ? कृपया जनपद पंचायतवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बैंकों को भेजे गए प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में बैंकों द्वारा कितने ऋण स्वीकृत किए गए ? कितनों में नहीं ? कृपया बैंकवार, जनपद पंचायतवार जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री आवासों में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु शासन से किए गए अनुबंध में प्रकरण की प्राप्ति के 15 दिवस में ऋण स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने संबंधी शर्त रखी गई है ? यदि हां तो बैंकों द्वारा इस शर्त का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? वर्तमान में किस बैंक में ऋण स्वीकृति हेतु कितने प्रकरण लंबित है ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने-कितने प्रकरणों में हितग्राहियों द्वारा प्रथम अंशिका से कार्य कराकर द्वितीय अंशिका की मांग की गई है ? कितने में द्वितीय अंशिका प्रदान कर दी गई है ? कितनों में नहीं एवं क्यों ? ऋण की द्वितीय अंशिकाएं कब तक प्रदान कर दी जावेंगी ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, श्योपुर जिले को वर्ष 2013-14 में 1400 एवं वर्ष 2014-15 में 1400 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इन लक्ष्यों के विरुद्ध वर्ष 2013-14 में जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं में 2707 आवासीय ऋण प्रकरण प्रेषित किये गये थे इनमें से 1720 प्रकरण स्वीकृत किए गए । इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में अभी तक जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं को 2166 आवासीय ऋण प्रकरण प्रेषित किये गये इनमें से 1014 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं । जनपद पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित बैंकों को प्रेषित प्रकरण, बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरण तथा बैंकों द्वारा अस्वीकृत/में लंबित प्रकरणों की बैंकवार तथा जनपद पंचायतवार जानकारी, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ग) इस मिशन में निष्पादित एम.ओ.यू. में स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु समयावधि निर्धारित की गई है । बैंकों द्वारा अनुबंध की उक्त धारा का पालन करने का प्रयास किया जाता है । वर्तमान में बैंकों में लंबित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (घ) वर्ष2013-14 में एवं वर्ष 2014-15 में अभी तक हितग्राहियों द्वारा प्रथम किश्त की राशि से कार्य कराकर द्वितीय किश्त की राशि की मांग किए जाने, हितग्राही को द्वितीय किश्त प्रदाय करने एवं द्वितीय किश्त प्रदाय नहीं किए जाने संबंधी बैंकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है ।** प्रथम किश्त में प्रावधानित निर्माण स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर, द्वितीय किश्त प्रदान की जाती है । निश्चित समय बताया जाना संभव नहीं ।

<u>नागरिक सहकारी बैंक में हुई अनियमितताएं</u>

20. **(क्र. 774) श्री राजेश सोनकर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 13 सुभाष मार्ग, इंदौर में कितने सदस्य है ? कितने सदस्यों ने ऋण लिया है ? क्या संचालक मण्डल के उपाध्याय एवं सदस्यों ने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को नियम विपरीत ऋण दिये हैं ? (ख) नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर कौन-कौन सी अनियमितता पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बार कब-कब कितनी राशियां दण्ड की है ? दण्ड की गई राशि का भुगतान क्या बैंक ने किया ? यदि हां तो संचालक मण्डल ने दण्ड राशि का भुगतान क्यों नहीं किया ? दण्ड का भुगतान संचालक मण्डल करेगा तो कब तक करेगा ? अगर नहीं तो क्यों ? (ग) नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर के वर्तमान अध्यक्ष ने उक्त राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं की ? संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ इंदौर संभाग इंदौर ने उक्त राशि वसूली के लिये बैंक के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? वसूली की कार्यवाही नहीं की है तो क्यों नहीं की ? कार्यवाही होगी तो कब तक होगी स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 14154 सदस्य. 1469 सदस्यों ने. जी हां. (ख) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक की राशि विनियोजन के संबंध में बनाई गई गाईड लाईन के अनुसार बैंक स्तर से विनियोजन कमेटी गठित नहीं करने संबंधी अनियमितता के कारण दिनांक

28-04-2009 को राशि रूपये 5.00 लाख एवं बैंक के निदेशको से संबंधित ऋणों के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दिनांक 07-08-2013 को राशि रूपये 5.00 लाख का मौद्रिक दण्ड लगाया गया. जी हां. बैंक द्वारा भुगतान की गई दण्ड राशि की प्रतिपूर्ति बैंक के संचालक मण्डल द्वारा नही की गई. संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा बैंक को शास्ति के रूप में लगाये गये दण्ड एवं हानि पहुंचाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी/ख के तहत न्यायालय संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) , सहकारी संस्थाऐ, इन्दौर में प्रकरण क्रमांक 01/2015 पंजीबद्ध होकर आगामी सुनवाई दिनांक 27-02-2015 को प्रकरण नियत है. संचालक के रिश्तेदारों को स्वीकृत किये गये ऋणों की वसूली जमा कराते हुये अधिरोपित दण्ड को माफ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है । समय-सीमा बताया जाना संभव नही है. (ग) बैंक के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नही की गई है । संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर द्वारा बैंक की वर्ष 2013-14 की निर्गमित अंकेक्षण टीप में यह निर्देशित किया गया है कि बैंक के सनदी लेखापाल/फर्म द्वारा अधिनियम की धारा 58-बी/ख के तहत उपरोक्त अनियमितता के कारण बैंक को अधिरोपित शास्ति की राशि रूपये 5.00 लाख की वसूली हेतु विशेष प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु सनदी लेखापाल द्वारा विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने से विभागीय अंकेक्षण अधिकारी द्वारा उपरोक्त अधिरोपित राशि की वसूली हेतु बैंक के संचालक मण्डल के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58-बी/ख के तहत प्रकरण तैयार किया गया जो न्यायालय संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) , सहकारी संस्थाऐ, इन्दौर में प्रकरण क्रमांक 01/2015 पंजीबद्ध होकर आगामी सुनवाई दिनांक 27-02-2015 को प्रकरण नियत है. समय-सीमा बताया जाना संभव नही है.

बीज विक्रय हेतु लाइसेंस

21. **(क्र. 775) श्री राजेश सोनकर :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में किसानों को फसल बोने के लिए बीज विक्रय करने हेतु कितनी संस्थाओं/एजेन्सियों को लायसेन्स प्रदान किये गये है ? शासकीय/निजी संस्थाओं/ एजेन्सियों/कम्पनी की सूची उपलब्ध करवायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संस्थाओं/एजेन्सियों/कम्पनियों के बीज की गुणवत्ता की जांच कौन-कौन अधिकारी/विभाग करता है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में गुणवत्ता की जांच के मापदण्ड क्या है ? तथा जांच किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जाती है? (घ) बीजो का जर्मीनेशन नहीं होने पर किसानों को मुआवजे की क्या व्यवस्था है ? तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है ? सूची उपलब्ध कराये ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है** । (ख) सीड (कंट्रोल) आर्डर 1983 में निहित प्रावधानानुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त बीज निरीक्षक द्वारा भेजे गये बीज के नमूनों को कृषि विभाग के अंतर्गत बीज परीक्षण अधिकारी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है । (ग) बीज की

गुणवत्ता की जांच हेतु नार्मल (सामान्य), एबनार्मल (असामान्य), हार्ड (सख्त), फ्रेस अनजर्मीनेटेड (स्वस्थ बिना अंकुरण के), डेड (मृत्यु) अनुसार मापदण्ड निर्धारित है, तथा जांच बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर में पदस्थ बीज परीक्षण अधिकारी द्वारा की जाती है । (घ) सीड एक्ट 1966 एवं सीड (कंट्रोल) आर्डर 1983 में प्रावधान नहीं होने से मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुंगावली क्षेत्र में विधायक निधि व मनरेगा कन्वर्जन कार्य

22. **(क्र. 783) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधायक निधि तथा मनरेगा कन्वर्जन कार्यों में प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने में कई माह का समय लग रहा है क्यों ? क्या शासन के नियमानुसार विधायक निधि में मनरेगा की राशि का कन्वर्जन करने का प्रावधान नहीं है ? यदि है तो क्या ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्यों में रतलाम जिले में विगत वर्षों विधायक निधि 1.00 लाख पर 3.00 लाख मनरेगा की राशि से कई कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी की गई व कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं तो अशोकनगर जिले में क्यों जारी नहीं की जा रही है ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) पिछले 1 वर्ष में प्रश्नकर्ता ने विधायक फंड व मनरेगा कन्वर्जन के कितने प्रस्ताव जिले में दिये ? उनका विवरण देते हुए प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव की तिथि व स्वीकृति की तिथि देते हुए बताएं कि विलम्ब क्यों हुआ, कब किस तिथि की स्वीकृति जारी हुई व कब कार्य प्रारंभ हुआ ? ग्रामवार विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । मनरेगा तथा विधायक निधि के कन्वर्जेन्स के कार्यों की स्वीकृति निम्न बिन्दुओं की पूर्ति पर आधारित है - १- कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी का होना । २- कार्य का प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होना तथा कार्य का, संबंधित ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अनुमोदन पश्चात शामिल होना । ३- नवीन कार्यों की स्वीकृति के लिये कन्वर्जेन्स हेतु आवश्यक राशि की उपलब्धता । ४- संबंधित ग्राम पंचायत में काम की मांग तथा पूर्व से प्रचलित अपूर्ण कार्यों की स्थिति । विधायक निधि से मनरेगा की राशि का कन्वर्जेन्स शासन के परिपत्र क्रमांक 1230 दिनांक 04-02-2012 द्वारा प्रावधानित है । परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । (ख) मनरेगा अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायत स्तर तक विकेन्द्रीकृत है । स्वीकृतकर्ता एजेन्सी अपने अधिकार के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्वीकृति जारी करती है । अतएव दो जिलों के बीच स्वीकृति में समानता होना अनिवार्य नहीं है । (ग) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 240 दिनांक 12-08-2014 द्वारा 88 कार्यों के तथा पत्र क्रमांक 245 दिनांक 20-08-2014 द्वारा 14 कार्यों के प्रस्ताव दिये गये हैं । कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार है** । मनरेगा अंतर्गत भारत सरकार से राशि की पूर्ति मांग अनुसार

न हो पाने की स्थिति में राज्य स्तर से मनरेगा अंतर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति दिनांक 24-09-2014 से प्रतिबंधित करते हुये पुराने कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं । वर्तमान में अशोकनगर जिले में मनरेगा के 8717 कार्य अपूर्ण होने से, नवीन कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुये हैं।

जिला अशोक नगर में मनरेगा कार्यों की जानकारी

23. **(क्र. 784) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के कार्यों में अशोक नगर जिला में पिछले 3 वर्ष में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उनका क्या निराकरण हुआ ? (ख) विगत 3 वर्षों में मुंगावली विधान सभा क्षेत्र हुरेरी रोड पर विधायक फंड कितना खर्च हुआ ? व क्षेत्र में कहॉ-कहॉ ग्रामीण विकास विभाग ने विधायक फंड की व मुख्यमंत्री सड़क, मनरेगा सेंट्रलरोड फंड व अन्य विभागीय खर्च साथ-साथ पृथक-पृथक कार्यवार, ग्रामवार देने का कष्ट करें ? (ग) बेकवर्ड रीजन फंड के कौन-कौन गांवों में क्या कार्य मुंगावली तहसील जिला अशोक नगर में पिछले 2 वर्ष में हुए व अगले वर्ष के क्या प्रस्ताव है ? इस संबंध में बेकवर्ड रीजन फंड हेतु कौन-कौन से कार्य की सिफारिश प्रश्नकर्ता ने जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को पिछले 5 वर्ष में की ? पत्र व कार्यों का विवरण देते हुए बतावे कि कौन-कौन से कार्य योजना में लिये या लिये जाऐंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : मनरेगा के कार्यो में अशोकनगर जिला में पिछले तीन वर्ष में 60 शिकायतें प्राप्त हुई एवं55 शिकायतें निराधार/असत्य ; 05 शिकायतों में 03 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित/प्रतिबंधित किया गया एवं 01 सहायक यंत्री तथा 02 उपयंत्री को निलंबित किया गया है, जो कि वर्तमान में भी निलंबित है । (ख) विगत 03 वर्षों में मुंगावली विधानसभा क्षेत्र हुरेरी रोड पर विधायक फण्ड से 03 निर्माण कार्य रूपये 14.85 लाख के स्वीकृत किये गए थे, जिस पर रूपये 14,32,500 का व्यय किया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है ।** विधानसभा मुंगावली क्षेत्र में विधायक फण्ड से विगत 03 वर्षों में वर्षवार कराए गए कार्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है । (ग) बेकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना अंतर्गत जनपद पंचायत मुंगावली में विगत 02 वर्षों में कराए गए कार्य **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है ।** पिछले 05 वर्षों के पत्र व कार्य विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है ।**

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत हितग्राही चयन

24. **(क्र. 801) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं कच्चे आवास वाले परिवारों के चयन हेतु ग्राम पंचायतवार समिति गठित कर सूची तैयार की गई है ? समिति में कौन-कौन सदस्य रखे गये ? (ख) क्या कालापीपल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंचायतवार

आवासहीन एवं कच्चे आवास वाले परिवारों की सूची बनाई गई है ? क्या चयनित सूची का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया गया है ? यदि हां, तो पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत चयनित हितग्राहियों के ऋण प्रकरण बैंक भेजे गये हैं ? बैंक द्वारा अस्वीकृत प्रकरणों की सूची कारण सहित उपलब्ध करावें ? (घ) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायतवार कितने हितग्राहियों के आवास बनकर तैयार हो गये हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ख) जी नहीं । अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में, ग्राम सभाओं द्वारा निर्धारित प्राथमिकता-क्रम में, आवासीय ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे गये हैं । बैंकों द्वारा कोई ऋण प्रकरण अस्वीकृत नहीं किए गए हैं । (घ) विधानसभा क्षेत्र कालापीपल के अंतर्गत, इस मिशन में पूर्ण हो चुके एवं अपूर्ण आवासों की पंचायतवार संखया तथा आवासों की अपूर्णता के कारण, की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।**

परिशिष्ट - "तीस"

शाजापुर जिले की जनपद पंचायत के रिक्त पदों को भरने की पूर्ति

25. **(क्र. 802) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शुजालपुर एवं कालापीपल जनपद पंचायत में श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत है ? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत है, तथा किस-किस कर्मचारियों से क्या-क्या कार्य लिया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जनपद पंचायतों में कितने पद रिक्त है ? रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया क्या है ? क्या रिक्त पद भरे जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत शुजालपुर एवं कालापीपल में श्रेणीवार पदों की चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"अनुसार** । (ख) रिक्त पदों की श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"अनुसार** । जनपद पंचायत स्वशासी संस्था है, रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रक्रिया हेतु म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 95 में बने नियम मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1999 के नियम अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

कृषि महाविद्यालयों में जैविक खेती हेतु कोर्स

26. **(क्र. 844) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग स्थित किन-किन कृषि महाविद्यालयों में कौन-कौन से डिप्लोमा कोर्स संचालित है ? (ख) उक्त संभाग के महाविद्यालयों में विगत दो वर्षों में जैविक खेती

हेतु कितने प्रशिक्षण कार्यशालाऐं कब-कब आयोजित की गई, कार्यशालाओं में किन-किन प्रोफेसर, जैव वैज्ञानिक ने कब-कब, कहां-कहां प्रशिक्षण दिया ? मन्दसौर कृषि महाविद्यालय में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करें ? (ग) क्या मन्दसौर कृषि महाविद्यालय में डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फॉर्मिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) मन्दसौर कृषि महाविद्यालय में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या कक्षावार तथा स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या बताएं ? क्या यह सही है कि मन्दसौर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक होने के बावजूद यहां अतिथि विद्वान अध्यापन कार्य करा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को उचित ज्ञान नहीं मिल पा रहा है ? रिक्त पदों की भर्ती कब तक कर दी जावेगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) इन्दौर,उज्जैन संभाग स्थित कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालयों में डिप्लोमा कोर्स संचालित नहीं है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है** । उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में जैविक खेती को बढावा देने के लिए कृषकों को प्रशिक्षण दिये गये हैं । (ग) जी नहीं । (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय,मंदसौर में कोई भी डिप्लोमा पाठयक्रम संचालित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिवहन विभाग द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियों के रेडियम में अनियमितता</u>

27. **(क्र. 845) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियों के पंजीयन करते समय ट्राली के पीछे रेडियम लगवाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2013 के पश्चात् रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में कितनी ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें रेडियम लगे थे ? (ख) क्या यह सही है कि ट्रेक्टर ट्राली फोरलेन एवं मुख्य सड़क मार्ग पर ट्रेक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटना बढ़ रही है ? इस हेतु आरटीओ द्वारा कब-कब ऐसी ट्रालियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? 1 जनवरी, 13 के पश्चात् उक्त जिलों में की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? (ग) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 2014 के पश्चात् जीवनकाल यानकर आजीवन रोड़ टेक्स ऐसे वाहन का लगेगा, जिनकी बैठक क्षमता 3+1 एवं 12+1 के बीच है, उनको जीवनकाल की श्रेणी में लिया गया है ? इसी तरह 5000 के.जी. से कम लोडिंग वाहन भी जीवनकाल श्रेणी में आएंगे ? किन्तु जिन वाहन मालिकों ने दिसम्बर तक रोड़ टेक्स जमा करा दिया है, उनको भी अक्टूबर माह से ही आजीवन टेक्स अनिवार्य हो रहा है ? (घ) दिसम्बर तक टेक्स जमा कराने वाले वाहन मालिकों के दो माह का टेक्स का क्या समायोजन किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक, तथा इनके ऊपर आरोपित पेनल्टी वापस दी जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी हॉ, यह सही है कि ट्रेक्टर ट्रॉली के पंजीयन करते समय ट्रॉली के पीछे रेडियम लगाना अनिवार्य है । 01 जनवरी 2013 से प्रश्नांकित दिनांक मे प्रदेश

के परिवहन कार्यालयों रतलाम, मंदसौर व नीमच में क्रमशः 640, 503, व 432 ट्रेक्टर ट्रॉलियों का पंजीयन किया गया, जिसमें नियमानुसार रेडियम (रिफलेक्टर) लगाये गये । (ख) निश्चित रुप से ट्रेक्टर ट्रॉलियों के पीछे रेडियम न लगा होना दुर्घटनाओं का कारण है । परिवहन विभाग द्वारा पूर्व से पंजीकृत ट्रालियों पर भी कृषि उपज मण्डियों में जाकर रिफलेक्टर (रेडियम) लगाये जाने की कार्यवाही की गयी है । रतलाम जिले में लगभग 100 ट्रॉलियों पर रिफलेक्टर लगाये गये है । (ग) हॉ, यह सही है कि मोटरयान कराधान अधिनियम के अनुसार बैठक क्षमता 3+1 से 12+1 के वाहन एवं 5000 कि.ग्रा. से कम के लोडिंग वाहन जीवनकाल कर श्रेणी में आ गये है । नहीं । जिन वाहन मालिकों ने दिसम्बर तक रोड टैक्स जमा करा दिया है, उन्हें रोड टैक्स की अवधि समाप्त होने पर ही जीवनकाल कर देय होगा । (घ) दिसम्बर तक का टैक्स जमा करने वाले वाहनों को जीवन काल कर जनवरी से देना होगा । अतः टैक्स वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

जावरा नगर में मिनी डोर एवं आटो रिक्शा के मार्गों का निर्धारण

28. **(क्र. 864) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा नगर में कुल कितने आटो रिक्शा एवं कुल कितने मिनी डोर वाहनों को परिवहन के परमिट जारी किये गये हैं ? (ख) साथ ही, क्या उक्त प्रकार के वाहनों को प्रदान किये गये परमिट में यात्री परिवहन के मार्गों का निर्धारण किया जाता है ? (ग) यदि हां, तो कुल कितने-कितने उक्त प्रकार के वाहनों को किन-किन मार्गों पर यात्री परिवहन हेतु निर्धारित किया गया है ? (घ) यदि परमिट में मार्गों का निर्धारण त्रुटिवश नहीं किया गया है, तो क्या विभाग द्वारा मार्गों के निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जावरा नगर में 36 ऑटो रिक्शा एवं 79 मिनी डोर वाहनों को परमिट जारी किये गये है । (ख) जी हॉ, उक्त प्रकार के वाहनों को प्रदाय किये गये परमिट में यात्री परिवहन मार्ग का निर्धारण अंकित किया जाता है । (ग) उक्त प्रदाय किये गये ऑटो रिक्शा के परमिट जावरा शहर के 16 किमी रेडियस के लिये जारी किये गये है, जबकि मिनीडोर के परमिट निर्धारित मार्ग चौपाटी से रेल्वे फाटक व्हाया पावर हाऊस रोड, गौशाला रोड, रतलामी गेट, लक्ष्मीबाई रोड, नीम चौक, कमानी गेट, घण्टाघर, बजाजखाना, गुना चौक, बोहरा बाखल भडभुजा चौक, जवाहर पेठ, पिपली बाजार शुकवारिया, सोमवारिया, आजाद चौक, लक्ष्मीबाई रोड, रतलामी गेट, रेल्वे फाटक चौपाटी निर्धारित मार्ग है । (घ) मिनी डोर के परमिटों में मार्ग निर्धारित है, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं ।

जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानें

29. **(क्र. 865) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जावरा नगर, तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा में कुल कितने राशन कार्डधारी होकर कुल कितनी उचित मूल्य की दुकाने है ? (ख) किस-किस प्रकार के

कितने राशन कार्डधारी होकर शासन की योजनानुसार/पात्रतानुसार उन्हें किस-किस प्रकार का खाद्यान्न कितना-कितना उपलब्ध कराया जाता है ? (ग) विभिन्न केन्द्रों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री को वितरित किये जाने हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है ? (घ) क्या समय-समय पर जांच एवं मूल्यांकन किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्रान्तर्गत कुल 46,794 पात्र परिवार/राशनकार्डधारी हैं तथा उचित मूल्य दुकानें 111 है । (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 5,174 अन्त्योदय परिवारों को एवं 41,620 प्राथमिकता परिवारों को गेहूं, चावल एवं मक्का उपलब्ध कराया जाता है । प्रत्येक माह प्राथमिकता परिवारों को 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न (3 कि.ग्रा गेहूं, 1 कि.ग्रा. चावल एवं 1 कि.ग्रा. मक्का) प्रति सदस्य के मान से एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (25 कि.ग्रा गेहूं, 5 कि.ग्रा. चावल एवं 5 कि.ग्रा. मक्का) प्रति परिवार के मान से वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है । (ग) उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक का अग्रिम भण्डारण किया जाता है । तदुपरांत पात्र परिवारों के द्वारा पात्रता पर्ची/राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर पात्रता पर्ची पर उल्लेखित पात्रता अनुसार निर्धारित दर पर राशन सामग्री प्रदाय की जाती है एवं राशन सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर वितरण रजिस्टर में प्राप्त किया जाता है । उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरण हेतु माप एवं बांटों का संधारण किया जाता है । (घ) जी हां । प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप 34 प्रकरण निर्मित किये गए हैं, जिनमें से 33 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 12,540 रूपये की प्रतिभूति राशि समपहृत की गई है ।

मनरेगा योजना में कार्यों का भुगतान

30. **(क्र. 870) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले में मनरेगा योजना के तहत किये गये विकास कार्यों का कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है और कितना भुगतान शेष है ? (ख) यदि मनरेगा योजना के तहत राशि का भुगतान शेष है, तो कब तक कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? (ग) जिन मजदूरों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उन मजदूरों के परिवार संचालन हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गई है ? क्या मनरेगा योजना भविष्य में भी मन्दसौर जिले में संचालित रहेगी या नहीं ? (घ) मनरेगा योजना की राशि का भुगतान लंबित होने से क्या मजदूरों को मूल राशि के अलावा अतिरिक्त राशि से लाभान्वित किया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मंदसौर जिले में मनरेगा योजना के तहत इस वर्ष 2014-15 में किये गये विकास कार्यों में रू. 5865.19 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा रू. 665.13 लाख का भुगतान किया जाना शेष है । (ख) हॉ, मनरेगा योजना के तहत रू. 665.13 लाख भुगतान शेष है । भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर सर्वसंबंधितों को ईएफएमएस के

माध्यम से भुगतान किया जावेगा । (ग) भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर लंबित मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान सर्वसंबंधितों को नियमानुसार किया जावेगा । वर्तमान में मनरेगा योजना संचालित है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) मनरेगा योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

कृषि रथ पर खर्च राशि

31. **(क्र. 871) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में शासन द्वारा चलाए गए कृषि रथ ने विधानसभा क्षेत्र के कितने गॉवों का भ्रमण किया ? नाम सहित बतावें ? (ख) कृषि रथ में सम्मिलित विभागों द्वारा कितने किसानों को योजनाओं का लाभ दिया है ? विभागवार अलग-अलग संख्या बतावें? (ग) कृषि रथ हेतु मन्दसौर जिले को शासन द्वारा कितना बजट प्राप्त हुआ तथा प्राप्त बजट के अलावा विभाग द्वारा इस योजना पर कितना खर्च किया गया ? (घ) सुवासरा विधानसभा में इस योजना पर कुल कितना खर्च किया गया ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में शासन द्वारा चलाए गए कृषि रथ ने विधानसभा क्षेत्र के 192 गांवों का भ्रमण किया । ग्रामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है । (ख) कृषि रथ में सम्मिलित विभागों द्वारा कुल 88775 किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया । विभागवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है । (ग) कृषि रथ हेतु मंदसौर जिले को शासन द्वारा राशि रू. 7.50 लाख का बजट प्राप्त हुआ । कृषि महोत्सव हेतु मंदसौर जिले को रू.42.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ, प्राप्त बजट के अलावा मंदसौर जिले में विभाग द्वारा इस योजना पर कोई खर्च नहीं किया गया । (घ) सुवासरा विधानसभा में कृषि महोत्सव पर कुल राशि रू. 6.885 लाख की राशि खर्च की गई ।

परिशिष्ट - "इकतीस"

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी

32. **(क्र. 894) श्रीमती ममता मीना :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं (योजनाओं के नाम सहित) में संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीयों की योजनावार संख्या तथा उनके मानदेय पर होने वाला मासिक व्यय की जानकारी देवें ? (ख) उक्त संविदा कर्मचारियों के लिए शासन की भविष्य की नीति क्या रहेगी ? उक्त संविदा कर्मचारियों को शासन द्वारा कोई दुर्घटना बीमा, सामूहिक कर्मचारी बीमा, चिकित्सा बीमा, आकास्मिक सहायता निधि आदि का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं तो क्या उक्त संबंध में शासन द्वारा भविष्य में कोई निर्णय लिया जावेगा ? (ग) क्या उक्त संविदा कर्मचारियों के साथ सेवाकाल के दौरान कोई घटना घटित होती है तो उसके परिवार को कोई वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ? यदि नहीं तो उक्त संबंध में भविष्य में शासन द्वारा

कोई निर्णय लिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसे संविदा कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को क्या विशेष लाभ देते हुए योग्यतानुसार संविदा शाला शिक्षक अथवा अन्य किसी संविदा नियुक्ति में विशेष लाभ देने का प्रावधान है ? यदि नहीं तो उक्त संबंध में शासन की भविष्य में कोई नीति रहेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मनरेगा के संविदा कर्मचारियों का अन्य योजनाओं में विलय

33. **(क्र. 895) श्रीमती ममता मीना :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) योजना वर्तमान में मध्यप्रदेश के कितने जिलों में बन्द की जा रही है ? कृपया उक्त जिलों के नाम देवें ? (ख) क्या मनरेगा योजना बन्द होने के बाद उक्त योजना अन्तर्गत जिलों में पदस्थ संविदा पर कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा किसी अन्य योजना में मर्ज किया जावेगा ? यदि हां, तो शासन नीति से अवगत करावें ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा ऐसे संविदा कर्मचारियों के भविष्य हेतु क्या प्रयास किऐ जावेंगे, जो विगत कई वर्षों से उक्त योजना में कार्यरत हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश में संचालित मनरेगा योजना (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) को बन्द करने के संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से राज्य शासन को निर्देश प्राप्त नहीं हुए है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिवपुरी जिले को अवंटित खाद्यान्न

34. **(क्र. 915) श्री राम सिंह यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक कौन-कौन सा कितना-कितना खाद्यान्न कब-कब आवंटित किया गया ? उपलब्ध कराया गया ? (ख) उक्त प्राप्त खाद्यान्न कितने लोगों को कितना-कितना आवंटित किया गया ? (ग) उपरोक्त प्रश्नाधीन वर्णित अवधि में खाद्यान्न की कालाबाजारी की कहां-कहां से कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सही है कि जिले से वितरण हेतु आवंटित खाद्यान्न वितरित हो रहा है अथवा नहीं, इसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है** । (घ) जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

ग्राम पंचायत इन्दराना द्वारा की गई अनियमिततायें

35. **(क्र. 943) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत इन्दराना वि.ख. मझौली जिला जबलपुर में सन् 2012 में सरपंच श्रीमती सरस्वती सिंह को सरपंच पद से धारा 40 में अलग कर किसे कार्यवाहक सरपंच का कार्यभार कब से कब तक सौंपा गया एवं उक्त अवधि में सचिव पद पर कौन पदस्थ था ? (ख) प्रश्नांक (क) में कार्यवाहक सरपंच के उल्लेखित कार्यकाल में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य स्व कराधान एवं पंच परमेश्वर मद से कराये गये ? कार्यवार, स्वीकृत राशि सहित सूची देवें ? (ग) प्रश्नांक (ख) में उल्लेखित निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि का कब-कब, किस-किस मद से आहरण किया गया उक्त निर्माण कार्यों की कब-कब, कितनी राशि के कार्यपूर्णता: के प्रमाण पत्र जारी कये गयें, कार्यवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि उक्त जारी कार्यपूर्णता: प्रमाण पत्रो में कितनी राशि की वसूली का उल्लेख किया गया ? कार्यवार विवरण देवें ? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित वसूली की राशि किस-किस से कब तक वसूल कर, दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रश्न अवधि में श्रीमती मोनू बर्मन कार्यवाहक सरपंच दिनांक 22.02.2012 से दिनांक 10.09.2013 तक तथा श्री गोविंद असाठी उपसरपंच दिनांक 10.09.2013 से दिनांक 01.11.2013 तक कार्यवाहक सरपंच के रुप में कार्य किया । उक्त अवधि में सचिव श्री संजय असाटी पदस्थ थे । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब"अनुसार ।** (घ) कार्यालयीन पत्र क्रं./100/दिनांक 30.01.2015 एवं पत्र क्रं./102 दिनांक 30.01.2015 द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच श्रीमती मोनू बर्मन तत्कालीन उपसरपंच गोविन्द असाटी तथा तत्कालीन सचिव संजय असाटी को राशि वसूली हेतु पत्र जारी किया गया है राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे के प्रपत्र परिशिष्ट-"स" अनुसार ।**

स्लीपर कोच बसों से अवैध परिवहन

36. **(क्र. 985) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले से चलकर खंडवा एवं खरगोन जिलों से होकर गुजरने वाली कितनी अन्तर्राज्यीय निजी यात्री बसें प्रतिदिन चलती है जो महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की ओर जाती है ? (ख) क्या यह यात्री बसे जो महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की ओर जाती है उन बसों के ऊपर बड़ी मात्रा में सामान का परिवहन किया जा रहा है, क्या यह परिवहन नियमों के अनुकूल है ? (ग) यदि नहीं तो विगत तीन वर्षों में ऐसी अवैध सामान परिवहन वाली बसों पर कार्यवाही की गई तथा उनसे कितनी राशि दण्ड के रूप में वसूल कर शासन मद में जमा करवाई गई ? (घ) क्या ऐसी अवैध परिवहन करने वाली बसों पर परिवहन विभाग स्वप्रेरणा से अपने दायित्वों के तहत कार्यवाही करता है या किसी

शिकायत आने पर ही कार्यवाही की जाती है ? (ड.) यदि नहीं तो क्या इससे शासन को लाखों रूपयों के राजस्व की हानि होकर यात्रियों की जान जोखिम में नहीं डाली जा रही है ? जनहित में इस अवैध परिवहन के लिए विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही कब की जाएगी ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) इन्दौर जिले से चलकर खंडवा जिले से होकर गुजरने वाली 07 निजी यात्री बसों को राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निम्नानुसार 02 स्थाई एवं 05 अस्थाई परमिट जारी किये गये है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । इन्दौर से चलकर खरगौन के लिये उक्त प्राधिकार से कोई अन्तर्राज्यीय परमिट जारी नहीं है । अन्य राज्यों अखिल भारतीय पर्यटक टूरिस्ट परमिट की इन्दौर खण्डवा एवं खरगौन होकर गुजरने वाली बसों का लेखा जोखा परिवहन कार्यालय में नहीं रखा जाता है । (ख) जी नहीं, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक माल का वहन बसों की छतों पर ले जाना पूर्णता निषिद्ध है । मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 78 ,79, 80 में बसों पर यात्रियों का साधारण सामान ले जाया जाना प्रावधानित है । (ग) विगत तीन वर्षो में नियम विरूद्ध सामान का परिवहन करने वाली 69 यात्री बसों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर रूपये 369800/- का समझौता शुल्क, रूपये 179400/- मोटरयान कर इस प्रकार कुल 549200/- का राजस्व वसूल कर शासन मद में जमा करवाया गया है । (घ) विशेष चेकिंग दल द्वारा समय समय पर आकस्मिक चेकिंग की जाकर अवैध संचालित वाहनों के नियमानुसार विरूद्ध कार्यवाही की जाती है । (ड़) प्रश्नांश-"घ" के उत्तर के प्रकाश में उत्तर अपेक्षित नहीं । कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं ।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

गरीबी रेखा के राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही

37. **(क्र. 992) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी भी ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र में स्थित जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के राशन कार्ड /फूडकूपन बनाने के शासन निर्देश क्या है ? (ख) कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या के राशनकार्ड गरीबी रेखा के नीचे बनाए जा सकते है ? खंडवा जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने राशन कार्ड वर्तमान में प्रचलित है ? तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी दी जाए ? (ग) क्या यह सही है कि खंडवा विधानसभा क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड जारी करने में अनियमितता हुई है तथा अपात्र लोगों के बीपीएल कार्ड अधिक बन जाने से शासन की गाईड लाईन से अधिक मात्रा में जारी हो गए है ? (घ) यदि हां, तो क्या जिले में सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों से इनका पुन: स्थल सर्वे कार्य कराया जाकर अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से विलोपित करने एवं पात्र परिवार के बीपीएल कार्ड बनाने की कार्यवाही कब तक की जाएगी ? समय सीमा बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) पात्र परिवारों के सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सत्यापन उपरांत परिवारों को खाद्य विभाग एवं स्थानीय निकाय के अमले द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा पात्रता पर्ची (अस्थाई राशनकार्ड) जारी किए जाते हैं । जिन परिवारों का बीपीएल सर्वे में नाम जोड़ा जाता है उनको जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं शेष क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा बीपीएल राशनकार्ड जारी किए जाते हैं । (ख) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशनकार्ड बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । बीपीएल सूची में नाम जोड़ना एवं अपात्र लोगों के नाम निरस्त करना एक सतत प्रक्रिया है । खण्डवा जिले में 1,42,324 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के राशनकार्ड प्रचलित हैं तथा तहसील खण्डवा-48363, पंधाना-26819, पुनासा-22203, हरसूद-21452 एवं खालवा में-23487 बीपीएल राशनकार्ड हैं । (ग) जी नहीं । (घ) प्रश्नांश ग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>कृषि महोत्सव 2014 का आयोजन</u>

38. **(क्र. 995) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में कृषि महोत्सव 2014 के आयोजन कब-कब एवं कहां-कहां आयोजित किए गए ? (ख) खंडवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में कितने किसानों ने उपस्थित होकर लाभ लिया ? सम्पूर्ण आयोजन पर कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है ? आयोजनवार व्यय की जानकारी दीजिए ? (ग) कृषि महोत्सव के आयोजन में कौन-कौन सी खाद-बीज कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ? क्या उनमें वे भी शामिल है जिन पर पूर्व में अमानक खाद-बीज विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो यदि हां तो क्यों ? (घ) कृषि महोत्सव बजट आवंटन के अपव्यय होने एवं अपेक्षित किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाने से शासन की मंशा पूरी नहीं हो सकी है इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) खण्डवा जिले में कृषि महोत्सव 2014 का आयोजन दिनांक 25.09.2014 से 20.10.2014 (26 दिवस) खंडवा जिले के सातों विकासखंडों के 505 ग्रामों, विकासखंड स्तर एवं जिला स्तर में किया गया । विस्तृत कार्यक्रम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है** । (ख) खंडवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कृषि महोत्सव के दौरान ग्राम स्तर विकासखंड स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन से विधानसभा क्षेत्र के 22145 कृषकों ने उपस्थित होकर लाभ लिया । खंडवा जिले में कृषि महोत्सव 2014 के सम्पूर्ण आयोजन पर रू. 59,65,805/- की राशि व्यय की गई है । आयोजनावार व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है** । (ग) कृषि महोत्सव 2014 के दौरान जिले में आयोजित जिलास्तरीय कृषि विज्ञान मेले में 8 खाद एवं 20 बीज कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाये गये । हां, मेले में भाग लेने वाली कंपनियों में खाद की 4 कंपनी एवं बीज की 3 कंपनियां ऐसी हैं पूर्व में जिनके चिन्हित अमानक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है** । उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं बीज

अधिनियम 1966 के अनुसार कंपनियों के उत्पाद (खाद-बीज) के नमूने अमानक होने पर संबंधित उत्पादों के संबंधित बैच/लॉट का ही विक्रय प्रतिबंधित किया गया है । ना कि कंपनी के संपूर्ण उत्पादों का ऐसी स्थिति में कंपनी नवीन कृषि तकनीकियों का कृषकों को प्रचार-प्रसार करने हेतु स्वतंत्र होती है, इस कारण मेलों में उपरोक्त विवरण अनुसार खाद-बीज कंपनियों के स्टॉल लगाये गये । (घ) कृषि महोत्सव 2014 आयोजन की अवधि में खंडवा जिले में राशि रू. 5965805/- व्यय की गई, जिसका उपयोग शासन के निर्देशानुसार कृषकों के हित में किया गया है तथा खंडवा जिले में 142614 कृषक इस आयोजन से लाभान्वित हुए हैं । अत: कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लोक सेवा गारन्टी कानून के तहत कार्यवाही

39. **(क्र. 1035) श्री निशंक कुमार जैन** : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2010 के अनुसार विदिशा एवं बैतूल जिले में किस-किस निजी संस्था या निजी व्यक्तियों को किस-किस स्थान पर आवेदन प्राप्त करने और गारन्टी प्रदाय किए जाने का कार्य सौंपा गया है ? किस कार्य के बदले कितनी फीस लिए जाने का प्रावधान है ? इसमें से कितनी फीस को प्रोसेस फीस माना गया है ? (ख) गत दो वर्ष में विदिशा एवं बैतूल जिले में कितने किस विषय से संबंधित आवेदनों में चाही गई सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई ? याने आवेदन को अमान्य कर दिया या आवेदन को निरस्त कर दिया गया है ? ऐसे आवेदकों से किस दर से राशि की वसूली की गई थी ? (ग) आवेदन पत्र अमान्य किए जाने या आवेदन पत्र निरस्त किए जाने या चाही गई सेवा उपलब्ध न करवाए जाने पर कितने आवेदकों से ली गई कितनी फीस / शुल्क आवेदकों को लौटाई गई ? यदि नहीं लौटाई गई हो, तो कारण बतावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 के अनुसार जिला विदिशा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** तथा बैतूल परिशिष्ट-2 अनुसार आवेदन प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है । प्रत्येक आवेदन करने के लिये लोक सेवा केन्द्र पर 30 रू लिये जाते हैं, तथा विभाग द्वारा निर्धारित वैधानिक शुल्क (किसी सेवा में लागू होने पर) आवेदक से लिया जाता है । उक्त शुल्क में से रूपये 25/- को प्रक्रिया शुल्क माना गया है एवं रूपये 5/- आवेदन शुल्क है जो जिला ई गर्वनेंस सोसायटी के खाते में जमा होता है । (ख) गत दो वर्षो की स्थिति में जिला विदिशा में 23647 परिशिष्ट-3 बैतूल में 65487 परिशिष्ट-4 अनुसार आवेदकों के आवेदन निरस्त किये गये हैं । प्रत्येक आवेदक से रूपये 30/- प्रति आवेदन के मान से राशि ली गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1,2,3 तथा 4 अनुसार है** । (ग) आवेदन निरस्त करने पर प्रति आवेदन रू 30/- लौटाये जाने का प्रावधान नहीं हैं ।

कृषि उपज मण्डी से भुगतान की गई राशि

40. **(क्र. 1036) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डियों द्वारा वसूल किए गए शुल्कों में से कितने प्रतिशत राशि सड़क निर्माण हेतु, कितने प्रतिशत राशि निराश्रित फंड हेतु एवं कितने प्रतिशत राशि अन्य किस-किस योजना के अन्तर्गत किस-किस विभाग को हस्तान्तरित किए जाने के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित है ? (ख) विदिशा जिले की किस कृषि उपज मंडी ने गत तीन वर्षों में किस योजना या किस मद की कितनी राशि किस-किस को किन-किन कार्यों के लिए प्रदाय की है ? कितनी राशि प्रदाय किया जाना शेष है ? (ग) विदिशा जिले में निराश्रित फंड की उपलब्ध करवाई गई कितनी राशि एवं सड़क निर्माण मद में उपलब्ध करवाई गई कितनी राशि का प्रश्नांकित तिथि तक भी संबंधित ऐजेन्सी या विभाग के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका है ? उपयोग न किए जाने का क्या-क्या कारण बताया जा रहा है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मंडी समिति में विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित कृषि उपज पर प्रत्येक सौ रूपये पर 2 प्रतिशत की दर से मंडी शुल्क तथा 0.2 प्रतिशत की दर से निराश्रित शुल्क क्रेता व्यापारी से वसूल की जाती है । मंडी समितियों द्वारा प्राप्त मंडी फीस 2 प्रतिशत की आधी अर्थात 1 प्रतिशत मंडी फीस की 85 प्रतिशत राशि किसान सड़क निधि, 9 प्रतिशत राशि कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, 5 प्रतिशत राशि गौ संरक्षण तथा संवर्धन निधि तथा 1 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि के रूप में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल भेजी जाती है । निराश्रित निधि की सम्पूर्ण राशि मंडी समितियों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय भेजी जाती है । (ख) विदिशा जिले की 07 कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा गत तीन वर्षो 2012-13,2013-14 एवं 2014-15 (जनवरी-2015 तक) किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि तथा निराश्रित निधि मद में प्राप्त राशि, प्रदाय राशि तथा शेष राशि की जानकारी तथा व्यय संबंधी कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1,2,3,4,5 अनुसार है** । (ग) विदिशा कलेक्टर को जिले की मंडी समितियों द्वारा निराश्रित शुल्क की राशि रू. 10,79,88,062/- उपलब्ध कराई गई है । जिला कलेक्टर कार्यालय विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार गत तीन वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक निराश्रित निधि की कुल राशि, ब्याज राशि तथा ब्याज राशि से किये गये व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है** । किसान सड़क निधि मद से विदिशा जिले की मंडी समितियों के अधोसंरचना के विकास कार्यो तथा मंडी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यो के लिये गत तीन वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (जनवरी-2015 तक) की अवधि में व्यय राशि तथा शेष राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 7 अनुसार है** । कुछ निर्माण कार्य निर्माणाधीन होने के कारण शेष राशि अनुपयोगित है ।

निराश्रित फण्ड की राशि

41. **(क्र. 1052) श्रीमती रेखा यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं बैतूल जिले में निराश्रित फंड की कितनी राशि किस-किस खाते में किस-किस दिनांक से जमा है यह राशि किसके द्वारा प्रदान की गई ? इस राशि की उपयोग की क्या नीति प्रचलित हैं ? (ख) छतरपुर एवं बैतूल जिले में विभाग ने किस योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों पर गत तीन वर्षों में कितनी राशि खर्च की हैं ? कितने हितग्राहियों को कितनी राशि किस दर से पेंशन के रूप में भुगतान की गई हैं ? (ग) छतरपुर एवं बैतूल जिले में निराश्रित फंड की राशि का शासन की नीति एवं योजना के अनुसार उपयोग न हो पाने का क्या-क्या कारण रहा हैं, शासन इस राशि के उपयोग से संबंधित क्या कार्यवाही कर रहा हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक-"अ" अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रत्रक-"ब" अनुसार है ।** (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

खाद (उर्वरक) की पंजीकृत संस्थायें

42. **(क्र. 1082) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में प्रश्नांश दिनांक तक खाद (उर्वरक) वितरण हेतु कौन-कौन सी संस्था/दुकान पंजीयत है टिन नंबर सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्था पर खाद (उर्वरक) वितरण हेतु विगत तीन वर्ष में किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब जांच की गई ? (ग) विगत तीन वर्षो में किस संस्था को खाद वितरण/नियमानुसार नहीं पाई गई प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (घ) विगत तीन वर्षो में भिण्ड जिले में किस संस्था की मानक के विरूद्ध खाद पायी गयी तथा खाद वितरण सही नहीं पाया गया ? क्या कार्यवाही की गई ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है ।** (ग) सेवा सहकारी संस्था लहरौली में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाये जाने पर पुलिस थाना उमरी में शिवदत्त सिंह यादव सचिव, सहकारी समिति प्रबंधक लहरौली के विरूद्ध एफआईआर क्रमांक-9111 दिनांक 05.01.2012 दर्ज करायी गयी । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है ।**

ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग निर्माण

43. **(क्र. 1083) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या-18 दि. 8.12.14 cm-04-06 नुन्हाटा मार्ग से राजनाथ सिंह कापुरा

का मार्ग निर्माण शासकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण अथवा भूमि विवाद के कारण प्रारंभ नहीं हुआ जानकारी दी गई है तो वर्णित मार्ग निर्माण हेतु कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा ? (ख) cm-04-005 अमरी टेहनापुर पेवली मार्ग से गठीसीता मार्ग cm-04-016 विलाव नुन्हाटा मार्ग से रामनाथ सिहं कापुरा निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा समय सीमा सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि प्र.मंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हो रहे है, यदि हां, तो पूर्ण हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) निश्चित समय सीमा बताना संभव नही है । (ग) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के निर्माण कार्यों की निर्माण ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने पर उन्हे नोटिस देना, उनके चल देयकों से अनुबंधानुसार पेनाल्टी की राशि हेतु कटोत्रा किया जाना तथा आवश्यक होने पर अनुबंध निरस्त कर पेनाल्टी की राशि वसूल करने की कार्यवाही भी की जाती है ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में स्वीकृत पद

44. **(क्र. 1112) श्री प्रहलाद भारती :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों में से पर कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? पदवार, जिलावार जनकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों की भर्ती के लिये शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो विवरण दें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या सहकारी बैंकों में भर्ती के लिये आई.बी.पी.एस. के माध्यम से भर्ती का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है ? यदि हां, तो उक्त भर्ती कब से प्रारंभ की जावेगी ? (घ) वर्तमान में कम्प्यूटराईजेशन के बाद क्या इन बैंकों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो वर्तमान में क्या सरकार द्वारा नये पद स्वीकृत किये जा रहे है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के द्वारा प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों हेतु 1345 सेवायुक्तों की सीधी भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ग) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता. (घ) बैंक कम्प्यूटराईजेशन को भी दृष्टिगत रखते हुये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है. नये पदों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है.

परिशिष्ट - "तैंतीस"

बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत किये गये निर्माण कार्य

45. **(क्र. 1113) श्री प्रहलाद भारती :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की पोहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए व उन कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है ? कार्यवार, वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों में से ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ ही नहीं किये गये है व उसका क्या कारण है ? उक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (ग) उक्त कार्य प्रारंभ न किये जाने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है व उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है व अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) उत्तरांश "क" के संबंध में स्वीकृत कार्यो में से मात्र 02 कार्य क्रमशः खरईजालिम (वर्ष 2011-12) एवं बीलवराकला (वर्ष 2013-14) ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी भवन है । इन कार्यो का अप्रारंभ रहने का कारण स्थल विवाद एवं पूर्व से भवन निर्मित होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके । उक्त कार्यो की राशि वापसी हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है । अपूर्ण कार्यो को योजना के प्रावधान तथा नियमों के अनुसार पूर्ण कराया जा रहा है । (ग) उक्त अप्रारंभ कार्यो हेतु कोई भी जिम्मेदार नहीं है । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है । उक्त कार्यो की राशि वापिस करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी को दिये गये है । अतः अप्रारंभ कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने का प्रश्न की नहीं है ।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण

46. **(क्र. 1177) डॉ. मोहन यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह बात सही है कि सिंहस्थ महाकुंभ में भारी संख्या में श्रृद्धालु के अपने निजी वाहनों, टैक्सी तथा बसों से उज्जैन पहुंचने की संभावना है ? यदि हां, तो उक्त वाहनों से नगर का यातायात प्रभावित न हो साथ ही धार्मिक नगरी में होने वाले प्रदूषण से निपटने की शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? (ख) क्या महाकुंभ के आयोजन में आने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है जिससे की धार्मिक आयोजन में आने वाले धर्मालुजनों को असुविधा न हो ? यदि हां, तो क्या कार्ययोजना बनाई गई ? यदि नहीं तो कब तक कार्य योजना बना कर इसको अमल में लाया जावेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, सिंहस्थ महाकुंभ में भारी संख्या में श्रृद्धालू के अपने निजी वाहनों, टैक्सी तथा बसों से उज्जैन पहुंचने की संभावना है । नगर के यातायात नियंत्रण

का कार्य पुलिस द्वारा किया जाएगा । उज्जैन में कार्यरत विशेष जांच दल द्वारा जांच के दौरान निजी वाहनों के पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल कार्ड) तथा टैक्सी, बसों आदि वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों की जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (ख) परिवहन विभाग की ओर से उक्त प्रश्नांश-क में दर्शाये अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान का भुगतान

47. **(क्र. 1217) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-58 (क्रमांक-758) दिनांक 10.12.2014 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में अवगत कराया हैं, कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कृषकों को देयक अप्राप्त होने से अनुदान का भुगतान नहीं किया गया हैं देयक प्राप्ति उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी ? तो बतावें कि पंजीकृत कृषकों में से वर्तमान तक किन-किन कृषकों के देयक कब-कब प्राप्त हो चुके हैं क्या इन्हें अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हैं यदि नहीं तो क्यों, कब तक भुगतान की जावेगी ? संबंधितों से देयक प्राप्ति हेतु क्या कार्यवाही वर्तमान तक विभाग द्वारा की गई ? यदि संबंधितों को पत्र लिखे गये हो तो कब-कब ? (ख) क्या यह सच हैं, कि वर्तमान तक विभागीय अमले द्वारा उदासीनता बरतते हुए योजना के लक्ष्य व क्रियान्वयन हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये इस कारण पंजीकृत कृषक योजना के लाभ से वंचित बने हुए हैं ? (ग) क्या यह भी सच हैं, कि एक माह पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत योजना हेतु प्राप्त बजट भी लेप्स हो जावेगा ? यदि हां तो क्या शासन, योजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारणों की जांच कराने के उपरांत दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) 229 पंजीकृत कृषकों में से 67 कृषकों द्वारा देयक प्रस्तुत करने से उनका भुगतान किया गया, शेष कृषकों से देयक प्राप्त नहीं होने से भुगतान लंबित है । कृषकवार देयक प्राप्ति/भुगतान दिनांक एवं भुगतान लंबित रहने का कारण तथा देयक प्रस्तुत करने हेतु लिखे पत्रों की दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) विभागीय अमले द्वारा कोई उदासीनता नहीं बरती गई । (ग) योजना प्रोजेक्ट मोड में होने से स्वीकृत प्रोजेक्ट की राशि के बराबर रिलीज प्राप्त है । यद्यपि 31.03.2015 को शेष बजट लैप्स हो जावेगा किन्तु शेष रिलीज उपलब्ध रहने से आगामी वर्ष में लाभ दिया जा सकेगा । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

पहुंच विहिन ग्रामों में परिवहन सुविधा

48. **(क्र. 1218) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में पहुंच विहीन ग्रामों में किन-किन रूटों पर परमिट जारी करने हेतु किन-किन बस मालिकों की ओर से कब-कब, कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) उक्त में से किन-किन रूटों पर कितने परमिट जारी किये गये शेष परमिट

आवेदनानुसार कब तक जारी किये जावेंगे ? (ग) क्या ये सच है कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में भी दर्जनों ग्राम ऐसे हैं जिनमें सड़क नहीं है अथवा जो सड़क से जुड़ गये है उनमें आवागमन के साधनों का अभाव हैं ? (घ) क्या शासन जिले / क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधनों की उपलब्धता हेतु अधिकाधिक पहुंचविहीन रूटों पर परमिट जारी करने के निर्देश संबंधित विभाग को जारी करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर में अप्रैल 2013 से वर्तमान तक की अवधि में पहुंचविहीन ग्रामों के मार्गो पर परमिट हेतु निम्नानुसार तीन आवेदन प्राप्त हुये:-

क्र	मार्ग का नाम	आवदेक का नाम	आवेदन प्राप्ति का दिनॉक
1	उत्तनबाड से मुण्डला	श्रीमती वन्दना गौतम	**22-12-14**
2	बहरावदा से बडोदा	श्री शिव कुमार	**30-12-14**
3	इकलोद से विजयपुर	श्री बारेलाल रावत	**30-12-14**

(ख) उक्त तीनों मार्गो पर प्राप्त उक्त आवेदनों के क्रम में तीनो अस्थाई परमिट जारी किये गये है । परिवहन कार्यालय श्योपुर में ग्रामीण रूटो से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं है । अतः शेष परमिट जारी करने का प्रश्न उपस्थित नहीं । (ग) वाहन संचालन के इच्छुक आवेदकों द्वारा परमिट हेतु आवेदन किये जाने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जाते है । जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर के अंतर्गत अप्रैल से वर्तमान तक की अवधि में अलग अलग मार्गो पर 351 बसों को अस्थाई परमिट जारी किये गये है । श्योपुर में ग्रामीण रूटो से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं है। (घ) परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जाने की कार्यवाही की जाती है । तत्संबंधी निर्देश पूर्व से ही प्रचलित है ।

<u>हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभांवित</u>

49. **(क्र. 1263) श्री हरवंश राठौर :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियों का चयन और अनुमोदन करने का अधिकार विभागीय अधिकारियों को है या त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को है? (ख) वर्ष 14-15 में बण्डा विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राही है जिनको योजनाओं का लाभ दिया गया है ? योजनावार बतावें ? (ग) यदि पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार सौंपे गये है तो प्रश्नांश (ख) के अनुसार लाभांवित हितग्राहियों का चयन अनुमोदन किस स्तर की पंचायत राज संस्था से कराया गया है बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये हितग्राहियों के चयन एवं अनुमोदन का अधिकार विभागीय अधिकारियों के माध्यम

से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) जनपद पंचायत स्तर की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन लिया गया ।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

छतरपुर की सहकारी समितियॉ

50. **(क्र. 1290) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में कितनी बीज प्रमाणीकरण सहकारी समितियां हैं ? उनकी संख्या नाम व पता देवें ? (ख) वर्ष 2013 एवं 2014 में (दिसम्बर 2014 तक) छतरपुर जिले में इन समितियों के माध्यम से सोयाबीन का कितने बीज का प्रमाणीकरण कराया गया, तथा सहकारी समितियों के माध्यम से कितनी राशि वितरित की गई है ? (ग) सोयाबीन की बुआई के कितने फसल कटाई प्रयोग किए गए ? उत्पादन का मानक स्तर क्या पाया गया ? (घ) यदि मानक स्तर से उत्पादन नहीं हुआ है, तो क्या बीज प्रमाणीकरण समितियों को भंग किया जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) छतरपुर जिले में बीज प्रमाणीकरण सहकारी समितियां नहीं है । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता । (ग) छतरपुर जिले में वर्ष 2014 में सोयाबीन के 1244 फसल कटार्इ प्रयोग किये गये उत्पादन मानक स्तर से कम पाया गया । (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनशिकायत निवारण के पत्राचार एवं निराकरण

51. **(क्र. 1291) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्टर कार्यालय में कितने ऐसे शिकायती आवेदन सन् 2011-2014 तक दिसम्बर 14 तक प्राप्त हुए है जिनका निराकरण हो चुका है तथा आवेदक या शिकायतकर्ता को निराकृत आवेदन संबंधी सूचना देकर निराकरण या नस्तीबद्ध किया गया है ? (ख) ऐसे कितने शिकायती आवेदन नस्तीबद्ध किए गए है जिनमें आवेदक को सूचित नहीं किया गया ? (ग) क्या शिकायतकर्ता या आवेदक को सूचना दिए बिना उसके आवेदन या शिकायत को नस्तीबद्ध करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या विभागीय जांच के प्रावधान है ? (घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच कब तक प्रस्तावित की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) छतरपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, में वर्ष 2011 से वर्ष दिसम्बर 2014 तक प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । निराकृत शिकायती आवेदन पत्रों में निराकरण

की कार्यवाही की जानकारी से आवेदकगणों को सूचित किया गया । (ख) संबंधित विभाग/ कलेक्टर द्वारा निराकरण की जानकारी से आवेदकगणो को सूचित किया गया है । (ग) संबंधित विभाग/कलेक्टर द्वारा शिकायतकर्ता या आवेदक को आवेदन पत्र के नस्तीबद्व की सूचना दी जाती है शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) सबंधित विभाग/कलेक्टर द्वारा शिकायतों का निराकरण करने के पश्चात् संबंधित आवेदक को की गई कार्यवाही से सूचित किया जाता है अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

कृषि उपज मण्डी ब्यावरा में कृषक भवन का निर्माण

52. **(क्र. 1321) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत जिले की एक बड़ी कृषि उपज मण्डी ब्यावरा में कार्यरत है तथा इसके अलावा कृषि उपज मण्डी सुठालिया, उपमण्डी लखनवास तथा उपमण्डी मलावर भी है तथा उक्त मण्डी तथा उपमण्डियों सहित अन्य तहसीलों के भी कृषक अपनी उपज विक्रय हेतु ब्यावरा कृषि उपज मण्डी में आते है ? (ख) यदि हां तो क्या कृषकों के ठहरने के साथ-साथ सामूहिक परिचर्चा व अन्य कार्यक्रम हेतु कोई भी भवन ब्यावरा मण्डी में नहीं है ? जिससे दूर-दराज क्षेत्रों से अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले किसानों को असुविधा होती है ? (ग) यदि हां, तो क्या शासन कृषकों के ठहरने, सामूहिक परिचर्चा व अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिये ब्यावरा मण्डी में एक बड़े कृषक भवन निर्माण की स्वीकृति इसी बजट सत्र में प्रदान करेगा ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा जिला राजगढ़ के अंतर्गत उपमंडी मलावर अधिसूचित नहीं है, परंतु अन्य तहसीलों के कृषक उपज विक्रय हेतु ब्यावरा कृषि उपज मंडी में आते है । (ख) कृषि उपज मंडी ब्यावरा में कृषकों के ठहरने के साथ-साथ सामूहिक परिचर्चा व अन्य कार्यक्रम हेतु सुविधा सम्पन्न कृषक विश्राम गृह उपलब्ध है, इसलिये शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) कृषि उपज मंडी ब्यावरा में कृषक विश्राम गृह उपलब्ध होने से अन्य बड़े कृषक भवन निर्माण की आवश्यकता नही है ।

ग्रामीण नल जल योजनाओं के लिए तकनीकी अमले की पदस्थी

53. **(क्र. 1322) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु शासन द्वारा समय-समय उच्च स्तरीय पेयजल टंकियां बनाकर नल जल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणजनों को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की महती योजना चलाई जा रही है ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसी योजनाऐं पचास प्रतिशत के अधिक स्थानों पर वर्षों से बंद पड़ी है और समस्या जस की तस बनी

हुई है तथा ग्राम पंचायतों के पास न तो तकनीकी अमला होता है और न ही स्थाई क्रियाशील एजेंसी, ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल के प्रति कभी भी गंभीर रूचि नहीं दर्शाई जाती है ? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन ऐसी सभी नल जल योजनाओं को पृथक से तकनीकी अमला उपलब्ध कराने बावत् कोई ठोस कदम उठाऐगा अथवा ऐसी सभी योजनाऐं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से संचालित कराने बावत् कोई निर्णय लिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । (ख) जी नहीं । ग्राम पंचायतों के पास जल प्रदाय योजना चलाने के लिए तकनीकी अमले व पर्याप्त संसाधनों की अनुउपलब्धता के कारण योजनाओं का सुचारु रुप से संचालन करने में कठिनाई है । (ग) प्रकरण विचाराधीन है । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सहमति उपरांत इस पर निर्णय लिया जावेगा । तथापि तकनीकी मार्गदर्शन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दिया जाता है ।

मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना के स्वीकृत प्रकरण

54. **(क्र. 1395) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रैगांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मुख्यमंत्री आवास योजना के कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत हुए ? वर्षवार एवं जनपद पंचायतवार बतायें ? (ख) स्वीकृत प्रकरण के अलावा कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं किस आधार पर हितग्राहियों का चयन किया गया ? चयन के लिये प्रक्रिया के क्या नियम अपनाये गये ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार चयनित हितग्राहियों को किन-किन बैंकों से ऋण स्वीकृत किया गया ? जनपद पंचायतवार संख्या देवें तथा आवास निर्माण की पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति का संख्यात्मक विवरण बतावें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र रैगांव की कितनी ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत होने व ऋण प्राप्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, तथा नियम विरूद्ध आवंटन कर पात्र हितग्राहियों को चयनित न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, रैगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत सोहावल में वर्ष 2013-14 में 220एवं वर्ष 2014-15 में (अब तक) 226 तथा जनपद पंचायत नागौद में वर्ष 2013-14 में 152 एवं वर्ष 2014-15 में (अब तक) 105 प्रकरण स्वीकृत हुये है । अतः उक्त अवधि में कुल 703 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं । (ख) उक्त स्वीकृत प्रकरणों के अतिरिक्त 1035 आवेदन प्राप्त हुए । इस मिशन में हितग्राहियों का चयन इस मिशन की नीति/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार चयनित हितग्राहियों को जिन बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है उनकी जनपद पंचायतवार संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है । (घ) विधानसभा क्षेत्र रैगांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हितग्राही की उदासीनता के कारण उक्त आवास पूर्ण नहीं हुए हैं । अतः उक्त आवासों की अपूर्णता के लिए हितग्राहियों से अन्य कोई उत्तरदायी नहीं है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । उक्त में नियम विरूद्ध, अपात्र हितग्राहियों के चयन की स्थिति नहीं है । अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन तथा सुदृढ़िकरण

55. **(क्र. 1396) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से संचालित प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन तथा सुदृढ़िकरण की योजना क्या है ? इसमें प्रदेश शासन का क्या योगदान है ? यह योजना कब से संचालित है ? इस पर वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितनी राशि सतना जिले में व्यय हुई, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांकित योजना के तहत सतना जिले को कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई ? योजनांतर्गत कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण यंत्रों का क्रय किया गया ? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कब, किसनें कितनी राशि की दी, बतावें ? (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सतना जिले में कितने प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय हुई ? इसमें किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया ? (घ) प्रश्नांकित योजनाओं में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक में सतना जिले में कृषकों के लिये कहां-कहां पर कब से कब तक कितने दिवसीय कौन-कौन से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये ? इसमें किन-किन अधिकारियों व कितने कृषकों ने भाग लिया, तथा कितनी राशि व्यय हुई ? इसका सत्यापन कब, किसने किया?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (**क**) वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक प्रदेश में केंद्रीय सहायता से संचालित प्रशिक्षण परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित थी जिसमें शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी । वर्तमान में उक्त योजना भारत सरकार द्वारा सहायतार्थ "सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन" के एक घटक के रूप में संचालित है । इस घटक की भी शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है । इसके अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतो में प्रदर्शन तथा कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है । सतना जिले में वर्ष 2009-10 से उक्त योजना में व्यय की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है** । (ख) सतना जिले को वर्षवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि की कार्यवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है** । योजनांतर्गत सतना जिले में उपकरणों यंत्रों का क्रय नही किया गया है । अत: प्रशासकीय स्वीकृति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) सतना जिले में आयोजित किये गये प्रदर्शनों की संख्या, व्यय की गई राशि एवं भाग लेने वाले अधिकारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है** । (घ) सतना जिले में योजनांतर्गत किये गये प्रशिक्षण की **जानकारी**

संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है । प्रशिक्षणों का सत्यापन सहायक कृषि यंत्री सतना द्वारा एवं महालेखाकार लेख परीक्षा मार्च 2014 तथा नवम्बर 2014 द्वारा परीक्षित किया गया ।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

बासा पंचायत में गबन के आरोपियों पर कार्यवाही

56. **(क्र. 1410) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत विकासखण्ड जैसी नगर की बांसा पंचायत में लगभग 50 लाख के घोटाले की जांच में पूर्व सचिव को निलंबित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो क्या बांसा पंचायत में लाखों रूपयों की गड़बड़ी एवं घोटाले के लिये क्या केवल पूर्व सचिव ही उत्तरदायी पाया गया है ? अन्य कोई पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी इस हेतु उत्तरदायी नहीं है ? यदि है तो कौन-कौन इस गड़बड़ी में शामिल थे और उन पर प्रश्न दिनांक तक कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों, कारण बतावें ? (ग) पंचायत अंतर्गत प्रदायित राशि के हिसाब किताब पर नियंत्रण रखने, समय समय पर उसकी जांच करने एवं कराने एवं नियंत्रण रखे जाने हेतु क्या जिला एवं जनपद पंचायत में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस हेतु उत्तरदायी नहीं होते हैं ? क्या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नियमित समीक्षा बैठक नहीं ली जाती है ? (घ) यदि हां, तो इस प्रकरण में अपने कर्तव्य का पालन न करने तथा नियंत्रण न रखे जाने हेतु जनपद एवं जिला के कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । (ख) जी हां । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) पंचायत अंतर्गत प्रदायित राशि के हिसाब किताब पर नियंत्रण रखने, समय-समय पर उसकी जांच करने एवं कराने का प्रावधान है के तहत ही संबंधित सरपंच एवं सचिव सीधे उत्तरदायी है । जानकारी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । (घ) प्रकरण में अपने कर्तव्य का पालन न करने तथा नियंत्रण न रखे जाने हेतु जनपद पंचायत जैसीनगर में पदस्थ रहे पंचायत एवं समाज शिक्षक संगठक द्वारा किये गये निरीक्षणों की स्थिति की जांच की गई है । ठीक से नियंत्रण न रखने के लिये संबंधित पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक के विरुद्ध कार्यवाही कर दो वेतन वृद्धियां रोके जाने का दण्डादेश दिया गया है ।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

होम स्टेट आवासीय योजना में स्वीकृत आवास

57. **(क्र. 1484) श्री गिरीश भंडारी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होम स्टेट के नाम से शासन ने कोई आवासीय योजना प्रारंभ की थी ? यदि हां, तो योजना प्रारंभ होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने आवास किस वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए ? वित्त वर्ष अनुसार स्वीकृत आवास की सूची उपलब्ध करायें ?

(ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार उपलब्ध सूची अनुसार कितने आवास पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण है ? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) अनुसार पूर्ण आवास की सूची अनुसार कितने आवासों का भुगतान किया गया तथा कितने आवास का भुगतान बाकी है ? बाकी भुगतान कब तक किया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 10-11 मे इंदिरा आवास (होमस्टेड) के नाम से योजना प्रारंम्भ की गई । विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ मे वर्ष 2011-12 मे 500 आवास तथा वर्ष 2012-13 मे 169 आवास स्वीकृत किये गये है । उक्तानुसार स्वीकृत किये गये हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) वर्ष 2010-11 मे स्वीकुत किये गये 500 हितग्राहियों मे से 498 आवास पूर्ण हो गये हैं । वर्ष 2012-13 मे स्वीकृत किये गये 169 हितग्राहियों की द्वितीय किश्त केन्द्र शासन से प्राप्त नहीं होने के कारण अपूर्ण है । (ग) वर्ष 2010-11 मे स्वीकुत किये गये 500 हितग्राहियों की द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है । वर्ष 2012-13 में स्वीकृत किये गये 169 हितग्राहियों की द्वितीय किश्त की राशि भारत सरकार से अप्राप्त है, प्राप्त होते ही हितग्राहियों को राशि जारी की जावेगी ।

<u>नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण</u>

58. **(क्र. 1485) श्री गिरीश भंडारी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि की कितनी सड़के स्वीकृत हुई ? सड़क का नाम राशि सहित दर्शाते हुए सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार उपलब्ध सूची में प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़के पूर्ण हो गई तथा कितनी सड़के अपूर्ण है ? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) उपलब्ध सूची में पूर्ण सड़कों में कितनी राशि का भुगतान हुआ ? तथा अपूर्ण सड़कों में कितने प्रतिशत कार्य हो गया तथा कितना भुगतान कर दिया सड़क का नाम दर्शाते हुए सूची सहित जानकारी दें ? (घ) मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण निर्माण होने के लिए क्या सामग्री टेस्ट नियम है ? हां, तो क्या-क्या टेस्ट किस-किस प्रयोगशाला में होना चाहिए ? क्या उक्त सड़कों की सामग्री में टेस्ट किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) जी हां । सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, ग्रेवल एवं पुल-पुलिया में लगने वाली सामग्री की जांच सामान्यतः फील्ड प्रयोगशाला में की जाती है । आवश्यक होने पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला एवं विभागीय प्रयोगशाला में टेस्ट करवाये जाते है । जी हां, उक्त सडकों की सामग्री में टेस्ट किया गया प्रतिवेदित है ।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

पंचायत सचिवों के स्थानांतर

59. **(क्र. 1508) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2013 से जनवरी 2015 की अवधि में रायसेन एवं देवास जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों के सचिवों के स्थानांतर किस आधार पर किये गये ? (ख) किन-किन के स्थानांतर निरस्त अथवा संशोधित किये गये ? (ग) किन-किन के सचिवों के स्थानांतर निरस्त करने के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन के पत्र प्राप्त हुए ? (घ) उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** । (घ) प्रश्नांश "ग" अनुसार स्थानांतरण से संबंधित प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स"अनुसार है** ।

निलंबित ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही

60. **(क्र. 1509) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में 1 जनवरी 2009 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में किन-किन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को निलंबित क्यों किया गया ? कारण सहित पूर्ण विवरण दें ? (ख) किन-किन को पद से पृथक किया तथा किन-किनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराये गये तथा क्यों प्रकरणवार कारण बतायें ? (ग) किन-किनको बहाल किया गया तथा किस आधार पर ? (घ) उक्त अवधि में किन-किन सचिवों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा क्यों ? कारण बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रायसेन तथा देवास जिले में प्रश्नावधि में निलंबित ग्राम पंचायत सचिवों की **जानकारी निलंबन के कारण सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) रायसेन एवं देवास जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । (ग) रायसेन एवं देवास जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** । (घ) प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया गया ।

निर्माण कार्यों की जानकारी एवं अनियमितता की जांच

61. **(क्र. 1567) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के विकासखंड किरनापुर में वर्ष 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितने-कितने राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य एजेंसी के

नाम सहित विकासखंडवार एवं वर्षवार पूरा ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है, कितने कार्य अपूर्ण है एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चैक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया है ? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें एवं संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी ? (घ) प्रश्नांक (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें विकासखंड, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्राप्त हुई ? शिकायतों का विवरण देते हुए जांच किसके द्वारा कराई गई एवं क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>कार्यों की जांच एवं कार्यवाही</u>

62. **(क्र. 1568) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के विकासखंड, बालाघाट में वर्ष 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितने-कितने राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखंडवार एवं वर्षवार पूरा ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है, कितने कार्य अपूर्ण है एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किसको कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चैक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया है ? वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें एवं संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी यह भी बतावें ? (घ) प्रश्नांक (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें विकासखंड, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्राप्त हुई ? शिकायतों का विवरण देते हुए जांच किसके द्वारा कराई गई एवं क्या कार्यवाही की गई, बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार।**

जिला पंचायतों में आडिट कराये जाने में अनियमितताएं

63. **(क्र. 1593) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायतों में आडिट कराने के नियम क्या है ? आडिट हेतु सीए/फर्म को नियुक्त कौन करता है ? क्या जिला पंचायतों ने अपने पसंद के सीए/फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया है ? वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत एवं उल्लेखित समय में जबलपुर संभाग की जिला पंचायतों में ऑडिट हेतु किस सीए/फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया गया है? जिलावार, सीए/फर्मवार जानकारी दें ? क्या जिला पंचायतों ने ऑडिटर हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये थे ? विभिन्न जिलों में ऑडिट हेतु कितने सीए/फर्म के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिलावार, प्राप्त आवेदनवार जानकारी दें ? प्राप्त आवेदनों से बनाई गई पेनल की जिलावार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या ऑडिटर के चयन में हुई अनियमितताओं की शिकायतें शासन/प्रशासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो किस-किस जिला पंचायत की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? शिकायतों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या शासन ऑडिट में पारदर्शिता हेतु कोई नियम बनायेगा ? यदि हां तो क्या और कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला पंचायत में आॅडिट मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 के अंतर्गत बनाये गये नियम मध्यप्रदेश पंचायत सपरीक्षा नियम 1997 के अंतर्गत किया जाता है । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9173/22/वि-7/डीआरडीए-प्रशासन/07 दिनांक 13.06.2007 में दिये निर्देश के अनुसार जिला पंचायत में आम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर जिला पंचायतों द्वारा सीए/फर्म को नियुक्त किया जाता है । विभागीय पत्र क्रमांक 9173/22/वि-7/ डीआरडीए-प्रशासन/07 दिनांक 13.06.2007 तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र.6488/22/वि-7/डीआरडीए.प्रशा./10 दिनांक 18.05.2010 के अनुक्रम में वर्ष 2010 से 2012 तक जिला पंचायतों द्वारा सीए/फर्म की नियुक्ति की गई है तथा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक ऑडिट हेतु निविदा के माध्यम से संभागीय स्तर पर सी.ए.फर्मो की नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही शासन स्तर से की गई है । (ख) वर्ष 2010 से 2012 तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में आने वाली समस्त जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण हेतु सी.एम.भुटारिया गणेशन एण्ड कंपनी भोपाल फर्म को शासन द्वारा संभागीय स्तर पर नियुक्त किया गया है । (ग) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित किया जाना

64. **(क्र. 1594) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में ग्रामों को किस-किस आधार पर जोड़ा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत कितने हितग्राहियों

को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है ? योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक सिवनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतवार, वर्षवार, बैंकवार जानकारी देवें ? (ग) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शासन द्वारा प्राप्त लक्ष्य के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में लक्ष्य की पूर्ति करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में विभिन्न ग्रामों को, इस मिशन की नीति/मार्गदर्शी निर्देशों तथा मिशन में कार्यरत बैंकों से निष्पादित एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार, इस मिशन में सम्मिलित किया जाता है । यही प्रक्रिया सिवनी विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचलन में है । (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में सिवनी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 1742हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है । मिशन के प्रारंभ से अभी तक, इस विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित हितग्राहियों की जनपद-पंचायतवार, वर्षवार एवं बैंकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ग) जी हॉ । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

<u>परिशिष्ट - "उनतालीस"</u>

<u>आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम</u>

65. **(क्र. 1601) श्रीमती संगीता चारेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला के अंतर्गत सैलाना विधानसभा में वर्ष 01 जनवरी 2011 से आत्मा योजना के तहत कृषकों को प्रशिक्षण भ्रमण के लिए कहां-कहां ले जाया गया एवं कितने कृषकों को उक्त भ्रमण के लिए चयनित किया गया था ? संख्या एवं भ्रमणों की तिथि स्पष्ट करें ? (ख) आत्मा योजना अन्तर्गत कौन कौन से घटक है जिनसे कृषकों को लाभान्वित किया जा सकें ? (ग) आत्मा योजना के अंतर्गत सैलाना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत किन-किन पंचायतों का चयन किया गया और उन्हें किन योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा ? (घ) किसकी अनुशंसा पर सैलाना/बाजना जनपद पंचायतों में से चयन किया गया स्पष्ट करें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) 01 जनवरी 2011 से आत्मा योजना के तहत कृषकों को प्रशिक्षण, भ्रमण स्थान, अवधि एवं चयनित कृषक संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) आत्मा परियोजना अंतर्गत राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण, राज्य के अंदर कृषक प्रशिक्षण, जिले के अंदर कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन, राज्य के बाहर कृषक भ्रमण, राज्य के अंदर कृषक भ्रमण, क्षमता विकास प्रशिक्षण, किसान मेला, इंटरफेस, किसान संगोष्ठी, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, तथा फार्म स्कूल आदि गतिविधियों द्वारा किसानों को लाभांवित किया जाता है । (ग) आत्मा परियोजना अंतर्गत किसी विशेष पंचायत को समाहित न कर जिले के संपूर्ण विकासखण्डों में इस योजना अंतर्गत कार्य किये जाते हैं । (घ) आत्मा परियोजना अंतर्गत सैलाना बाजना एवं अन्य

विकासखण्डों में हितग्राहियों का अनुमोदन विकासखण्ड स्तरीय आत्मा कृषक सलाहकार समिति की अनुशंसा के उपरांत किया गया है ।

परिशिष्ट - "चालीस"

NGO की जानकारी उपलब्ध कराने बावत्

66. **(क्र. 1619) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने एनजीओ पंजीकृत है व कब से पंजीकृत है ? नाम,पता वार जानकारी उपलब्ध करावे ? (ख) दमोह जिले में किन-किन एनजीओ ने विगत पांच वर्ष से कौन-कौन से प्रचार प्रसार या अन्य कार्य कराये गये इसकी जानकारी राशिवार, स्थलवार प्रदाय करावे एवं किन-किन उद्देश्यों को लेकर एनजीओ का गठन किया जाता है ? (ग) क्या मध्यप्रदेश सरकार के उद्देश्य की पूर्ति पंजीकृत एनजीओ द्वारा हो रही है ? अनियमित चल रहे कितने एनजीओ का पंजीयन निरस्त या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विभाग द्वारा पंजीयन नही किया जाता है, अपितु मान्यता प्रदान की जाती है । मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** । (ग) जी हा । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** ।

परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा

67. **(क्र. 1642) श्री आरिफ अकील :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेशवासियों को अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का वादा/घोषणा की गई थी ? (ख) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वी.आर.एस. देकर सेवा से मुक्त कर निगम को बंद कर दिया गया ? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी घोषणा की थी कि राजगढ़ से ब्यावरा और रायसेन से बकतरा रेल लाईन स्थापित की जावेगी ? (ग) यदि हां तो सड़क परिवहन निगम को बंद कर एवं रेल लाईन स्थापित नहीं करते हुए प्रदेशवासियों को किस प्रकार अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जावेगी ? वादे/घोषणा की पूर्ति नहीं करने के लिए कौन दोषी है ? (घ) प्रश्नांश (ख) - (ग) के परिप्रेक्ष्य में कब तक सपनि. व रेलवे लाईन कब तक प्रदेशवासियों को उपलब्ध हो सकेगी ? यदि नहीं तो वादा/घोषणा करने के क्या कारण थे बतावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) हॉ मान. मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 1338/2007 में एम.पी.एस.आर.टी.सी. की समाप्ति पर प्रदेश में अच्छी यातायात व्यवस्था के लिए वैकल्पिक मॉडल तैयार करने की घोषणा की गई थी । (ख) जी नहीं, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम अभी बंद

नहीं हुआ है, परन्तु उसको बंद करने की प्रक्रिया जारी है । इस क्रम में अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2005 एवं 2010 में वीआरएस दी गई है । मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा राजगढ़ से ब्यावरा एवं रायसेन से बकतरा रेल लाइन की घोषणा की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । (ग) सड़क परिवहन निगम को बंद करने से मार्ग अराष्ट्रीयकृत होकर सभी बस ऑपरेटरों के लिए मुक्त हो गए । ग्रामीण परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चलाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है । जो बस स्टेण्ड के रख-रखाव के अलावा परिवहन क्षेत्र में नई तकनीकी को बढावा देगी । इस प्रकार अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे है । (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

कृषि महोत्सव के नाम पर शासन की राशि का दुरूपयोग किया जाना

68. **(क्र. 1643) श्री आरिफ अकील :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से दिनांक 25 सितम्बर से 20 अक्टुबर 2014 तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है ? (ख) यदि हां, तो उक्त आयोजन में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई जिलेवार बतावें ? (ग) उक्त आयोजन से प्रदेश के किसानों को किस-किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा दिनांक 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 2014 तक कृषि महोत्सव 2014 के आयोजन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध विभागों जैसे - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, जल संसाधन, उर्जा, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, विभाग द्वारा किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सीधा सम्पर्क कायम कर दोनों के मध्य नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीक सुधार से वर्तमान फसलों की उत्पादकता बढाना एवं नवीन फसल (किस्मों) की संभावनाओं के आधार पर भविष्य में फसल चक्र को परिवर्तन कर खेती को लाभ का धंधा बनाना था । यह आयोजन जिले में ग्राम, विकासखंड एवं जिला स्तर पर किया गया । (ख) जिलेवार जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ग) कृषि महोत्सव के आयोजन से जिलों में वैज्ञानिक कृषि को बढावा, नवीन कृषि तकनीक की कृषकों को जानकारी, कृषि कार्य में कौशल वर्धन, परस्पर चर्चा एवं कृषि वैज्ञानिकों से समस्या समाधान, नई फसल किस्मों एवं फसल चक्र परिवर्तन, कृषि तकनीक प्रदर्शन, बहुविभागीय कार्यक्रमों की जानकारी से कृषि को लाभकारी बनाने हेतु कृषकों का मार्ग प्रशस्त हुआ है । इसके दूरगामी परिणाम फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के रूप में निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे ।

जिला पंचायत छिन्दवाड़ा में प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना

69. **(क्र. 1650) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला एवं जनपद पंचायतों में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने हेतु किन नियमों में क्या व्यवस्था है ? इन नियमों में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने हेतु किसे कब अधिकृत किया गया है ? नियम अथवा आदेश-निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने जिला पंचायत छिन्दवाड़ा एवं जनपद पंचायत चौरई एवं विछुआ में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने हेतु कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित किया था जिस पर प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया कि संबंधित कार्यालयों को प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने का अधिकार है एवं इस आशय का पत्र जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा जारी किया गया था यदि हां, तो पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर छिन्दवाड़ा के पत्र का संदर्भ देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को पत्र क्रमांक 1615 दिनांक 14/08/2014 प्रेषित किया था ? यदि हां, तो जिला पंचायत में प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करने के क्या कारण है ? (घ) प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करने की दशा में जिला पंचायत छिन्दवाड़ा की बैठकों में प्रश्नकर्ता के अनुपस्थिति में प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं होने से प्रश्नकर्ता को जो नुकसान हुआ है उसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है ? क्या शासन प्रश्नकर्ता के अनुरोध को ठुकराकर विधायक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी नियत कर उनके विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों और यदि हां, तो कब ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में विधानसभा सदस्य अथवा संसद सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान पंचायत सदस्य (प्रतिनिधि का नामांकन) नियम 1997 में है । उक्त प्रावधान के तहत विधानसभा/संसद सदस्य अपने प्रतिनिधि का नाम निर्देशन का नाम निर्देशन कर सकता है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) जी हॉ । उल्लेखित पत्र की प्रति माननीय विधानसभा सदस्य को पत्र क्रमांक 1726/जि.यो.स./प्रतिनिधि/2014/छिंदवाड़ा, दिनांक 06.08.2014 से पृष्ठांकित की गई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** । (ग) जी हॉ । नामांकित प्रतिनिधि के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत सदस्य (प्रतिनिधि का नामांकन) नियम 1997 के उपनियम 4 (1) के तहत् कार्यवाही पूर्णकर नियम 4 (4) अंतर्गत संबंधित को सूचित कर माननीय सदस्य को अभिस्वीकृति पत्र क्रमांक/6794/सा.सभा/जि.पं./2015 छिंदवाड़ा दिनांक 11.02.2015 से प्रेषित की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** । (घ) माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के संबंध में की गई कार्यवाही में प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है, जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत, निर्मित एवं निर्माणाधीन निर्माण कार्यों की जानकारी

70. **(क्र. 1652) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के जनपद पंचायत चौरई एवं विछुवा में वर्ष 2010 से दिसम्बर 2014 तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से खेल मैदान, खेत सड़क व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कराया गया है ? यह निर्माण किन एजेंसियों के द्वारा कराया गया है तथा कब पूर्ण हुआ है ? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के जनपद पंचायत चौरई एवं विछुवा में वर्ष 2010 से दिसम्बर 2014 तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से खेल मैदान, खेत सड़क व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क कब से निर्माणाधीन है यह निर्माण किन एजेंसियों के द्वारा कराया जा रहा है तथा निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि क्या है ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने उक्त योजनाओं के तहत क्षेत्र के नागरिकों की मांग पर जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 के मध्य जनपद पंचायत चौरई एवं विछुवा तथा जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित कर निर्माण कार्य स्वीकृत कर निर्माण कराने का अनुरोध किया है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्नकर्ता द्वारा नागरिकों की मांग पर उक्त योजनाओं के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों की कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "अ" अनुसार है** । (ख) निर्माणाधीन कार्यों की वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - "ब" अनुसार है** । (ग) जी हां । (घ) मनरेगा अंतर्गत भारत सरकार में बजट अनुसार राशि का प्रावधान न हो पाने से मांग अनुसार राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है । मनरेगा अंतर्गत नवीन कार्यों पर दिनांक 24-09-14 से प्रतिबंध लगाया गया है । नवीन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत निविदा, निर्माणधीन की सड़कों की स्थिति

71. **(क्र. 1653) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत कुल कितने सड़क कहां से कहां तक निर्मित किये गये है, ये सड़के कब बनकर पूर्ण हुई, तथा इनकी कार्य एजेंसियां कौन-कौन सी थी, सड़कों की लागत क्या थी, पूर्ण सड़कों में कौन-कौन सी सड़कें किस अवधि तक के लिए ठेकेदारों के मरम्मत के अधीन है ? ठेकेदारों के नाम पता सहित विकासखण्डवार, ईकाईवार, सड़कवार जानकारी दें ? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत कुल कितने सड़क कहां से कहां तक निर्माणधीन है, निर्माणाधीन सड़कों की लागत, उनके कार्य एजेंसी, निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि तथा इन सड़कों का निर्माण किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में हो रहा है कि जानकारी ठेकेदार व अधिकारियों के नाम पता सहित विकासखण्डवार, ईकाईवार, सड़कवार जानकारी दें ? (ग) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

अन्तर्गत कुल कितने सड़क कहां से कहां तक कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत होकर निविदा के अधीन है, कौन-कौन से सड़क स्वीकृति हेतु प्रस्तावित होकर किस स्तर पर किस लिए कब से लंबित है, विकासखण्डवार, सड़कवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में स्वीकृत सड़कों के निविदा आमंत्रित करने हेतु किस स्तर से कब-कब और क्या सार्थक पहल किये गये ? स्वीकृत सड़कों का अभी तक ठेकेदार नियुक्त नहीं होने के लिए कौन लोग जिम्मेदार है ? कब तक ठेकेदार नियुक्त कर स्वीकृत सड़कों का निर्माण करा दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छिन्दवाडा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 78 मार्गो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है ।** (ख) छिन्दवाडा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्तमान में 48 सड़कें निर्माणाधीन है **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है ।** (ग) छिन्दवाडा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 3 सड़कें स्वीकृत होकर निविदा अधीन है **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है ।** (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में स्वीकृत सड़को की निविदा आमंत्रित करने हेतु विभाग द्वारा पॉच बार निविदाऐं आमंत्रित की गई है । जिसमें निविदाकारों द्वारा निविदा में अधिक दरें प्रस्तुत किये जाने के कारण निविदा स्वीकृत नहीं हो सकी । वर्तमान में उक्त स्वीकृत कार्यो हेतु छंटवी बार पुनः निविदा आमंत्रित की गई है । निर्माण ऐजेन्सी निर्धारित करने के लिये यथासंभव प्रयास किया गया है । उचित दरें प्राप्त होने पर निविदा स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ई-पंचायत के संचालन से ग्रामीण का लाभ

72. **(क्र. 1658) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितनी ई-पंचायतें संचालित की जा रही हैं ? सीहोर जिले में कहां-कहां पर यह पंचायतें संचालित की जा रही हैं ? (ख) म.प्र. में कितने स्वराज भवन प्रस्तावित हैं और इनके निर्माण की क्या स्थिति है ? सीहोर जिले में इन स्थानों में निर्माण की स्थिति का ब्यौरा दें ? (ग) ई-पंचायत के संचालन से ग्रामीणजनों को होने वाले लाभ का ब्यौरा दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतो में ई-पंचायत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । सीहोर जिले के 497 ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** । (ख) जी नही । प्रदेश स्तर से वर्तमान में स्वराज भवन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है । (ग) ई-पंचायत कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवायें **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** ।

दोषियों के विरूद्ध लंबित कार्यवाही

73. **(क्र. 1671) श्री संजय पाठक :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक किसान कल्याण कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनान्तर्गत कितने-कितने बीज प्रदाय हेतु किस-किस संस्था को प्रदाय आदेश दिया ? वर्षवार प्रदायित आदेशों की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) भौतिक, वित्तीय वर्षवार कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ एवं कितना-कितना बीज वितरण किया गया ? वर्षवार, फसलवार सूची देवें ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदाय आदेश से अधिक बीज इन योजनाओं में उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? क्या यह सही है कि खरीफ एवं रवि में अवितरित बीज को इन योजनाओं में वितरण बताकर असत्य सूचियां तैयार कराई एवं शासकीय राशि का गबन किया गया ? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) नहीं तो प्रदाय आदेश से अधिक बीज किन परिस्थितियों में उपयोग किया गया ? यदि योजना में लक्ष्य पूर्व से उपलब्ध था, तो समय में बीज की योजनान्तर्गत व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? (ड.) वर्षवार 25 प्रतिशत कृषक अंशराशि किस-किस चालान से जमा की गई जानकारी देवें ? क्या यह सही है कि बिना कृषक अंशराशि जमा किये अनुदान राशि का आहरण किया गया ? यदि हां, तो संबंधित दोषी उप संचालक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनान्तर्गत प्रदाय बीज आदेश की संस्थावार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन एवं चार अनुसार है** । (ग) योजनान्तर्गत प्रदाय बीज की पुष्टि हेतु जांच कराई जावेगी । (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार । (ड.) प्रकरण में संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर से जांच कराई जावेगी ।

प्रतिनियुक्ति के माध्यम से मंडी सचिव बनाया जाना

74. **(क्र. 1677) श्री विश्वास सारंग :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में ऐसी कौन-कौन सी मंडियां हैं ? जहां पर मंडी सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर कर्मचारियों/अधिकारियों को पदस्थ किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत मंडी सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के नियम-उपनियम क्या हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत पदस्थ मंडी सचिवों को मंडी का अनुभव है ? यदि नहीं तो ऐसे लोगों को हटाकर मंडी सचिवों की भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति भोपाल, सीहोर, रायसेन, छापीहेड़ा एवं हरदा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर मंडी सचिव कार्यरत है । (ख) मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के नियम-उपनियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टके प्रपत्र अनुसार है** । (ग) जी हॉ । शेष का प्रश्न उद्दभूत नहीं होता है ।

ग्राम पंचायतों में आंतरिक मार्ग का निर्माण

75. **(क्र. 1739) श्री अमर सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की जनपद पंचायत राजगढ़ एवं खिलचीपुर में विभाग द्वारा सभी पंचायतों में आंतरिक मार्ग स्वीकृत किये है ? यदि हां, तो दिसम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) जिन ग्राम पंचायतों/ग्रामों में आंतरिक मार्ग निर्माण स्वीकृत किया गया है ? उनके नाम तथा उसकी स्वीकृत राशि एवं मार्ग की लम्बाई बतावें ? (ग) क्या उक्त समस्त पंचायतों/ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है ? उनका कितना मूल्यांकन हुआ है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 03, 05 एवं 06 अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 07 एवं 08 अनुसार** ।

ग्राम पंचायतों में पशु शेड निर्माण की योजना

76. **(क्र. 1740) श्री अमर सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में पशु/मवेशी शेड निर्माण हेतु योजना कब से प्रारंभ की है ? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की जनपद पंचायत राजगढ़ एवं खिलचीपुर में विगत तीन वर्ष में विभाग द्वारा सभी पंचायत में पशु/मवेशी शेड निर्माण स्वीकृत किये हैं ? यदि हां, तो किस पंचायत में किस-किस हितग्राही को स्वीकृत किये गये हैं ? ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) उक्त पशु/मवेशी शेड की वर्तमान स्थिति क्या है ? उनमें कितनी राशि स्वीकृत हुई है तथा कितना मूल्यांकन हुआ है ? मूल्यांकन करने वाले अधिकारी का नाम सहित ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें ? (घ) यदि अपूर्ण है तो उक्त पशु/मवेशी शेड कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ? अवधि बतायें ? ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पशु/मवेशी शेड निर्माण सहित अन्य अनुमत कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा दिनांक 03-10-2012 को निर्देश जारी किये गये । जारी निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । (ख) जी नहीं । राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की जनपद पंचायत राजगढ़ की 101 ग्राम पंचायतों में से 88 ग्राम पंचायतों में तथा राजगढ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत खिलचीपुर की 45 ग्राम पंचायतों में से 42 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत किये गये पशु/मवेशी शेड निर्माण की **जानकारी जनपद पंचायतवार, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है** । (ग) **जानकारी जनपद पंचायतवार, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है** । (घ) योजना मांग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारियों द्वारा रोजगार की मांग वभारत सरकार से पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण होने की निश्चितसमय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विभाग द्वारा बलराम तालाब/खेततालाब/स्टापडेम का निर्माण

77. **(क्र. 1754) श्री अमर सिंह यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में विभाग द्वारा जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां नवीन निर्माण कार्य करवाये गये ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बलराम तालाब/खेत तालाब/स्टापडेम/निर्माण स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां किये गये हैं ? स्वीकृत राशि एवं निर्माण एजेंसी का नाम बतावें ? (ग) क्या वर्ष 2015 में विभाग द्वारा नवीन बलराम तालाब/खेत तालाब/स्टापडेम निर्माण की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को इसमें शामिल किया गया है ? सूची उपलब्ध करावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राजगढ़ जिलें की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में विभाग द्वारा जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये नवीन निर्माण कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक, दो अनुसार है** । (ख) वर्तमान में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में खेत तालाब/स्टॉप डेम निर्माण की योजना संचालित नही है । केवल बलराम तालाब के प्रकरण स्वीकृत किये गये है । जिसकी निर्माण एजेंसी स्वयं कृषक है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है** । (ग) वर्ष 2015 में विभाग में खेत तालाब/स्टॉप डेम निर्माण की योजना संचालित नहीं है । केवल बलराम तालाब निर्माण की योजना बनाई गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है** ।

सहकारी दुकानों का संचालन

78. **(क्र. 1756) श्री अमर सिंह यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा सहकारी दुकानें संचालित करने के क्या नियम निर्देश हैं ? (ख) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में वर्तमान में कहां-कहां पर सहकारी दुकान संचालित की जा रही है ? उक्त दुकानें किसके द्वारा संचालित की जा रही है एवं प्रत्येक संस्था द्वारा प्रत्येक हितग्राहियों को कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर उपलब्ध कराई जाती है ? (ग) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में ग्रामीणों को राशन सामग्री दिये जाने हेतु कितनी-कितनी दूरी पर दुकान आवंटित की गई है ? सूची उपलब्ध करावें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सहकारी संस्थाओं द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालित करने के नियम मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में दिये गए हैं । (ख) दुकान संचालन के स्थान व संचालक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है** । हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली सामग्री का नाम, मात्रा एवं दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है** ।

दोषियों को दण्डित किया जाना

79. **(क्र. 1803) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं जैविक खेती तथा अन्य योजनाओं में सूक्ष्म तत्व पौधा वर्षा के तथा कीटनाशक दवाईयों के प्रदाय आदेश प्राप्त हुये ? योजनावार जानकारी देवें ? (ख) यदि हां, तो किस कंपनी को सामग्री प्रदाय हेतु आदेश दिये गये ? क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? (ग) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने का जब प्रदाय आदेश में उल्लेख था, तो बिना जांच कराये भण्डारण करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? (घ) क्या दोषी अधिकारी को घटिया सामग्री प्राप्ति हेतु निलंबन कर राशि वसूल की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी को वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं जैविक खेती तथा अन्य योजनाओं में सूक्ष्म तत्व पौधवर्धक तथा कीटनाशक दवाईयों के आदेश प्रदाय हुये । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** । (ख) कम्पनीवार सामग्री प्रदाय हेतु आदेश की जानकारी एवं प्रक्रिया राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी द्वारा अपनाई गई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । (ग) प्रदाय सामग्री के नमूने रेण्डम आधार पर लिये जाकर गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये,जिनके परिणाम मानक स्तर के पाये गये है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है** । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

जानकारी एवं जांच तथा कार्यवाही बाबत्

80. **(क्र. 1804) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा, सिंगरौली तथा सिवनी जिले में कार्यरत चेकपोस्टों से 2012 से 2014 तक कितने रूपये का राजस्व वसूल किया गया है एवं शासन द्वारा कितने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चाकघाट एवं हनुमना एवं खवासा चेकपोस्ट में कितने शासकीय एवं कितने प्रायवेट कर्मचारी कार्यरत हैं ? पदवार, पदांकन, तिथिवार सूची उपलब्ध करायें ? (ग) रीवा संभाग में कितने आर.टी.आई. एवं आर.टी.ओ. कितने बार गृह जिले के होने के कारण भी पदांकन किया गया है ? पदांकित अधिकारियों के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) रीवा, सिंगरौली तथा सिवनी जिले में स्थित परिवहन चेकपोस्ट हनुमना एवं चाकघाट (सोहागी) खवासा एवं मोरवा द्वारा वर्ष 2012 से 2014 तक वसूल किये गये राजस्व एवं निर्धारित लक्ष्य की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है । (ग) रीवा जिले में पदस्थ रहे 03 आरटीआई जिनके गृह जिला रीवा है पदस्थ रहे है । 1-श्री सी.एस. खरे, 2-श्री संजय श्रीवास्तव, 3-श्री मणिराज सांकेत रीवा जिले में कोई

भी आरटीओ पदस्थ नही रहा है जिसका गृह जिला रीवा हो । पद अंकित रहे अधिकारी नियमित रोटेशन में पदस्थ किये गये थे अतः उनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

फर्टीलाईजर फण्ड की राशि का दुरूपयोग

81. **(क्र. 1851) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त सहकारिता के कार्यालय में फर्टीलाईजर फंड स्थापित है यदि हां तो कब से स्थापित है और इसमें जमा राशि के उपयोग के लिए क्या नियम है और इस राशि का उपयोग कहां किया जाना चाहिए ? (ख) उक्त फंड से 01.01.2012 से 31.10.2014 तक की अवधि में पंजीयक/समिति द्वारा कितनी राशि किस-किस काम के लिए व्यय की गई, और क्या राशि का उपयोग करने के पूर्व विधिवत टेंडर आदि जारी किये गये थे ? व्यय राशिवार विवरण दें ? (ग) उक्त फंड से उपरोक्त अवधि में भिण्ड जिले के किसानों को, पैक्स समितियों को जिला सहकारी बैंकों को सहायता दी गई यदि हां तो कितनी राशि दी गई यदि नहीं तो क्यों ? (घ) उक्त फण्ड के वितरण करने के क्या नियम है । उपरोक्त अवधि में क्या नियम विरूद्ध राशि जारी की गई यदि हां तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी । यदि नही तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां, वर्ष 1983-84 से, नियम **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**, यथा आवश्यक प्रकरणों में टेण्डर जारी किये गये. **जानकारी पुस्तकालयमें रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है.** (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण. (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है.** परीक्षणाधीन.

कृषक प्रशिक्षण पर व्यय

82. **(क्र. 1852) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 में मुरैना जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पर ही कृषकों के प्रशिक्षण आयोजित करने 12 लाख रूपये की राशि का बंटन दिया गया ? (ख) यदि हां तो उक्त योजना के अंतर्गत संबंधित कृषकों के खेतों पर कितने प्रशिक्षण कितने चरणों में करवाये गये ? तथा कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ? (ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2013-14 में अत्यधिक व लगातार वर्षा होने पर भी कृषकों के खेतों पर निर्धारित तीन-तीन चरणों में कृषक प्रशिक्षण आयोजित किए गये ? यदि हां तो उनकी विकास खण्ड एवं ग्राम वार मय कृषकों के नाम/वल्दियत तथा पते सहित पृथक-पृथक सूचियां उपलब्ध करायें ? यदि नहीं तो क्या आवंटित राशि सरकार/बटन प्रदाय करने वाले अधिकारी को समर्पित की गई ? स्पष्ट करें ? (घ) योजना के अंतर्गत निर्धारित चरणों में किए जाने वाले

प्रशिक्षणें की निगरानी/मॉनीटरिंग की ? यदि हां तो रिपोर्ट उपलब्ध करायें ? यदि नहीं तो क्या उक्त राशि कागजों पर व्यय बनाकर आर्थिक अनियमित की गई है ? यदि हां तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हां । (ख) 80 प्रशिक्षण तीन चरणों में कराकर रूपये 15000 प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल राशि रूपये 12.00 लाख प्रदाय की गई । (ग) जी हां । प्रशिक्षण आयोजित किये गये । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** । शेष प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) जी हां । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

शासकीय सेवकों पर ई.ओ.डब्ल्यू./लोकायुक्त की जांच

83. **(क्र. 1863) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में वर्ष 2010-11 से दिसंबर 15 तक कितने शासकीय सेवकों के विरूद्ध लोकायुक्त एवं आर्थिक अन्वेषण विभाग में मामला पंजीबद्ध किया जाकर जांच चल रही है ? नाम, पद, तथा वर्तमान में पदस्थापना सहित बतायें ? (ख) क्या यह सही है कि मा. मुख्यमंत्री के आर्थिक गड़बड़ी कर अनियमितता करने वाले अधिकारी को फील्ड से हटाने के निर्देश थे ? यदि हां, तो ऐसे किन अधिकारियों को फील्ड से हटाया गया है ? नाम, पद, हटाने का कारण, कहां से हटाया गया, तथा वर्तमान पदस्थापना सहित बतायें ? (ग) क्या विभाग में आर्थिक गड़बडी कर अनियमितता करने वालों पर नजर रखकर दंडित करने हेतु कोई प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कार्यरत अधिकारियों के नाम, पद सहित बतायें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विभाग में वर्ष 2010-11 से 15 दिसंबर 2014 तक शासकीय सेवकों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन में मामला पंजीबद्ध किया जाकर जॉच अधीन है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है** । (ख) जी हॉ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है** । (ग) जी नहीं, आर्थिक गडबडी कर अनियमितता करने वाले शासकीय सेवकों की शिकायत प्राप्त होने पर शासन नियम एवं निर्देशानुसार जॉच एवं विस्तृत विभागीय जॉच संस्थित कर गुण दोष के आधार पर दण्डित करने का निर्णय लिया जाता है ।

कृषि महोत्सव में व्यय राशि एवं उसमें लगे वाहनों के संबंध में

84. **(क्र. 1865) श्री हर्ष यादव :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में 25 सितम्बर 14 से 20 अक्टूबर 14 तक कृषि महोत्सव में कृषि रथ के अलावा विकासखंडों में किराये पर लिये गये चार पहिया वाहनों पर प्रति विकासखंड कितनी राशि किस मद पर व्यय की गई बतायें ? (ख) कृषि महोत्सव में सागर जिले में राहतगढ़, जैसी नगर, सागर, खुरई विकासखंडों में कृषक संगोष्ठी पर कितनी राशि किस मद पर व्यय की गई ? (ग) खुरई, राहतगढ़,

जैसी नगर, बीना विकासखंडों में कृषि महोत्सव में प्रतिदिन रथ भ्रमण वाले ग्राम में कितनी राशि व्यय की गई है ? (घ) रथ प्रभारियों ने कितनी राशि व्यय करने हेतु प्राप्त की, तथा कितनी राशि शासन को वापिस की है, राशि प्राप्तकर्ता का नाम, विकासखंड सहित बतायें ? विकासखंडों में चार पहिया वाहन किराये पर लेने हेतु क्या निविदा जारी की गई थी ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) सागर जिले में 25 सितम्बर 2014 से 20 अक्टूबर 2014 तक कृषि महोत्सव के अंतर्गत चार पहिया वाहनों पर व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** । (ख) कृषि महोत्सव में सागर जिले के वि.ख. राहतगढ, जैसीनगर, सागर, खुरई विकासखण्डों में कृषक संगोष्ठी पर जो राशि, व्यय की गई उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । (ग) खुरई, राहतगढ, जैसीनगर, बीना विकासखण्डों में कृषि महोत्सव पर प्रतिदिन रथ भ्रमण वाले ग्रामों में जो राशि व्यय की गई है उसकी विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है** । (घ) सागर जिले में प्रत्येक विकासखण्ड के रथ प्रभारियों (नोडल अधिकारियों) को राशि रू. 42,90000.00 (बयालीस लाख नब्बे हजार) दिये गये थे । कृषि महोत्सव समापन के पश्चात शेष राशि रू. 1072433.00 (दस लाख बहत्तर हजार चार सौ तैंतीस) वापस की गई । राशि प्राप्तकर्ता का नाम, विकासखण्ड सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है** । विकासखण्डों मे चार पहिया वाहन किराये पर लेने हेतु किसी भी प्रकार की निविदा जारी नहीं की गई ।

<u>महिदपुर में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान</u>

85. **(क्र. 1873) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों के तहत कितना मजदूरी भुगतान किन-किन ग्रामों में कितने मजदूरों का कितनी राशि का भुगतान शेष है, ग्रामवार बतावें ? (ख) इस विलंब के कारण स्पष्ट करें ? यह भी बताऐं कि कितने कार्य मनरेगा का पेमेंट न होने के कारण अधूरे पड़े है, ग्रामवार, कार्यनाम, कार्य स्वीकृति दि. सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे व मजदूरों को उनकी लंबित राशि कब तक प्राप्त होगी ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत महिदपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत राशि रू. 49.21 लाख मजदूरी भुगतान होना शेष है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 अनुसार है** । (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान भुगतान प्रक्रिया अंतर्गत जिले के नोडल बैंक खाते से समस्त कार्यो का भुगतान एफटीओ द्वारा सीधे संबंधित के खाते में होता है, भारत सरकार से राशि का आवंटन प्राप्त होने पर मजदूरी के भुगतान की कार्यवाही की गयी है । प्रश्नांश के शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 अनुसार है** । (ग) जिले के नोडल बैंक खाते से एफटीओ के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं ।

निजी खेतों में किए जाने वाले कार्य

86. **(क्र. 1886) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा निजी खेतों में स्टापडेम, बलराम तालाब, चैकडेम बनाए जाने संबंधी कोई प्रावधान है ? (ख) यदि हां, तो बैतूल जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में माह दिसंबर तक किसके द्वारा किन-किन पंचायतों में किन स्थानों पर उपरोक्त निर्माण कार्य कराए ? विकासखण्डवार, पंचायत का नाम, स्थान सहित वर्षवार बतावें ? (ग) क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु कृषकों/हितग्राहियों को अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राही का नाम, अनुदान राशि, पंचायत के नाम सहित विकासखण्डवार बतावें ? (घ) उपरोक्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब किया गया ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि विभाग के अंतर्गत निजी खेतों में स्टॉपडेम, चेकडेम बनाने की योजना संचालित नही है । बलराम ताल योजनांतर्गत कृषकों के खेतों में कृषक द्वारा स्वयं तालाब निर्माण किये जाने का प्रावधान है । (ख) जी हॉ, बैतूल जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में माह दिसंबर तक कृषकों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है** (ग) जी हॉ, बलराम तालाब के निर्माण कार्य हेतु कृषकों/हितग्राहियों को अनुदान स्वीकृत किया जाता है, विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है** ।

बैतूल जिले में वाटरशेड योजना अंतर्गत कराए गए कार्य

87. **(क्र. 1889) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाटरशेड आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत बैतूल जिले में विगत तीन वर्षो में वर्षवार कितना आवंटन किस-किस मद हेतु किया गया है? (ख) प्राप्त आवंटन से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराए गए है? स्थलवार,वर्षवार कार्य की जानकारी एवं कार्यवार व्यय की जानकारी उपल्बध करावे ? (ग) क्या यह सही है कि बैतूल जिले में वाटर शेड के कार्यों में गड़बड़ी की जांच जिला स्तर से कराई गई थी ? (घ) यदि हां तो किस-किस विकासखण्ड के कौन-कौन से कार्यों की जॉच की गई, तथा जॉचोपरांत क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है** । (ग) जी नहीं । (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

यात्री बसों के किराए में वृद्धि

88. **(क्र. 1896) श्री बाला बच्चन :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने यात्री बसों के किराए में अंतिम बार कब वृद्धि की थी ? किराया निर्धारण किलोमीटर

वृद्धि के हिसाब से बतावें ? (ख) डीजल के मूल्य विगत 7 माह में कटोत्री होने के बाद भी यात्री बसों के किराए नहीं घटाए गए क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें ? (ग) यात्री बसों के किराए कब तक घटाए जाएंगे समय सीमा बतावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 377 दिनांक 25 अगस्त 2014 के द्वारा यात्री बसों के किराए में शासन द्वारा वृद्धि की गई थी, जिसके अनुसार सामान्य प्रक्रम वाहन का किराया रूपये 0.97 प्रतिसीट प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया था । (ख) सार्वजनिक वाहनों के यात्री किराये की समीक्षा बाबत शासन के आदेश क्रमांक एफ 22-142/2004/आठ भोपाल दिनांक 09.09.2010 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2015 को शासन स्तर पर आयोजित की जा चुकी है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । (ग) समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नही है ।

मनरेगा तहत मजदूरी का भुगतान

89. **(क्र. 1897) श्री बाला बच्चन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान का कितना Payment मजदूरों को देना शेष है ? जिलावार, जानकारी मजदूरों की संख्या, लंबित राशि, कितने समय से है पृथक-पृथक देवें ? (ख) मनरेगा अधिनियम के तहत कितने दिन में भुगतान किया जाना है ? क्या इसमें विलंब शुल्क का भी प्रावधान है ? यदि हां तो छायाप्रतियॉ देवें ? (ग) बड़वानी जिले में 30-01-2015 तक किन-किन ग्रामों के कितने मजदूरों की भुगतान राशि लंबित है, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें ? इसमें विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है ? बिना राशि के कार्य स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें ? (घ) प्रश्नांश (क) व (ग) अनुसार लंबित राशि का भुगतान मजदूरों को कब तक कर दिया जावेगा ? मजदूरी लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** । (ख) मनरेगा अधिनियम के तहत15 दिवस में मजदूरी भुगतान किया जाना है । जी हॉ । पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** (घ) भारत सरकार से आवंटन की उपलब्धता प्रतीक्षित है शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्य

90. **(क्र. 1910) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्रों से पांच किलो मीटर की सीमा में स्थित ग्राम पंचायतों में आवास स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं ? क्यों ? मैहर नगर पालिका सीमा से पांच कि.मी. दायरे में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं और अब तक इनके कितने हितग्राहियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया है ? (ख) हितग्राहियों की

प्राथमिकता सूची बनाये जाने, पट्टा लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने और कम समय में बैंकों से ऋण प्रकरण स्वीकृत कराये जाने को लेकर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ताकि पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल सके ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की नीति/दिशा निर्देश के अनुसार नजूल बाह्य क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में यह योजना लागू नहीं है । नगर पालिका परिषद मैहर की, 5 किलोमीटर की परिधि में परसोखा, तिघराकला, हरनामपुर, हरदुआकला, उदयपुर, अरकंडी, डांडी, पौड़ी, बरही एवं जीतनगर ग्राम पंचायतें हैं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ख) हितग्राहियों की प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया एवं भू-खण्डों के पट्टों को प्रदान करने की सरलीकृत प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित है । इसी प्रकार न्यूनतम समय में बैंकों से हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करवाकर लाभान्वित करने हेतु, पूर्व से ही,मिशन की नीति/दिशा निर्देश एवं बैंकों से किए गए एम.ओ.यू. में प्रावधान निहित हैं ।

मैहर विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों को पूर्ण किया जाना

91. **(क्र. 1911) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को अब तक मुख्यमंत्री सड़कों/बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है ? किन-किन ग्रामों को जोड़ने का कार्य प्रस्तावित किया गया है ? विवरण दें ? कब तक इन कार्यो को पूर्ण कराने का लक्ष्य है ? (ख) मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत प्रश्नांश (क) में प्रचलित कार्यो में से किस-किस कार्य को कितने प्रतिशत कार्य वित्तीय रूप से पूर्ण करा लिया गया है ? क्या निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराये गये ? नहीं तो क्यों ? (ग) मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों के घटिया निर्माण के संबंध में विभाग को किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतवार निराकरण/जांच की स्थिति बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोडे गये ग्रामों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है** । सभी कार्य पूर्ण हो चुके है । योजनांतर्गत जोडने हेतु कोर नेटवर्क से छूटे हुये प्रस्तावित ग्रामों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** । जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के विचाराधीन है, स्वीकृति प्राप्त होने पर पूर्ण कराने के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकेंगे । (ख) सभी कार्यो को पूर्ण करा लिया गया है । जी नहीं । संविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने से कार्यो की पूर्णता में विलंब हुआ,इस हेतु उन्हें अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क सडक योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सडकों के घटिया निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "बयालीस"

ग्रामीण अजीविका मिशन में पद स्थापना

92. **(क्र. 1926) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण अजीविका मिशन (NRLM) में वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में कुल कितने लोगों को नौकरी दी गई है ? आदेश दिनांक, नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थान, तथा बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि पदस्थापना के तुरन्त एक-दो माह पश्चात कुछ लोगों के ओदश में संशोधित कर घर के पास पदस्थापना कर दी गई है ? यदि हां, तो उनके स्थान पर कौन काम कर रहा है ? क्या उक्त स्थान का कार्य प्रभावित नहीं होता है ? (ग) कार्य प्रभावित होने पर उक्त कर्मचारी को पूर्व पदस्थापना स्थान पर भेजने की कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में कुल 358 लोगों को संविदा पर एक वर्ष हेतु अनुबंधित किया गया । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हाँ, एक आदेश की पदस्थापना में संशोधन आवेदिका के आवेदन के अनुक्रम में शासकीय नियमानुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखने की अनुशंसा अनुसार स्वयं के व्यय पर किया गया है । संबंधित के स्थान पर किसी अन्य कर्मी की पदस्थापना नहीं की गई है । चूंकि संबंधित कर्मी की नवीन पदस्थापना थी एवं पूर्व से पदस्थ अमले को जो लक्ष्य आवंटित किया गया था उसके अतिरिक्त उक्त कर्मी को पृथक से कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया था । अतः कार्य प्रभावित होने की स्थिति निर्मित नहीं है । (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परफारमेन्स गांरटी की सड़को का रखरखाव

93. **(क्र. 1927) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क में से पांच वर्ष तक रख-रखाव कार्य अवधि की सड़कें कौन-कौन सा है ? सड़क का नाम, ठेकेदार, शेष अवधि कब तक ? (ख) वर्णित सड़कों की वर्तमान हालत कैसी है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी एवं निविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है ।** (ख) उत्तरांश (क) में वर्णित 223 सड़कों मे से 209 मार्गों की स्थिति संतोषप्रद है । विभाग द्वारा प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों से सतत् मरम्मत कार्य कराया जा रहा है शेष 14 सड़कें ठेकेदारों द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराये जाने से आंशिक रूप से असंधारित है जिससे उक्त ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार धारा 32 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन में है । विभागीय अधिकारियों के द्वारा संधारण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

किसान विदेश अध्ययन यात्रा की जानकारी

94. **(क्र. 1928) श्री रामलाल रौतेल :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कुल कितने किसानों को भेजा गया है ? तथा किन-किन देशों की यात्रा कराई गई है ? कृषक का नाम, पता, जिला सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या उक्त यात्रा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसान भी सम्मिलित रहे हैं ? यदि हॉ तो उनका विवरण दें ? (ग) उल्लेखित किसानों के नाम से कुल कितनी-कितनी कृषि भूमि है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कुल 40 किसानों को भेजा गया था 21 किसानों को जर्मनी-इटली तथा 19 किसानों को हॉलैण्ड देशों की यात्रा कराई गई । कृषक का नाम, पता, जिले की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हॉ । उक्त यात्रा में दो अनुसूचित जनजाति एवं एक अनुसूचित जाति वर्ग के किसान सम्मिलित रहे है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जाब कार्ड

95. **(क्र. 1938) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है, तथा जाब कार्ड के माध्यम से मजदूरों की पहचान की जाती है ? (ख) शहडोल संभाग के विभिन्न जनपद पंचायतवार एवं वर्षवार वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्गों के लिये कितने जाब कार्ड जारी किये गये ? (ग) जनपद पंचायतवार एवं जिलावार वर्षवार जारी जाब कार्ड के आधार पर क्या अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के मजदूरों को 100 दिन के रोजगार दिये गये हैं ? यदि 100 दिन के रोजगार मजदूरों को उपलब्ध नहीं हो सका, किन-किन जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि भत्ता व मुआवजा के रूप में मजदूरों को भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है ? (घ) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार ग्राम पंचायतों में न मिलने के कारण हैं ? शासन द्वारा मजदूरों का पलायन रोकने के कोई ठोस उपाय किये जा रहे हैं या नहीं ? यदि हां, तो ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिये शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग होने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिवस का रोजगार (अकुशल श्रम) देने का प्रावधान है । योजनांतर्गत जॉब कार्ड धारी परिवार के वयस्क सदस्यों को ही उनकी मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । जॉब कार्ड के माध्यम से मजदूरों की पहचान की

जाती है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना "रोजगार की मांग" पर आधारित है तथा जॉब कार्ड धारी परिवार के द्वारा जितने दिवस के रोजगार की मांग की जाती है, उतने दिवस का रोजगार (एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिवस की सीमा के अन्तर्गत) उपलब्ध कराया जाता है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड धारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग किये जाने पर, रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । अत:शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

विकलांगों को प्रदाय सामग्री के संबंध में

96. **(क्र. 1959) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में उपसंचालक पंचायत बैतूल द्वारा कितने विकलांग शिविर आयोजित किये गये हैं ? क्या उसमें वितरित किये गये उपकरण घटिया थे ? यदि नहीं तो विकलांग ने शिकायत क्यों की थी ? (ख) क्रय ट्राइसिकल किस कीमत पर खरीदी की गई थी ? (ग) बैतूल जिलान्तर्गत अंध, मूक, बाधिर (विकलांग) की संख्या देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 10 शिविर आयोजित किये गये । जी नहीं । कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ख) प्रति नग राशि रुपये 7600/- (ग) संख्या 401 है ।